द्वितीय माला, खण्ड ५—अंक २३

१३ अगस्त, १९५७ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ५ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

139 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या ८२९, ८३०, ८३२ से ८४१, ८४३ से ८४६ और ८४८ . . . . . ३६२१—४४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ . . . ३६४५—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३१, ८४२, ८४७, ८४९ से ८६५, ८६७ से ८७९ और ८८१ से ८८७ . . . . . ३६५०—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१७ से ६६२ . . . . ३६६४—८३

सभा पटल पर रखा गया पत्र ३६८३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न ३६४८-४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली के अध्यापकों की प्रस्तावित हड़ताल . . ३६८३—८७

अनुदानों की मांगें . . . . . ३६८७—३७२५

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय . . . . ३६८७—३७२५

श्री त० ब० विट्ठलराव . . . . . ३६८८—९०

श्री विश्वनाथ रेड्डी . . . . . ३६९०—९२

श्री टे० सुब्रह्मण्यम ३६९२-९३

श्री प्र० के० देव ३६९३-९४

श्री हेम बरुआ . . . . . ३६९४—९६

श्री बासप्पा ३६९८-९९

श्री सें० वे० रामस्वामी ३६९९-३७००

श्री नरसिंहन् ३७००-०१

श्री कासलीवाल ३७०१-०२

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन . . . . . ३७०२—०४

श्री अ० चं० गुह ३७०४-०५

श्री नौशीर भरूचा ३७०५-०६

श्री पद्म देव . . . . . ३७०६—०९

श्री के० दे० मालवीय . . . . ३७०९—१४

सरदार स्वर्ण सिंह . . . . . ३७१४—२४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३७२६—२९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार १३, अगस्त १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नागा पहाड़ी क्षेत्र

+

*८२९. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विभूति मिश्र:
श्री सम्पत :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागा पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्ण शान्ति व व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†गृहकार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): २४ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२४ के भाग (ग) के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें नागा पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है।

†श्री दातार: : मैं उत्तर का अंग्रेजी में रूपान्तर भी पढ़कर सुनाऊंगा।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

†श्री म० ला० द्विवेदी : उस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में यह बतलाया गया है कि सरकार वे तमाम आवश्यक कदम उठा रही है कि जिससे वहां पर कानून की व्यवस्था स्थापित हो जाय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बतला सकेगी कि कौन कौन से वे कदम हैं जो सरकार उठा रही है ?

†श्री दातार : सरकार शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए कदम उठा रही है। सरकार लोगों के पुनर्वास के लिए सहायता दे रही है। सरकार उनकी सहायता भी कर रही है जिनको वहां की स्थिति के कारण हानि उठानी पड़ी है।

†श्री म० ला० द्विवेदी: मंत्री महोदय ने यह बातें तो उस सवाल के जवाब में बतला दी थीं कि सरकार अन्य समस्त आवश्यक कदम उठा रही है : मैं जानना चाहता हूं कि अन्य आवश्यक कदम क्या हैं ?

†श्री दातार: अन्य आवश्यक कदम उन्हीं लाइनों पर हैं। मैं माननीय सदस्य को यह भी बता दूं कि कुछ गैर-सरकारी सदस्य भी इन क्षेत्रों के आन्तरिक-भागों में जा रहे हैं और स्थिति सुधर

†मूल अंग्रेजी में

रही है और सब लोग सरकार के साथ सहयोग करने को उत्सुक हैं। उनके लिए जो कुछ किया जा रहा है उसके महत्व को वे समझते हैं।

†श्री रंगा : क्या आसाम सरकार से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि आसाम सरकार के प्रशासन और हमारे जो अधिकारी वहां हैं उनके बीच सहयोग और समन्वय होना चाहिए ?

†श्री दातार: : ऐसी नीति का अनुसरण तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं?

†श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने बगावती नागा लोगों के नेताओं से मिलने का कोई प्रयत्न किया है ताकि उनसे मिलकर शान्ति स्थापित की जा सके?

†श्री दातार : कभी कभी ये लोग यह जानने के लिए कि उन्हें क्या मिल सकता है सीधे सरकार से पहुंच न करके मध्यस्थों से करते हैं।

†श्री सम्पत : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा है, क्या सरकार वर्तमान सशस्त्र दमन से भिन्न कोई तरीका अपनाने का विचार नहीं करेगी ?

†श्री दातार : स्थिति में सुधार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ?

†श्री म० ला० द्विवेदी: मैं जानना चाहता हूं कि नागा हिल्स में न्यायव्यवस्था स्थापित करने में रफली कितना मासिक व्यय पड़ रहा है?

श्री दातार : मैं यह बताने में असमर्थ हूँ।

वैज्ञानिक असैनिक सेवा[1]

+

†*८३०. { श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री २१ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वैज्ञानिक असैनिक सेवा स्थापित करने की योजना को अब अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास): (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री भक्त दर्शन : इस मामले में इतनी देरी होने का क्या कारण है?

†श्री म० मो० दास : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने एक समिति नियुक्त की है जिस के सभापति प्रो० महलानोबिस हैं। उस समिति की अभी तक कुल तीन बैठकें हुई हैं, परन्तु उसने अभी तक अपनी सिफारिशें को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Scientific Civil Service.

श्री भक्त दर्शन: क्या इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिये कोई अवधि निर्धारित की गई है जब तक कि इसे अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिए।

†**श्री म० मो० दास** : जी नहीं। ऐसी कोई अवधि निश्चित नहीं की गयी है जिसके कि भीतर समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

†**श्री नरसिंहन** : क्या यह वैज्ञानिक असैनिक सेवा पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है; और यदि हां, तो क्या इस विषय में पांच वर्षों में कुछ कार्य होने की आशा है?

†**श्री म० मो० दास** : मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि क्या इसे पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है या नहीं। परन्तु समिति इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र सिफ़ारिशें तैयार करने का प्रयत्न कर रही है। इसकी तीन बैठकें ही भी हो चुकी हैं?

श्री भक्त दर्शन : क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जा रहा है और क्या किसी राज्य सरकार ने इस बारे में अपनी कोई राय दी है ?

श्री म० मो० दास : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद ने यह समिति नियुक्त की है जिसके सभापति प्रो० महलानोबिस हैं। इस बात का निर्णय समिति को करना है कि क्या वह राज्य सरकारों या किन्हीं अन्य संस्थाओं से परामर्श करेगी या नहीं।

लैंसडाउन (उत्तर प्रदेश) में झगड़ा

+

†*८३२. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री वारियर :
श्री कुन्हन :
श्री भक्त दर्शन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लैंसडाउन (उत्तर प्रदेश) में फुटबाल की सैनिक और असैनिक टीमों में झगड़ा हो गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि सैनिक टीम के खिलाड़ियों जिसमें कुछ पदाधिकारी भी थे, ने रेफरी तथा अन्य लोगों को पीटा था; तथा

(ग) यदि हां, क्या सरकार का दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार है?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, नहीं। परन्तु एक गोल के सम्बन्ध में रेफरी द्वारा दिये गये निर्णय के औचित्य पर ब्वायज बटालियन टीम के एक खिलाड़ी और रैफरी में कुछ कहा सुनी हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया।

(ख) एक सैनिक जांच न्यायालय ने इस घटना की जांच की; और उत्तर प्रदेश क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमाण्डिंग ने यह सूचना दी है कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कि किसी भी सैनिक ने बल का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने यह भी सूचना दी है कि मैच के रैफरी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच है कि कैप्टन गुरुंग, कैप्टेन लखबीर सिंह और जमादार जीतसिंह और अन्य लोग, जो मैच देख रहे थे, मैदान के भीतर दौड़ पड़े और जब असैनिक लोग आये तो उन्होंने जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों को उन्हें अपनी पेटियों से मारने को कहा और क्या यह भी सच है कि असैनिक व्यक्तियों को कई चोटें आयीं और उनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा ?

†**सरदार मजीठिया** : इस घटना का मैं और भी अधिक ब्यौरेवार विवरण देना चहता हूं क्योंकि माननीय सदस्य इसे जानना चाहते हैं। २१ मई, १९५७ की यह घटना ब्वायज बटालियन टीम के खिलाड़ी बलवन्त सिंह द्वारा किये गये कथित गोल और रैफ़री द्वारा उसे न किये जाने के फलस्वरूप हुई थी। इसके फलस्वरूप रेफ़री और उस लड़के के बीच कुछ कहा सुनी हो गयी, उसे मैदान से बाहर चले जाने को कहा गया, साथ ही रेफरी लड़के के साथ हाथापाई करने लगा और असैनिक व्यक्ति मैदान के भीतर चले आये, जिसके परिणामस्वरूप उस लड़के के बांये हाथ की कलाई उत्तर गयी। इस के फलस्वरूप अफसर गण भीतर चले आये। वे अपने सैनिकों को मैदान से बाहर ले गये। उन्होंने हाथापाई में कतई हिस्सा नहीं लिया। इस प्रतिवेदन के अनुसार यह बात जांच न्यायालय में सिद्ध हो चुकी है। लेकिन, जैसा मैं बता चुका हूं, पुलिस ने भी इस मामले को अपने हाथ में ले रखा है, क्योंकि रेफरी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, इसलिये मेरा सुझाव है कि विधि को स्वयं अपने ढंग से काम करने दिया जाना चाहिये।

श्री वें० प० नायर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री को लैंसडौन के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्टस एसोसियेशन के प्रेसीडेन्ट से कोई शिकायत मिली है जिसमें उन्होंने शिकायत निश्चित आरोप लगाये हैं; और यदि हां तो क्या इस शिकायत को सत्यापन के लिये असैनिक अधिकारियों के पास भी भेजा गया है?

†**सरदार मजीठिया** : मुझे टेहरी-गढ़वाल के माननीय सदस्य, श्री भक्त दर्शन से इसकी सूचना मिली थी और मैंने सीधे यह जांच-न्यायालय बैठाने का आदेश दे दिया था। दुर्भाग्यवश मुझे कहना पडता है कि असैनिक व्यक्तियों ने इस जांच न्यायालय के साथ सहयोग नहीं किया क्योंकि वे कभी आये ही नहीं। यद्यपि उस स्थान के आफिसर कमाडर ने स्वयं दो बार और वहां के डिप्टी कमिश्नर के जरिये से भी उनसे आने के लिये कहा था लेकिन वे आये ही नहीं और इसलिये सरकार को वही जानकारी प्राप्त है जो मैं आपको बता चुका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी बातें प्रसंगतः होती हैं, वे सभी जगह ऐसा ही करते हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : श्रीमान्, बार-एसोसियेशन ने संकल्प स्वीकार किया, स्कूलों, कालेजों में हड़ताल रही और उन्होंने संकल्प स्वीकार किये। यह कोई छोटी बात नहीं जब कि विभिन्न वर्गों के व्यक्ति.....

†**अध्यक्ष महोदय** : नौजवान, चाहे वे सेना में हों या असैनिक सेवाओं में लगे हों एक से ही होते हैं; वे सब एक से ही होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर :** बार कौंसिल ने एक संकल्प पारित किया।

†**श्री अ० क० गोपालन :** क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि नागरिकों की एक सार्वजिनक सभा हुई थी, नगर और स्कूल-कालेजों में हड़ताल रही थी, और बार एसोसियेशन ने भी एक संकल्प स्वीकार कर यह इच्छा प्रगट की थी कि मामले जी जांच कराई जाये ?

†**सरदार मजीठिया :** जी हां, यह सच है कि हड़ताल हुई थी। यह बात हमारे ध्यान में आयी है। इस समय तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे बार-एसोसियेशन से कोई संकल्प मिला है, लेकिन इस संबंध में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** पूरा मामला पुलिस के हाथों में है। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं ? क्या हम पूरा घंटा इसी पर लगा दें ?

†**श्री रंगा :** कुछ भी हो, आखिर संसदीय पहलू भी तो होता है। यह नागरिकों और सेना के बीच संघर्ष की बात है। क्या उन्होंने इसे आम तौर न्यायालयों और पुलिस के भरोसे छोड़ देने की बजाय विशेष रूप से इस मामले की जांच कराने का कष्ट उठाया है ?

†**सरदार मजीठिया :** जैसा मैं बता चुका हूं, एक जांच न्यायालय फौरन ही बैठा दिया गया था और उस जांच न्यायालय ने अपनी उपपत्तियां भी दे दी हैं। यह बात सामान्य जरियों से मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। किन्तु सच बात यह है कि कुछ नागरिकों द्वारा भाग न लेने का सवाद एक पक्षीय है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** आपका सुझाव था कि प्रश्न के साथ जिस सदस्य का नाम है उसे आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब मैं इस आशय से संतुष्ट हो जाता हूं कि प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दे दिया गया है तो मैं इस नियम का पालन नहीं करूंगा। इसका विकल्प तो यह हुआ कि मैं सदस्यों के नाम ही न दूं। कई बार २० या ३० सदस्यों के नाम प्राप्त होते हैं उस अवस्था में क्या प्रत्येक सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाये। सामान्यतया मैं सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं किन्तु यदि प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दिया जा चुका है फिर मैं अगला प्रश्न लेता हूं ऐसी अवस्था में सम्भव है कि प्रत्येक सदस्य को प्रश्न पूछने कय अवसर न मिला हो। भले ही सदस्य वही क्यों न हों जिनके नाम से प्रश्न की सूचना दी थी।

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : जो कुछ उत्तर दिया गया है उस के सम्बन्ध में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा मत इससे भिन्न है।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय; क्षमा कीजिए यह प्रश्न चूंकि मेरी कांस्टटुएंसी से सम्बन्धित है, इसलिये मुझे कम से कम एक प्रश्न पूछने दिया जाए।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं जानता हू, लेकिन सारा देश मेरी कास्टीटुएंसी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि इस प्रश्न के सम्बन्ध में कोई जानकारी है तो प्रजातंत्रिक गणतंत्र के मंत्री सब अभ्यावेवेदनों की सुनवाई करेंगे। अगर कोई बात है तो मंत्री महोदय को लिखिये।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : उन्होंने कहा कि जनता ने सहयोग नहीं दिया किन्तु जहां तक मुझे जानकारी मिली है यह जांच फौजी कैम्प में की गई थी जहां जनता को प्रवेश करने की इज़ाजत नहीं थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह सच है कि जांच फौजी कैम्प में की गई थी और जनता को वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी ?

†**सरदार मजीठिया** : मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जांच न्यायालय ने नागरिकों से एक बार नहीं दो बार आने के लिये कहा था। पहली बार वे नहीं आये। उनसे दुबारा कहा गया "आकर गवाही दीजिये।"

†कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस मामले की ही चर्चा नहीं करते रहेंगे।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि इस घटना को हुए लगभग तीन महीने हो गए हैं और इस बीच में पूरी तरह एन्क्वायरी होना तो अलग, सारे बाजार को आउट आफ बांड्स कर दिया गया है और सारे बाजार में "इकोनौमिक ब्लैक आउट" सा किया हुआ है। इसके बारे में क्या गवर्नमेंट कोई निर्णय देगी ?

†**सरदार मजीठिया** : यह सच है कि इसे प्रतिसिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया था किन्तु मेरे पास ताजा जानकारी नहीं है। मैं यह आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं इस प्रश्न की जांच करूंगा तथा यह अधिक अब प्रतिसिद्ध नहीं रहेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह समान्य प्रश्न है; किन्तु अनेक सदस्य इसमें रुचि रखते हैं और सम्पूर्ण नगर इसके विरुद्ध दिखाई देता है। सेना और जनता में इस प्रकार का सम्बन्ध स्तुत्य नहीं है। दूसरा प्रश्न।

सिपाही—क्लर्क[२]

+

†*८३३. { **श्री वारियर** :
श्री कुन्हन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्धोत्तर अवधि में भरती किये गये सिपाही-क्लर्कों असैनिक सेवाओं में नियुक्ति के समय वार्षिक वेतन-वृद्धि आदि के लिये उनकी पिछली सेवा की गणना नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं। भूतपूर्व सैनिक जिस असैनिक पद पर नियुक्त किया गया हो उसके न्यूनतम वेतन क्रम के बराबर अथवा उससे अधिक वेतनक्रम में उसने जितने पूर्ण वर्षों तक नौकरी की है उन सब को उसका प्रारम्भिक वेतन निश्चित करने के हेतु वेतन वृद्धियां देने के लिये गिना जाना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२]Sepoy Clerks.

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री बारियर :** जब हवलदार क्लर्कों को भर्ती किया जाता है तो उन्हें यह वेतन वृद्धियां और पदोन्नतियां दी जाती हैं। सिपाही क्लर्कों के बारे में यह भेद भाव क्यों किया जाता है ?

†**श्री दातार :** यह भेद भाव नहीं है। माननीय सदस्य ने सिपाही क्लर्कों के बारे में प्रश्न पूछा था इसलिये यह उत्तर दिया गया है।

†**श्री बारियर :** हवलदार क्लर्क भी उसी वर्ग में होते हैं परन्तु जब उन्हें असैनिक पदों पर भेजा जाता है तो उन्हें वेतन वृद्धियां और सभी सुविधाएं दी जाती हैं। सिपाही क्लर्कों को इनसे क्यों वंचित रखा जाता है ?

†**श्री दातार :** हम इस बारे में एकरूप नीति के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

†**श्री वें० प० नायर :** भेदभाव की एकरूप नीति।

†**श्री कोडियान :** क्या यह सच है कि वेतन वृद्धि और वरिष्ठता के प्रश्न का निर्णय करने के लिये केवल उन्हीं व्यक्तियों की सेवाओं के बारे में विचार किया जाता है जिनका मूल वेतन सेना से छंटनी के समय ५५ रुपये होता है ?

†**श्री दातार :** मैंने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल स्पष्ट है। उस नौकरी का मूल वेतन निर्धारित करने के लिये जहां उन्हें नियुक्त किया जाता है उनकी सेवा के सभी पूर्ण वर्ष और वहां के मूल वेतन को देखा जाता है।

सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३

†***८३४. श्री स० चं० सामन्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ में कर जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधन करना चाहती है; और

(ख) यदि सरकार को कर जांच आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करने में कोई कठिनाइयां हो रही हैं तो वे क्या हैं?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख). इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच है कि भारत की अपेक्षा अन्य सभी देशों में विमुक्ति सीमा कम है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों में यह भारत की अपेक्षा अधिक है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या सम्पदा शुल्क की दरें नियत करने के बारे में कोई शिकायतें और उसके खिलाफ कोई अपीलें सरकार को मिली हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** हम अब तक लगभग १२,००० मामलों का निबटारा कर चुके हैं। केवल एक मामले में मूल्यांकन के खिलाफ अपील की गई है। ऐसा जान पड़ता है कि किसी ने शिकायतों को इतना गम्भीर नहीं समझा कि अपील की जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह देखते हुए कि सम्पदा शुल्क की वसूली के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और जो हिसाब लगाये गये थे वे लाभदायक सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि प्राक्कलन की अपेक्षा वास्तविक वसूली बहुत कम हुई, क्या सरकार अधिनियम में कोई ऐसा संशोधन करना चाहती है जिससे कर वस्तु के रूप में एकत्र किया जा सके जैसा कि ब्रिटेन में किया जाता है और वहां पर बहुत लोक प्रिय है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है; परन्तु मैं सभा को यह बता देना चाहता हूँ कि हमारी आशा के अनुकुल वसूली न होने का केवल यही कारण नहीं है कि मृत्यु के जिन आंकड़ों पर हमारा हिसाब आधारित था वे गलत निकले हैं बल्कि इसका यह भी कारण है कि लोगों द्वारा अपने जीवन काल में दिये जाने वाले उपहारों के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि कर जांच आयोग की अन्तः जीवी अवधि को २ वर्ष से बढ़ा कर ५ वर्ष करने की सिफारिश स्वीकार भी कर ली जाये तो भारत में इससे अधिक लाभ न होगा क्योंकि हमारे लोगों की यह आदत है कि वे आयकर से बचने के लिये और "स्लैब" को कम करने के लिये अपने जीवन काल में ही बटवारा कर देते हैं अथवा उपहार दे देते हैं। अधिनियम की कार्यान्विति और इसे नया रूप देने के बारे में हम विचार कर रहे हैं ; और मुझे आशा है कि नवम्बर सत्र में मैं सभा के समक्ष कोई प्रस्थापना रख सकूंगा।

†**श्री महन्ती** : क्या सरकार समय समय पर सम्पदा शुल्क अधिनियम की कार्यान्विति का पुनरावलोकन करती रहती है; और यदि हां, तो क्या यह सच है कि इसी दौरान में बम्बई और कलकत्ता में कई लखपति बिना एक पैसा छोड़े मर गये हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं अपने माननीय मित्र को बता दूं कि मैं निधन समाचार स्तम्भ बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ और मुझे लखपति व्यक्तियों के निधन के अधिक समाचार दिखाई नहीं दिये। परन्तु हम इसका पुनरावलोकन कर रहे हैं। इस विधान में कई कमियां हैं। जैसा कि आप को मालूम है, हम उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् जिस की सम्पत्ति पर कर लगाया जाना होता है छः मास की अवधि समाप्त होने से पूर्व कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। भुगतान की अवधि ८ वर्ष है। विधान में कई कमियां हैं जिनसे लोग अनुचित लाभ उठा रहे हैं और हमें आय नहीं हो रही है। हमें इन बातों को समझना है। यह एक नया अधिनियम है जोकि एक ऐसे देश में लागू किया गया है जहां के लोगों की आदतें उन देशों के लोगों से भिन्न हैं जहां इस अधिनियम को प्रयोग में लाया जा चुका है। इसीलिये मैं ने कहा था कि मैं नवम्बर के सत्र में इस अधिनियम के रूपभेद के लिये कुछ प्रस्थापनायें रखूंगा।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या सम्पदा शुल्क अधिनियम में संशोधन करने की कोई प्रस्थापना है ? क्या इसका कारण कर अपवंचन का बढ़ जाना है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैंने बताया कि वसूली बहुत कम है और इसका कारण यह हो सकता है कि लोग अपने जीवन काल में कुछ उपहार दे देते हैं। आप इसे कर अपवंचन कह सकते हैं, परन्तु विधि की दृष्टि से इसे कर अपवंचन नहीं कहा जा सकता।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : कौन से राज्य इस अधिनियम को कृषि भूमि पर लागू करने के लिये सहमत हो गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरा ख्याल है कि दो के अतिरिक्त शेष सभी राज्य सहमत हो गये थे। परन्तु मैं कोई निश्चित वक्तव्य नहीं देना चाहता। यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछें तो मैं बता दूंगा।

†श्री नार्ग रेड्डी : यह देखते हुए कि कई लखपति व्यक्ति अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी सारी सम्पत्ति उपहार में दे देते हैं, क्या वित्त मंत्री उपहार कर लगाने के विषय में गम्भीरता से विचार करेंगे?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

सरकारी उपक्रम

+

†*८३५. { श्री महन्ती :
श्री मोहम्मद इमामः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रम लाभ की घोषणा करते रहे हैं;

(ख) ऐसे उपक्रमों में ३१ मार्च, १६५७ तक कुल कितनी पूंजी विनियोजित थी; और

(ग) इन साधनों से सामान्य राजस्व में कितना प्रतिशत अंशदान प्राप्त होता है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : यह जानकारी भारत सरकार के मंत्रालयों से एकत्र की जानी है। अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १] एक और विवरण यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रखा जायेगा।

†श्री महन्ती : विवरण से पता चलता है कि यद्यपि ३१-३-५७ तक ६७.३१ करोड़ रुपये विनियोजित किये जा चुके हैं तथापि विनियोजन अंशदान अनुपात शून्य के ही सामान है। क्या सरकार ने प्रश्न के इस पहलू का अनुसंधान करने के लिये कोई व्यवस्था की है?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य विवरण में दिये गये ब्योरे को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि बहुत से उपक्रमों का, जिन पर अधिक पूंजी लग रही है, अभी निर्माण हो रहा है। अतः यह निष्कर्ष निकालना ठीक न होगा कि क्यों ६७ करोड़ रुपये की पूंजी लगी है और कोई लाभ नहीं हो रहा है इसलिये इसकी जांच की जानी चाहिये। आशा है कि अगले दो वर्ष में राशि काफी बढ़ जायेगी परन्तु तब भी मिलना आरम्भ नहीं होगा। १६६०-६१ से पूर्व हमें इस पूंजी से कोई लाभ प्राप्त होने की कोइ सम्भावना दिखाई नहीं देता।

†श्री महन्ती : मुझे दो या तीन प्रश्न पूछने हैं। अत्यन्त नम्रता से मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने अभी अभी जो कुछ कहा मैं उस से सहमत नहीं हूँ क्यों कि केवल दो या तीन इस्पात कारखानों का ही अभी निर्माण हो रहा है। शेष सब परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि जिन देशों में सरकारें वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रमों में सक्रिय भाग

†मूल अंग्रेजी में

लेती हैं वहां इन उपक्रमों के लाभ से उनका राजस्व काफी बढ़ जाता है। प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड या इंडियन एयर लाईन्स कारपोरेशन या ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई जैसे उपक्रम लाभ की घोषणा क्यों नहीं करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों ने — न मालूम कितने सदस्यों ने—उपक्रमों की सूची देखी होगी। उनकी संख्या २३ या २५ है। यह ज़रूरी नहीं कि एक उपक्रम से लाभ हो रहा है इसलिये दूसरे से भी लाभ प्राप्त हों। क्या इसका यह अर्थ है कि मैं प्रश्नकाल को प्रत्येक उपक्रम के प्रशासन प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रश्नों में ही व्यतीत हो जाने दूं ? मैंने सभा को केवल यह जानने का अवसर दिया है। यदि कोई माननीय सदस्य किसी विशेष उपक्रम के बारे में जानना चाहते हैं तो वह उसी के बारे में प्रश्न पूछें। तब माननीय मंत्री उस उपक्रम के बारे में प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। फिर भी, प्रश्नकाल का उपयोग इस चर्चा के लिये नहीं किया जाना चाहिये कि लाभ होना चाहिये अथवा नहीं। और भी कई तरीके हैं। मैं तीनों प्रश्नों की स्वीकृति नहीं दे सकता।

†**श्री महन्ती** : यह प्रश्न नहीं है। मैं प्रश्न पूछने वाला हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य ने अभी प्रश्न नहीं पूछे तो मैं उनकी स्वीकृति नहीं दे सकता।

†**श्री महन्ती** : आप ज़रा मेरी बात धैर्यतापूर्वक सुनने की कृपा तो करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सुन चुका हूं।

श्री महन्ती : मैं इसके विरोधस्वरूप बाहर चला जाऊंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप ऐसा कर सकते हैं।

†**श्री महन्ती** : मैं इस बात पर विरोध प्रकट करता हूं कि.....

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य इस प्रकार सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकते। एक होटल से लेकर इलैक्ट्रानिक्स तक २५ उपक्रम बताये गये हैं। यह एक वर्ग के नहीं बल्कि सभी प्रकार के उपक्रम हैं। क्या वह यह आशा करते हैं कि माननीय मंत्री एक साथ अशोक होटल और बंगलौर में इलैक्ट्रानिक्स के बारे में प्रश्नों के उत्तर दें ? क्या माननीय मंत्री के लिये यह बताना सम्भव है कि प्रत्येक उपक्रम कैसे चल रहा है। एक से क्यों लाभ हो रहा है और दूसरे से क्यों नहीं। प्रश्नकाल का यह उद्देश्य नहीं है। उन्होंने यह जानकारी मांगी है। उन्हें एक उपक्रम के बारे में प्रश्न की सूचना देनी चाहिये और वह भी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से है। यदि वे चर्चा करना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं और ठीक प्रकार कार्य न करने के लिये सरकार की निन्दा करना चाहते हैं तो उन्हें यह सब दूसरे अवसरों पर करना चाहिये। विरोध करने और उठ कर बाहर जाने से कोई लाभ नहीं है।

†**श्री महन्ती** : परन्तु आप तो मुझे स्पष्टीकरण भी नहीं करने देते। आप मेरे प्रश्न की पूर्व कल्पना कर रहे हैं। आप कल्पना करके मेरे प्रश्न कैसे जान सकते हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नों की कोई प्रस्तावना नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक प्रश्न स्पष्ट, एक ही मामले के बारे में और संक्षिप्त होना चाहिये। माननीय सदस्य के प्रश्न में मैं ये बातें नहीं देखता। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं अगला प्रश्न लेता हूँ।

(इस समय श्री महन्ती सभा से उठकर बाहर चले गये)

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मक्खी विरोधी सप्ताह

*८३६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ सालों से भारत की सभी छावनियों में मक्खी-विरोधी व मच्छर-विरोधी सप्ताह मनाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सप्ताह मनाने के उद्देश्य में कहां तक सफलता मिली है; और

(ग) सप्ताह मनाने पर प्रत्येक छावनी में प्रतिरक्षा मंत्रालय व छावनी बोर्ड द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई?

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़) : (क) जी हां।

(ख) स सप्ताह का मानना बहुत लाभदायक हुआ है क्योंकि यह सैन्यदल, उनके कुटुम्ब और उस क्षेत्र में रहने वाले असैनिक को मक्खियों और मच्छरों से जनित बीमारियों में निरोधक पग उठाने का अवसर प्रदान करता है।

(ग) प्रतिरक्षा विभाग (स्टेशन हाइजीन आर्गेनाइजेशन) ने १९५५-५७ में १०८०.६८ रु० व्यय किया। कुछ छावनियों द्वारा खर्च की गई राशि नीचे दी गई है—

आगरा छावनी बोर्ड	५००.०० रु०
अम्बाला छावनी बोर्ड	२००.०० रु०
डगशै छावनी बोर्ड	६१.०० रु०
डल्हौजी छावनी बोर्ड	५०.०० रु०
देवलाली छावनी बोर्ड	५०.०० रु०
फिरोज़पुर छावनी बोर्ड	१००.०० रु०
फतेहगढ़ छावनी बोर्ड	८.५६ रु०
लैन्सडाऊन छावनी बोर्ड	२००.०० रु०
मथुरा छावनी बोर्ड	२९०.०० रु०
पूना छावनी बोर्ड	२००.०० रु०
कुल	१,६५९.५६

†**कुछ माननीय सदस्य** : अंग्रेज़ी में उत्तर।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सप्ताह का नाम एंटी फ्लाई और एंटो मास्क्वीटो यानी मक्खी और मच्छर विरोधी सप्ताह क्यों रखा गया है। इन्हीं दो चीजों को खासतौर से क्यों चुना गया है। इस सप्ताह का नाम स्वच्छता सप्ताह क्यों नहीं रखा जाता?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : सच तो यह है कि यह सप्ताह मनाने का प्रयोजन नागरिकों और कर्मचारियों का ध्यान उन रोगों की ओर आकर्षित करना है जो मच्छर और मक्खियों से पैदा होते हैं और जो संकट उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य-विद्या आदि का भी ध्यान रखा जाता है। यह सप्ताह इन बातों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि जैसे जैसे यह सप्ताह आगे चलता जा रहा है इसमें जनता का उत्साह घटता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसको और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कोई हिदायत दी जा रही हैं ताकि अगले साल से यह ज्यादा सफल हो?

†**सरदार मजीठिया** : इसमें काफी प्रगति हो रही है। मेरे ख्याल से और भी प्रगति होगी।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि इस पर एक हजार रुपये से अधिक खर्च हो चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह राशि कृमि नाशक औषधियां खरीदने पर खर्च की गई है या कि मक्खियां मारने वाले यन्त्र खरीदने पर।

†**सरदार मजीठिया** : यह बिल्कुल अलग है। यह केवल प्रचार—चित्र दिखाने आदि पर खर्च की गई है।

श्री खादीवाला : मेरा सुझाव यह है कि "मक्खी-विरोधी और मच्छर विरोधी" के साथ चूहा-विरोधी" और जोड़ दिया जाय।

श्री त्यागी : कैन्टोनमेंटस में चूहे नहीं होते।

†**अध्यक्ष महोदय**: अन्य प्रमुख देशों में ऐसा ही किया गया है और वहां अब मच्छर और मक्खियों का निशान तक नहीं है। यह तो साधारण बात है। हमारे पड़ौसी देश में भी ऐसा ही किया गया है। परन्तु यदि माननीय सदस्य सब मक्खियों को अपने घर में रखना चाहते हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

टाटा—ट्राम्बे थर्मल स्टेशन

†*८३७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार टाटा-ट्राम्बे थर्मल स्टेशन परियोजना के पुनर्निर्माण और विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण लेने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) सहायता किस प्रकार की होगी?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). पुनर्निर्माण और विकास कार्य के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के साथ २९ मई, १९५७ को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अन्तर्गत टाटा जलविद्युत समवायों को ट्राम्बे थर्मल स्टेशन परियोजना के लिये ९८ लाख डालर ऋण दिया गया है।

श्री विभूति मिश्र : सरकार इस कर्जे से कौन कौन सा सामान लेगी?

श्री ब० रा० भगत : बिजली उत्पादन करने के लिये जिस सामान की ज़रूरत पड़ेगी, वह सब लिया जायगा।

सेठ अचल सिंह: : यह लोन किस इन्ट्रैस्ट पर और किन शर्तों पर लिया गया है?

श्री ब० रा० भगत : इन्ट्रैस्ट (ब्याज) ५/८ परसेंट (प्रतिशत) है और दूसरी शर्त यह है कि यह कर्ज अठारह साल के लिए लिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

†*८३८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोजन ने सरकार को १९५७–५८ के लिये अपने कार्य की योजना भेज दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) अभी नहीं । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग १९५७–५८ के लिये कार्यक्रम तैयार कर रहा है और आशा है कि अगले सप्ताह तक उसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

(ख) आशा है कि आयोग पंजाब, जैसलमेर, खम्बात और कच्छ क्षेत्रों में भूतत्वीय और भू-भौतिकीय खोज का काम जारी रखेगा और यह भी सम्भव है कि उत्तर प्रदेश और आसाम के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में भी इसी प्रकार का अनुसन्धान किया जाये । ज्वालामुखी में गहरे छिद्र करने और पंजाब, खम्बात और कच्छ में संरचनात्मक छिद्र करने[५] का काम जारी रहेगा ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** कितने स्थानों पर ऐसे सर्वेक्षण किये गये हैं और पूरे हो चुके हैं। कितने स्थानों पर तेल की खोज का काम आरम्भ हो गया है और वहां क्या परिणाम निकले हैं।

†**श्री के० दे० मालवीय :** तेल के लिये सर्वेक्षण का काम लगातार चलता है और पंजाब में कुछ चुने हुए क्षेत्रों, राजस्थान में जैसलमेर, खम्बात और कच्छ क्षेत्रों में यह काम चल रहा है। जब भू-तत्वीय और अन्य सर्वेक्षणों का कोई निश्चित परिणाम प्राप्त होता है तभी विस्तृत खोज आरम्भ की जाती है । हम देश के कई भागों में तेल की खोज के लिये अनुसन्धान आरम्भ कर रहे हैं ।

†**श्री कासलीवाल :** मेरा ख्याल है कि जैसलमेर क्षेत्र में वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण[६] पूरा हो चुका है परन्तु आगे और सर्वेक्षण आरम्भ किया जा रहा है । इस क्षेत्र में तेल की खोज के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** कनाडा के दल द्वारा वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों का पता चला था जहां उपयुक्त गहराई के छिद्र किये गये हैं जिस से कि तेल की खोज की जा सके । वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षणों के दौरान में भू-तत्वीय सर्वेक्षण और अनुसन्धान भी किये जाते हैं। वे किये जा रहे हैं । मानसून के कारण काम रोक दिया गया है। मानसून के ठीक पश्चात् भू-तत्वीय सर्वेक्षण पुनः आरम्भ किया जायेगा और यदि इस बात की पुष्टि हो जाये कि उपयुक्त परिणाम प्राप्त होंगे तो हम संरचनात्मक अथवा प्रारम्भिक छिद्र करना आरम्भ कर देंगे ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही करेगी कि वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व कार्यक्रम के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया जाये क्योंकि १९५७–५८ के कार्यक्रम के बारे में अन्तिम निर्णय करने में बड़ा विलम्ब हुआ था ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं प्रश्न नहीं समझा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[५] Deep drilling.

[६] Stenctural drilling.

[६] Aero-magnetic survey.

†श्री वें० प० नायर : वर्ष आरम्भ हुए छः मास से अधिक समय बीत चुका है और बताया गया है कि अगले सप्ताह कार्यक्रम के बारे में अन्तिम निर्णय किया जायेगा। क्या सरकार कोई ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे कि वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व कार्यक्रम निश्चित कर लिया जाये ?

†श्री के० दे० मालवीय: इस बारे में कुछ गलतफहमी जान पड़ती है। कार्यक्रम तो निश्चित है। इसका निरन्तर पुनरावलोकन किया जाता है। आगे और परिणाम प्राप्त होने पर देश भर में के सर्वेक्षण और खोज सम्बन्धी कार्यक्रम में कुछ रूप भेद करने की आवश्यकता होती है। उस रूपभेद के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। यह कार्यक्रम का अन्तिम रूप नहीं है। प्रत्येक स्थान पर रूपभेद करना होता है।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार यह बता सकती है कि सर्वेक्षण सम्पन्न हो जाने के पश्चात् कार्यक्रम विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया जायेगा; और यदि हां, तो यह विभक्ति किस प्रकार की जायेगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : हमारी नीति कई स्थानों पर तेल की खोज आरम्भ करने की है ताकि यदि हम एक स्थान पर असफल रहें तो किसी दूसरे स्थान पर सफलता प्राप्त हो सके और हमें निराश न होना पड़े। इस समय हम चार या पांच स्थानों पर तेल की खोज कर रहे हैं। जहां तक कार्यक्रम के क्रमबद्ध करने का सम्बन्ध है, इन चार या पांच स्थानों पर सर्वेक्षण और खोज का काम आरम्भ किया जा रहा है——यह काम जारी रहेगा ताकि यदि एक स्थान पर सफलता प्राप्त नहीं होती तो दूसरे स्थान पर हो जाये।

†श्री जयपाल सिंह : माननीय मंत्री ने बताया कि उन राज्यों में से बिहार भी एक था जहां तेल की खोज की गई थी। क्या सरकार को इस बात का पूरा सन्तोष है कि दक्षिण बिहार में भू-तत्वीय सर्वेक्षण समाप्त कर दिया गया है और उस क्षेत्र में और खोज नहीं की जायेगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : दक्षिण बिहार में हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे हमें वहां तेल की खोज करने का प्रोत्साहन मिलता।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या तेल की खोज सामान्यतः उन सिफारिशों के अनुसार की जा रही है जो गत वर्ष रूसी विशेषज्ञों ने अपने प्रतिवेदन में दी थी अथवा उसमें कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि कोई परिवर्तन किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : समय समय पर कायक्रम का पुनरावलोकन किया जाता है और क्योंकि हम और जानकारी प्राप्त होती रहती है इसलिये रूसी दल द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्थापनाओं में कुछ तबदीली की गई है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह देखते हुए कि जैसलमेर क्षेत्र में केवल दो या तीन इंच वर्षा होती है, क्या मानसून के कारण काम रोकना ठीक होगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : वहां गरमी भी बहुत अधिक है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यही समय सब से अच्छा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान शिक्षा बोर्ड

†*८३९. **श्री कोडियान :** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान शिक्षा बोर्ड भारत संघ में किसी बोर्ड से सम्बद्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसे सम्बद्ध करने का मामला विचाराधीन है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) वहां केवल एक सरकारी हाई स्कूल है जो कि इस समय पश्चिमी बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कोडियान :** क्या कोई ऐसी सिफारिश की गई है अथवा अन्दमान के लोगों के प्रतिनिधियों ने यह मांग की है कि अन्दमान शिक्षा बोर्ड अजमेर के शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध कर दिया जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां; हाई स्कूल को केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध करने की मांग की गई थी ।

†**श्री कोडियान :** अन्दमान के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे ख्याल से हिन्दी है परन्तु सम्भव है कि कोई और हो ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति:** जब कि अधिकतर लोग उन व्यक्तियों की सन्तान हैं जो दक्षिण भारत से वहां बसाये गये हैं, तो फिर इस स्कूल को पश्चिमी बंगाल सरकार से क्यों सम्बद्ध किया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** शिक्षा का माध्यम हिन्दी है । इसलिये इसे केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध करने का सुझाव है और हम ने सम्बद्ध करने के लिये प्रशासन को लिख भी दिया है ।

†**श्री तंगामणि :** मुझे पता चला है कि इस सरकारी हाई स्कूल में शिक्षा का माध्यम बंगला और हिन्दी है । यह देखते हुए कि अन्दमान की ५० प्रतिशत से अधिक जनसंख्या तामिल भाषी है क्या तामिल को भी शिक्षा का माध्यम बनाया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की शिक्षा देने का भी विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** जी नहीं ।

†**श्री तंगामणि :** वहां पहले ही बंगला पढ़ाई जाती है ।

†**श्री वें० प० नायर:** मंत्री महोदय ने बताया है कि अन्दमान में एक ही हाईस्कूल है । अन्दमान में स्कूल जाने वाली आयु के बच्चों में से इस समय कितने प्रतिशत को शिक्षा सुविधायें प्राप्त हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली: माननीय सदस्य इस प्रश्न के क्षेत्र के बाहर जा रहे हैं। वह अलग प्रश्न पूछ लें।

कृषि आय-कर

+

†*८४०. { डा० राम० सुभग सिंह :
श्री वाजपेयी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि भ-राजस्व के स्थान पर कृषि-आय कर लगाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की प्रतिक्रियायें क्या हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या वित्त मंत्री की यह राय है कि भू-राजस्व प्रणाली के स्थान पर एक कृषि आय-कर प्रणाली होनी चाहिये; और यदि हां, तो क्या इस प्रणाली को लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कहने के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल के अपने अन्य साथियों से बातचीत की है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वस्तुत: मेरा यह विचार नहीं है। फिर भी, मेरे विचार मेरे अपने निजी विचार हैं। उनका मंत्रिमंडल या भारत सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विषय पर मेरे कुछ विचार हो सकते हैं और हो सकता है कि मैंने कहीं उनकी चर्चा की हो। इस बात को ठीक प्रकार से प्रतिवेदित नहीं किया गया है। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि भू-राजस्व प्रणाली को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है और कृषि-आय-कर प्रणाली इसका स्थान ले सकती है। अन्य कई बातें भी हैं जो इस के बीच में आयेंगी। सम्भवत: माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई मंत्री एक विद्यार्थी भी हो सकता है और उसके कुछ बौद्धिक प्रकार के अपने निजी विचार भी हो सकते हैं ?

†श्री नागी रेड्डी : क्या सरकार ने राज्य सरकारों से यह सिफ़ारिश की है कि वे तुरन्त ही कृषि-आय-कर अधिनियम बनाएं और इसे कार्यान्वित करें ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच नहीं है कि कृषि आय-कर को कृषि उत्पादन के साथ सम्बद्ध किया जायेगा और इसलिए इस से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा ? यदि हां, तो देश से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए क्या सरकार का राज्य सरकारों के सभी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने और इस मामले पर उन से बातचीत करने का प्रस्ताव है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं केवल उनकी राय जानना चाहती थी।

---

† मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के कई सुझाव हैं। क्या मैं प्रश्न काल को उनके लिए उपयोग करूं ?

†श्री ब० स० मूर्त्ति : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि कुछ राज्य सरकारें पहिले ही से इस कृषि आय-कर को लागू कर रही हैं ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जी, हां । मेरे विचार में लगभग आठ राज्यों में कृषि आय-कर लागू है और राज्यों से पुनर्गठन से पूर्व अन्य चार में भी यह कृषि आय-कर लागू था।

अनाज पर अग्रिम धन[7]

†*८४१. श्री जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९५७ में भारत के रक्षित बैंक द्वारा निदेश निर्गमित किये जाने के बाद से अनुसूचित बैंकों द्वारा अनाज पर कुल कितनी रकम दी गई है; और

(ख) निदेश से पहिले अनाज पर दी जाने वाली पेशगियों की तुलना में यह रकम कैसी बैठती है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख). किसी विशिष्ट अवधि में बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम धन की राशि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्य नहीं है। परन्तु यदि माननीय सदस्य निदेश जारी किये जाने से पहिले तथा बाद में पेशगियों का स्तर जानना चाहते हैं तो उसका उत्तर यह है कि ३१ मई, १९५७ को अग्रिम धन की राशि लगभग ४३ करोड रुपये थी, २८ जून, १९५७ को ४० करोड़ रुपये और १२ जुलाई, १९५७ को कम हो कर ३५ करोड़ रुपये हो गई थी।

†श्री जाधव : चावल तथा अन्य अनाज खरीदने के लिए किसी एक व्यक्ति को कितनी रकम दी जा सकती है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : व्यक्तियों को ? मुझे इस सम्बन्ध में प्रत्येक बैंक से पूछना होगा ।

†श्री जाधव : यह किसी ऐसे एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है जो इन बातों में व्यवहार करता है । संबंधित बैंक.....

†अध्यक्ष महोदय : श्री त्रि० कु० चौधरी ।

†श्री त्रि० कु० चौधरी : क्या सरकार को मालूम है कि अनुसूचित बैंकों द्वारा अनाज पर अधिकतम अग्रिम धन की कितनी राशि दी जाती है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अग्रिम धन के सम्बन्ध में मेरे साथी द्वारा सामान्य आंकड़े दिये गये हैं। हां, यह आंकड़े एक महीना पुराने हैं। उसके बाद के हमारे पास प्राक्कलन अवश्य आये हैं। वस्तुतः ठीक आंकड़े प्राप्त करने में लगभग चार सप्ताह लग जाते हैं। परन्तु पूर्वानुमान पहिले प्राप्त हो जाते हैं। प्राक्कलनों से यह पता चला है कि अग्रिम धन की राशि तेजी से कम हो रही है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[7] Advances against Foodgrains.

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या अनाज पर अग्रिम धन देने के लिए कोई उच्चतम सीमा नियत की गई है या कोई रोक नहीं है और बैंक जितनी भी चाहें रकम दे सकते हैं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक प्रत्येक बैंक का सम्बन्ध है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, विभिन्न बैंकों के सम्बन्ध में । क्या सरकार द्वारा कोई सीमा नियत की गई है या नहीं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जो उच्चतम सीमा नियत की गई है उसका सम्बन्ध पिछले वर्ष दिये गये अग्रिम धन से है । कोई परम सीमा[*] नहीं हो सकती है । उच्चतम सीमा पिछले वर्ष दिये गये अग्रिम धन की राशि को देखते हुए निश्चित की जाती है । इसीलिए मैं ने कहा है कि प्रस्तुत प्राक्कलनों से पता चलता है कि वे पिछले वर्ष लगभग इसी अवधि में अनाज पर दिये गये अग्रिम धन से कहीं कम हैं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : चावल के लिए अग्रिम धन की राशि कितनी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय के पास पृथक आंकड़े हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे पास अनाज वार अलग अलग आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि अप्रैल के ठीक मध्य तक या अप्रैल के अन्त तक किसानों को अग्रिम धन की रकम बराबर दी जाती रहती है ताकि वे अपने करों की अदायगी कर सकें और अपने अन्य खर्च पूरे कर सकें, और उस समय के बाद से रकमों को पुनः लौटाया जाने लगता है और इसीलिए अग्रिम धन की राशि कम हो जाती है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इस बात से स्थिति ठीक प्रकार से स्पष्ट हो जाती है ।

श्री साधन गुप्त : क्या इस बात के लिए कोई व्यवस्था है कि अनुसूचित बैंक "अनाज" के अधीन पेशगियों को अन्य शीर्षों के अन्तर्गत न दिखा सकें । यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे माननीय मित्र ने जिस बात की चर्चा की है, अर्थात् किसी अन्य प्रकार के सामान के लिए अग्रिम धन ले लिया जाये और उसे अनाज के लिए उपयोग किया जाये, यह भी अपवंचन का एक ढंग है । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि अलग-अलग बैंकों द्वारा दी जाने वाली अग्रिम राशियों की देख रेख के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं, मुझे खेद है कि रक्षित बैंक इस सम्बन्ध में प्रभावी रूप से कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं हैं । परन्तु वह प्रत्येक बैंक द्वारा दी गई पेशगी की प्रत्येक रकम की जांच करता है और सामान्यतः स्थिति पर निगरानी रखता है । हमें आशा है कि शीघ्र ही उन पेशगियों की कुछ अधिक पड़ताल कर सकेंगे । परन्तु सामने बैठे मेरे माननीय मित्र ने जिस स्थिति की चर्चा की है वहां तक पहुंचने के लिए मेरे विचार मे कुछ समय लगेगा ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : अनाज के बढ़ रहे दामों तथा बैंक द्वारा दी जाने वाली पेशगियों के कारण संचय करने की जो पद्धति है उसे देखते हुए अनाज पर अग्रिम धन दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर क्या सरकार विचार करेगी ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[*] Absolute Ceiling.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अग्रेतर पेशगियों को प्रतिषिद्ध करने पर ? अब तो मन्दी के दिन हैं। मेरे विचार में अब अग्रिम धन के लिए नई रकमें नहीं दी जा रही हैं। परन्तु जो पेशगियां दी जा चुकी हैं उनके सम्बन्ध में और अधिक रकमें (मार्जिन) मांग कर पेशगी की रकम को कम करना होगा। परन्तु जैसा कि आप जानते हैं और जैसा कि माननीय सदस्य भी जानते हैं, ऋणी से जल्दी ही रकम वापिस लेना सदैव ही सम्भव नहीं होता है। आप केवल दबाव डाल सकते हैं और दबाव का प्रभाव कुछ धीरे धीरे ही होता है।

†**श्री दासप्पा :** पिछले वर्ष, अर्थात् १९५६ की इसी अवधि में कितनी रकम दी गई थी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे साथी द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में दी गई पेशगियों की राशि से इस वर्ष अग्रिम धन की राशि कुछ अधिक है। लगभग दो प्रतिशत अधिक है। रक्षित बैंक द्वारा "मार्जन" का पुनरीक्षण करने के लिये जो निदेश दिये गये हैं उन्हें लागू नहीं किया गया है। उसके बाद से मैं ने देखा है कि पिछले वर्ष दिये गये अग्रिम धन से इस वर्ष की राशि कम है।

गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†*८४३. **श्री राधा रमण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनी हुई भवन-परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए योजना परियोजनाओं से सम्बन्धित समिति के अधीन जो दल गठित किया गया था क्या उसने राज्यों की गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनाओं के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री राधा रमण :** गन्दी बस्तियों को हटाने के कार्य से संबंधित योजनाओं की जांच करने, विभिन्न राज्यों से योजनाओं की मांग करने और उन योजनाओं के लिए धन आवंटित करने के सम्बन्ध में क्या योजना आयोग ने एक संस्था स्थापित की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय योजना परियोजनाओं से संबंधित इस समिति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था से है ?

†**श्री राधा रमण :** जी, हां।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी**: योजना आयोग के साथ एक आवास तालिका[1] सम्बद्ध है जो अन्य बातों के अलावा गन्दी बस्तियों को हटाने के प्रश्न पर भी विचार करती है।

†**श्री राधा रमण :** 'भवन परियोजनाओं' का वस्तुतः अर्थ क्या है और इन भवन परियोजनाओं से सरकार की मन्शा क्या है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी**: ये सरकार द्वारा बनाई जाने वाली इमारतें हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : मद्रास नगर में गन्दी बस्तियों को हटाने के कार्य के लिए क्या सरकार मद्रास निगम के प्रार्थना पत्र पर विचार कर रही है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[1] Housing Panel.

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे विचार में हाल ही में १ करोड़ रुपये की रकम की मंजूरी दी गई है और इस में से मद्रास को लगभग १६ लाख रुपये मिले हैं। यह उचित हिस्सा है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच है कि कलकत्ता तथा ज़िलों के छोटे नगरों में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार ने भी वित्त मंत्रालय को कुछ रकम के लिए एक योजना प्रस्तुत की है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी**: : मैं चाहूंगा कि प्रश्न दुहरा दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक माननीय सदस्य अपने राज्य के बारे में प्रश्न पूछना चाहेंगे। इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने राज्य के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं ?

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या गन्दी बतिस्यों को हटाने के कार्य के लिए तथा द्वितीय योजना की अवधि में इसके जिस भाग को हटाया जायेगा उसके सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : योजना में लक्ष्यों की चर्चा की गई है, परन्तु समय समय पर इन बातों में परिवर्तन होता रहता है। गन्दी बस्तियों को हटाने तथा निम्न आय वर्गों के लिए मकानों की व्यवस्था करने के इस प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार इस समय बहुत चिन्तित है। हो सकता है कि योजनायें पूरी हो जाने पर लक्ष्य भी बदल जाएं। अब हम केवल इसी प्रयोजना के लिए धन के उपयोग पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं, अर्थात्, विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आवंटित राशियों का यदि किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाये तो उन्हें किसी अन्य कार्य के लिए खर्च किया जाये। योजना आयोग इस समस्या से भलीभांति जागरूक है और यह सम्भव है कि गन्दी बतिस्यों को हटाने का कार्य पहिले से कहीं तेज़ी से हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री के पास पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में जानकारी है तो वे कृपया बता दें।

†**श्रीमती इला पाल चौधरी** : धन्यवाद।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मोटे तौर पर मैं यह बता दूं कि इस मामले के सम्बन्ध में मैं पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से निकट सम्पर्क में रहा हूं और मैं ने जो कुछ भी बातचीत की थी उसे अपने सहयोगी, निर्माण, आवास और संभरण मंत्री, को बताता रहा हूं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही जब उनकी मांगों पर विचार किया जायेगा तब मेरे सहयोगी द्वारा इस प्रश्न का भी उत्तर दिया जायेगा। मुझे आशा है कि उस उत्तर से इस सभा के माननीय सदस्यों को यह विश्वास हो जायेगा कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्न कर रही है।

आसाम में भूकम्प

†*८४४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २ जुलाई, १९५७ को सारे आसाम में भूकम्प के सख्त झटके महसूस किये गये थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या था और इस से कितनी हानि हुई थी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) यह सच है कि लगभग सारा आसाम २ जुलाई को भूकम्प के झटके से हिल गया था परन्तु यह झटका दरम्यानी किस्म का था ।

(ख) ख्याल किया जाता है कि आसाम में हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों की भूमि की पपड़ी में मामूली कम्पन के कारण भूकम्प आया था । इस भाग को भारत का कमज़ोर प्रदेश माना जाता है । सिल्चर की कुछ रिहायशी इमारतों को बहुत ही मामूली नुकसान पहुंचा था । इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से जान व माल की किसी हानि का कोई समाचार नहीं मिला है ।

†**श्री रंगा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस क्षेत्र में भूकम्प की अधिक सम्भावना रहती है, क्या आसाम सरकार से यह कहा गया है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि मकानों के निर्माण के समय भूकम्प निरोधक युक्तियों का प्रयोग किया जाये ?

†**श्री म० मो० दास** : पिछले काफ़ी लम्बे समय के अनुभव ने लोगों को सिखा दिया है कि कमज़ोर क्षेत्रों में उन्हें अपने मकान कैसे बनाने चाहियें ।

†**श्री रंगा** : परम्परागत ज्ञान पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जो वैज्ञानिक उपाय मालूम किये गये हैं क्या उस क्षेत्र में उन में से किसी का उपयोग अथवा प्रचार किया जा रहा है और मंत्रणा दी जा रही है ।

†**श्री म० मो० दास** : मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

मार्ग गवेषणा संस्था

†*८४५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के अधीन क्षेत्रों को मार्ग गवेषणा संस्था में प्राप्त किये गये परिणामों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने का कोई साधन है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : जी, हां । सामुदायिक विकास मंत्रालय को केन्द्रीय मार्ग गवेषणा संस्था की कार्यपालिका परिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त है और वह उपरोक्त संस्था द्वारा प्राप्त ऐसे परिणामों को राज्य सरकारों तक पहुंचाने के लिए कार्यवाही करता है जो सामुदायिक परियोजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के अधीन ग्राम्य मार्ग विकास कार्यक्रम के लिए उपयोगी समझे जायें ।

†**श्री झूलन सिंह** : गांवों में सड़कों के निर्माण तथा उनके संधारण के महत्व को देखते हुए क्या दिल्ली की मार्ग गवेषणा संस्था में की जाने वाली गवेषणाओं के परिणाम गांवों तक पहुंचाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ताकि सीमेन्ट और कन्क्रीट के बिना स्थानीय सामग्री से पक्की सड़कें बनाई जा सकें और क्योंकि वहां सड़कों को बैलगाड़ियों से अत्यधिक हानि पहुंचती है इसलिए बैलगाड़ियों की प्रविधि में सुधार भी किया जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१०] Road Research Institute

†**श्री म० मो० दास :** जहां तक कम खर्च की प्रविधियों का सम्बन्ध है, मार्ग गवेषणा संस्था की कार्यपालिका परिषद् में सामुदायिक परियोजना मंत्रालय का भी एक प्रतिनिधि है । कार्यपालिका परिषद् के सदस्य के नाते वह प्रतिनिधि सभी बातों से पूर्णतः जागरूक रहता है । इसके अतिरिक्त संस्था के निदेशक द्वारा एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है और इसे सामुदायिक परियोजना प्रशासन को भेजा गया है और उन से कहा गया है कि वे भिन्न राज्यों के विकास आयुक्तों के पास इस पुस्तिका को भेजें ताकि राज्यों को यह मालूम हो जाए कि मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में क्या सुधार किये गये हैं ।

†**श्री नरसिंहन :** संस्था द्वारा की गई गवेषणा के परिणामों से सामुदायिक परियोजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा विभागों को जो लाभ हुए हैं क्या मंत्री महोदय उनके ठोस उदाहरण दे सकते हैं ?

†**श्री म० मो० दास :** नरम मिलावों से भूमि के स्थायीकरण से सम्बन्धित निर्माण की यह विशिष्ट प्रणाली पंजाब में बड़े पैमाने पर उपयोग की गई है और इस प्रणाली के अनुसार पंजाब में २५० मील लम्बी सड़क तैयार की गई है । समय के परीक्षण में यह पूरी उतरी है ।

†**श्री पट्टाभिरामन् :** तंजोर ज़िले में कावेरी नदी के मुहाने के क्षेत्रों में सड़क सम्बन्धी अत्यन्त शोचनीय स्थितियों को देखते हुए क्या सरकार वहां पर स्थितियों के अध्ययन के लिए एक दल भेजने की बात पर विचार करेगी ?

†**श्री म० मो० दास :** मार्ग गवेषणा संस्था की एक योजना है जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में अग्रिम परियोजनायें प्रारम्भ की जायेंगी । प्रत्येक राज्य में नई प्रविधि के अनुसार सड़क के कुछ हिस्से का निर्माण किया जायेगा । इस सम्बन्ध में हम राज्यों से सहयोग देने के लिए कह रहे हैं ।

अनुशासनीय कार्यवाहियां

†*८४६. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन उच्च न्यायालयों के इस निर्णय के फलस्वरूप कि प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिकों के सम्बन्ध में अनुशासकीय कार्यवाहियां संविधान के अनुच्छेद ३११(क) द्वारा नहीं बल्कि अनुच्छेद ३१० द्वारा शासित होती हैं क्या सरकार ने अनुशासकीय कार्यवाहियों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंहराव गायकवाड़) :** जी, नहीं ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** असैनिक कर्मचारियों को विधि न्यायालयों में अपनी मांगों के निवारण के लिए अधिक अधिकार देने के सम्बन्ध में क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद ३१० और ३११(३) में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री फतेहसिंहराव गायकवाड :** जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियरिंग कालेजों में विद्यार्थियों के लिए स्थान

+

†*८४८. { श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री पु० र० पटेल:

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों के प्रिंसिपलों की ओर से सरकार को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें दाखिले के लिए विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की इजाज़त मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) बम्बई के उन इंजीनियरिंग कालेजों के नाम क्या हैं जिन्हें इस प्रकार की इजाज़त दी गई थी या जिन्हें इन्कार किया गया था ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २]

†श्री सुब्बया अम्बलम : मद्रास राज्य की जिन संस्थाओं ने दाखिले की क्षमता बढ़ाये जाने के लिए लिखा है उनके नाम क्या हैं, इन में से किन संस्थाओं की घोष-चन्द्रकान्त समिति द्वारा सिफ़ारिश की गई है और इन में से किन सिफ़ारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और लागू किया गया है ?

†श्री म० मो० दास : यद्यपि इस विशिष्ट प्रश्न का घोष-चन्द्रकान्त समिति से कोई सम्बन्ध नहीं है तथापि मद्रास राज्य के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े हैं।

दक्षिणी प्रदेश (मेरे विचार में उसमें मद्रास भी शामिल है)

कालेज	दाखिले की मंजूर की गई वर्तमान क्षमता	दाखिले की प्रस्तावित क्षमता	अतिरिक्त प्राप्य जगहें
गिंडी इंजीनियरिंग कालेज . .	११०	२५०	१४०
इंजीनियरिंग कालेज उस्मानिया विश्वविद्यालय	९०	२३०	१४०
बंगलोर का गवर्नमेन्ट इंजीनियरिंग कालेज .	१२०	२१०	९०
कालेज ऑफ़ इंजीनियरिंग त्रावनकोर विश्व-विद्यालय	१००	२१०	११०

†श्री त० ब० विट्ठल राव : कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये आवेदन पत्रों को क्या प्रविधिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है या उस परिषद् के अधीन भिन्न प्रादेशिक समितियों द्वारा ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० मो० दास** : ऐसी कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं है कि ये संस्थायें भारत सरकार से, जिसे प्रविधिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् सलाह देती है, मंजूरी प्राप्त करें । इस प्रकार के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार अनुदान देती है; इसी कारण वह बीच में आती है । संस्थायें इसलिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं ताकि वे अनुदान प्राप्त कर सकें । इसके अतिरिक्त प्रविधिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् समस्त भारत में एक निश्चित स्तर बनाये रखने का प्रयत्न करती है । इसलिए स्वयं संस्थाओं के हित में भी यह आवश्यक है कि वे प्रविधिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् से अपनी दाखिले की क्षमता बढ़ाने के लिए मंजूरी प्राप्त करें ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : श्रीमान, दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों की हड़ताल के सम्बन्ध में एक प्रश्न संख्या ८८६ है । मामले के महत्व को देखते हुए मैं आप से यह प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय से अवश्य पूछा होगा कि क्या वह इस प्रश्न का उत्तर पहिले देने के लिए तैयार हैं । पहिला घंटा गैर-सरकारी कार्य के लिए है और अन्य घंटे सरकारी कार्य के लिए हैं । यदि माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस प्रश्न की सूचना बहुत पहिले दे दी गई थी और अब आज ध्यान दिलाने का प्रस्ताव[11] स्वीकार किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे मालूम नहीं; यह छपा हुआ है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : पांच सदस्यों की ओर से ध्यान दिलाने की यह सूचना सूची में छपी हुई है । एक पखवाड़ा पहिले प्रश्न की सूचना दी गई थी । इन दोनों में से किसे वरीयता दी जाने चाहिये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रश्न का उत्तर मैं कल दे सकता हूं; परन्तु मैं आज बयान दे रहा हूं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह सूची में दर्ज है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि माननीय सदस्य इच्छुक हैं तो मैं अभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि प्रश्न की बारी नहीं आई है तो माननीय सदस्य मंत्री महोदय से क्या चाहते हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वह इसे पढ़ सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी । यदि उसकी बारी नहीं आती है तो उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[11]Calling Attention Moti

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

सुरक्षा परिषद् के नाम पाकिस्तान का नोट

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२. श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूयार्क में पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद् के प्रधान को एक नोट दिया है जिसमें काश्मीर प्रश्न के संबंध में भारत के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो नोट में क्या कुछ कहा गया है और क्या इस संबंध में सुरक्षा परिषद् के प्रधान ने भारत सरकार को कोई पत्र लिखा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या सरकार ने उस पत्र का कोई उत्तर भेजा है ?

†प्रधानमंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां । उन्होंने सुरक्षा परिषद् के प्रधान को एक पत्र लिखा है ।

(ख) पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि के पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार ने जम्मू प्रांत के कुछ जिलों में कुछ ऐसे गैर-मुस्लिम व्यक्तियों को अत्याधिक संख्या में हाल ही में बसाया है जो जम्मू तथा काश्मीर के वासी नहीं हैं । पत्र में यह भी कहा गया है कि निष्क्राम्य सम्पत्तियां ग़ैर-काश्मीरी उद्भव के गैर-मुस्लिम लोगों में आवंटित की गई हैं । सुरक्षा परिषद् के प्रधान के नाम पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि के पत्र की प्रति न्यूयार्क में हमारे स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रलेख के सामान्य परिचालन के रूप में प्राप्त हुई थी ।

(ग) पाकिस्तानी पत्र में जो आरोप लगाये गये हैं वे असत्य और निराधार हैं । जम्मू तथा काश्मीर में जो विधियां लागू हैं उनके अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति उस राज्य का नागरिक नहीं बन सकता है जो वहां का बाशिन्दा न हो और न ही वह उस प्रकार के निवासियों को मिलने वाले विशेषाधिकारों का ही लाभ उठा सकता है । जम्मू तथा काश्मीर में किसी भी बाहिर के व्यक्ति को कोई निष्क्राम्य सम्पत्ति आवंटित नहीं की गई है । निष्क्राम्य सम्पत्तियां उन शरणार्थियों को आवंटित की गई हैं जो जम्मू तथा काश्मीर राज्य के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से अत्याधिक संख्या में आये थे और जिन्हें जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा फिर से बसाया जाना था । ये शरणार्थी राज्य के पुराने निवासी थे और इस प्रकार उन्हें वहां बसने का हक था ।

न्यूयार्क में हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद् के प्रधान को इन आरोपों के झूठे तथा निराधार स्वरूप का संकेत करने के लिये कार्यवाही की है और संयुक्त राष्ट्र के एक प्रलेख के रूप में उनके पत्र की प्रति परिचालित की गई है । सभा पटल पर एक प्रति रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण** : क्या भारत सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध जो झूठे आरोप लगाये गये हैं ; सुरक्षा परिषद् के सदस्यों द्वारा उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया गया है और सुरक्षा परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में जो प्रलेख परिचालित किया गया है क्या उसे पाकिस्तान सरकार के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा कोई संज्ञान प्राप्त हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् के मित्र सदस्यों के मन की बात कैसे कह सकता हूं ? यह मेरे बूते से बाहर की बात है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि तथ्य सीधे, स्पष्ट और सरल हैं और कोई भी व्यक्ति जो उन्हें समझने का प्रयत्न करेगा उसे अवश्य ही इस बात का विश्वास हो जायेगा कि पाकिस्तान सरकार के आरोप बिल्कुल गलत हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जम्मू तथा काश्मीर में महाराजा के शासन के समय जम्मू राज्य के निवासियों के अधिवास के प्रश्न के संबंध में जो नियम लागू थे क्या वे अब भी लागू हैं और उन के अनुसार क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जम्मू तथा काश्मीर का निवासी न हो वह वहां पर कोई भी सम्पत्ति अर्जित नहीं कर सकता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, वे अब भी लागू हैं। हो सकता है कुछ मामूली परिवर्तन हुआ हो। परन्तु वे नियम वस्तुतः अब भी लागू हैं। उदाहरणार्थ, यदि मैं यह कहूं कि मैं जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भूमि का कोई टुकड़ा चाहता हूं तो मैं भूमि प्राप्त नहीं कर सकता हूं चाहे जम्मू तथा काश्मीर से मेरा कुछ दूर का संबंध भी है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि आजाद काश्मीर से अब तक कितने मोहमेडन्स भाग कर आये हैं, और यहां पर उनकी आबादी क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं उनका ठीक नम्बर तो नहीं बतला सकता, लेकिन मेरा खयाल है कि काफी तादाद में हेरा फेरी हुई है। उधर के इधर आये हैं और इधर से उधर गये हैं, आज नहीं, नौ दस वर्षों से। शुरू में काफी लोग गये थे, और मेरा खयाल है कि कम से कम एक या सवा लाख लोग उधर से इधर आये होंगे, शायद ज्यादा। और इस में कोई सब थोड़े ही वहां आबाद किये गये हैं, हिन्दुस्तान के और हिस्सों में भी फैल गये, और कुछ वहां हैं।

श्री त्यागी : क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा अपने पत्र में 'India held zone' ('भारत–अधिकृत क्षेत्र') शब्दों का प्रयोग किये जाने के विरुद्ध विरोध प्रगट किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री त्यागी किस से चाहते हैं कि हम विरोध प्रगट करें ?

†**श्री त्यागी** : वे अपने सभी पत्रों में जम्मू तथा काश्मीर के लिये "भारत–अधिकृत क्षेत्र" शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मानों भारत ने इस पर बलपूर्वक अधिकार किया हुआ है। अपने सरकारी पत्र व्यवहार में हर बार इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या इन शब्दों के विरुद्ध हम ने विरोध प्रगट किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: यही तो मैंने पूछा था। क्या श्री त्यागी यह चाहते हैं कि हम पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रगट करें या किसी अन्य से ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री त्यागी : संयुक्त राष्ट्र संगठन से। उनके प्रलेखों में इस शब्द का प्रयोग किया गया है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : संयुक्त राष्ट्र संगठन के नाम अपने प्रलेखों में हमने कई बार इस बात का संकेत किया है कि यह एक गलत 'वर्णन' है और वस्तुतः जो कुछ हुआ है उसके बिल्कुल विपरीत है।

†श्री त्यागी : मुझे आशा है कि हम ने इस 'वर्णन' को स्वीकार नहीं किया है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : निःसन्देह नहीं।

मुद्रा के लिये रक्षित निधि में कमी[१२]

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३. { श्री मती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री नौशीर भरूचा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री कासलीवाल:
डा० राम सुभग सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक द्वारा प्रकाशित अन्तिम आंकड़ों से यह पता चलता है कि २ अगस्त को समाप्त होने वाले सप्ताह में १८.३६ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अवह्रास हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस अत्याधिक घाटे का कारण क्या है ;

(ग) क्या इस आहरण के परिणामस्वरूप भारत के रक्षित बैंक के निर्गम विभाग में विदेशी प्रतिभूतियों की राशि भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की धारा ३३(२) में बिहित ४०० करोड़ रुपये की राशि से कम हो गई है ;

(घ) क्या भारत के रक्षित बैंक ने सरकार से इस बात की अनुमति मांगी है कि वह विदेशी प्रतिभूतियों की संविहित न्यूनतम राशि को ४०० करोड़ रुपये——जो कि भारत का रक्षित बैंक अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित न्यूनतम राशि है—से कम कर के ३०० करोड़ रुपये कर सके, और उस अधिनियम में एक संशोधन का सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, हां।

(ख) विदेशी मुद्रा की इस भारी हानि का कारण यह है कि पिछले वर्ष बर्मा सरकार को जो ऋण स्वीकृत किया गया था उसमें से बर्मा सरकार ने १० करोड़ रुपये निकाल लिये हैं और यह राशि लन्दन भेज दी है।

(ग) जी, हां। २ अगस्त को भारत के रक्षित बैंक के निर्गम विभाग में विदेशी प्रतिभूतियों की राशि ३७५.५२ करोड़ रुपये थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१२] Reduction in currency backing.

(घ) तथा (ङ). भारत के रक्षित बैंक ने भारत सरकार को इस संबंध में लिखा था और भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की धारा ३७ के निबन्धनों के अन्तर्गत भारत सरकार ने बैंक को यह अनुमति दे दी है कि वह, छः महीने के लिये, निर्गम विभाग में विदेशी प्रतिभूतियों की राशि ४०० करोड़ रुपये से घटा सकता है, परन्तु किसी भी समय यह राशि ३०० करोड़ रुपये से कम नहीं हो सकेगी।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा है कि बर्मा ने ऋण की राशि निकाल ली है। क्या यह सच है कि निर्धारित अवधि में बर्मा सरकार ने ऋण की राशि नहीं निकाली थी; और यदि हां, तो जब कि विदेशी मुद्रा के मामले में हमारा अपना हाथ बहुत तंग है क्या मैं जान सकती हूं कि हमने इस राशि के बर्मा द्वारा निकाले जाने पर अपनी स्वीकृति क्यों दी ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह सच है कि बर्मा सरकार को जो मूल ऋण स्वीकृत किया गया था उसके अन्तर्गत उसने कोई रकम नहीं ली थी। परन्तु इसके बाद एक और समझौता हुआ जिसके अनुसार ऋण का करार नवकृत कर दिया गया है। इसी दूसरे करार के अधीन बर्मा सरकार ने इस ऋण की राशि ली है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा): मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है...

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। स्थगन प्रस्ताव ? मैं इसे पहिले ही अस्वीकार कर चुका हूं। वैसे भी प्रश्नों के बाद ही स्थगन प्रस्ताव की बारी आती है।

---

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हाल ही में जारी किये गये संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय रुपया अधिक शक्तिशाली मुद्रा बन गया है—और डालर से भी अधिक शक्तिशाली। इस बात को देखते हुये ३०० करोड़ की इस रक्षित राशि में अग्रेतर कमी करने के लिये भारत का रक्षित बैंक अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में सरकार के मार्ग में क्या बाधा है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है और इस सभा के किसी भी माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी भी सुझाव पर सरकार विचार करेगी।

†श्री नौशेर भरूचा : निर्गम विभाग द्वारा रखी जाने वाली विदेशी प्रतिभूतियों को कम करके सरकार को कितने सप्ताह तक आराम मिल जायेगा ? छः सप्ताह तक ? यदि हां, तो इससे आगे क्या होगा ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रतीक्षा कीजिये और देखिये।

†श्री कासलीवाल : भाग (घ) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार ने भारत के रक्षित बैंक को विदेशी प्रतिभूतियों को ४०० करोड़ रुपये से कम करके ३०० करोड़ रुपये करने की अनुमति दे दी है। मेरे विचार में कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलिपीन, इज़राइल और अन्य कई देश हैं जिनके पास इस प्रकार की लगभग कोई भी रक्षित निधि नहीं है। इन परिस्थितियों में भारत सरकार विदेशी रक्षित निधि की न्यूनतम राशि रखे जाने पर क्यों जोर देती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : निःसन्देह यह सच है कि ऐसे बहुत से विशेषज्ञ हैं जिनका यह मत है विदेशी प्रतिभूतियों का रखा जाना, एक परिकल्पना मात्र है जिसे केवल सरकारों की परम्परागत निश्चलता के कारण जारी रखा जा रहा है। परन्तु इस समय में इसे सहजतः त्यागने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि किसी भी प्रबल कार्यवाही के कारण कुछ भी परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। निःसन्देह इन सभी बातों पर समय समय पर विचार करना होगा।

†डा० राम० सुभग सिंह : देश में सोने तथा जवाहरात के तस्कर व्यापार से हमारी विदेशी-मुद्रा की स्थिति पर कहां तक प्रभाव हुआ है?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी: जहां तक सोने तथा जवाहरात का तस्कर व्यापार हुआ है।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को देखते हुये कि पिछले छः या सात महीनों में विभिन्न स्थानों में बड़ी राशियों के लिये प्रत्यय पत्र खोले गये हैं, क्या मैं जान सकती हूं कि हमें जिस विदेशी मुद्रा का भुगतान करना है, उसके संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

†श्री कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का संबंध एक ऐसे विषय से है जिस पर अब कुछ कहना मेरे लिये कठिन है। मुझे आशा है कि जब वित्त विधेयक या वित्त मंत्रालय की मांगों पर विचार किया जाएगा तब इस मामले पर माननीय सदस्य मुझे चर्चा करने का अवसर देंगे। परन्तु, मैं माननीय सदस्या को यह विश्वास दिलाता हूं कि कुछ समय से प्रत्यय पत्रों का स्तर न्यूनाधिक एक सा ही रहा है और हम इसमें जो घटाव देखना चाहते हैं, वह अभी देखने में नहीं आया है। हम अभी पूरी तरह से निराश नहीं हुये हैं। इस समय हमारा अनुमान यह है कि अब और १९६० के बीच की अवधि में गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों खातों में ९०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के वादे हैं और हमें आशा है कि योजना के अन्तर्गत की कार्यान्विति के लिये हमें ३०० करोड़ रुपये के वादे और करने होंगे। हमें जो वादे पूरे करने हैं उनकी सामान्य राशि इससे मालूम हो जायेगी। इसके विरुद्ध इन वादों का कुछ भाग ऋणों द्वारा पूरा होता है, हमारा सामान्य अर्जन है और सामान्य खर्च है। हो सकता है कि उपचार इस बात में निहित हो कि अर्जन में वृद्धि की जाय और खर्च में कमी की जाय।

श्री दासप्पा : जिस विदेशी धारणा (फारेन होल्डिंग्स) की ओर निर्देश किया गया है क्या उस में विश्व बैंक में हमारा अभिदान (सब्सक्रिपशन्स) सम्मिलित है?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जी, नहीं। मैं समझता हूं कि निर्गम विभाग के खाते में जिन प्रतिभूतियों को दिखाया जाता है उनके अतिरिक्त हमारी अन्य किसी धारण (होल्डिंग्स) को निर्गम विभाग की विदेशी प्रतिभूतियों में सम्मिलित नहीं किया जाता।

श्री त्रि० कु० बोधरी : माननीय मंत्री ने अभी जो कुछ कहा है क्या हम उससे यह समझ लें कि विदेशी मुद्रा की स्थिति की कठिनाई के कारण हम केवल योजना के अन्तर्भाग को ही रख रहे हैं और शेष योजना छोड़ दी जाएगी? क्या सरकार की यही नीति है?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : योजना के अन्तर्भाग की ओर मेरा निर्देश केवल प्रासंगिक था; जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, यह मूलभूत नहीं है। हमारी कठिनाइयों के मूलभूत पहलू की उचित समय पर चर्चा की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी उपक्रमों के लेखे

†*८३१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या वित्त मंत्री ११ सितम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६०३–क के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी उपक्रमों द्वारा पर्याप्त तथा उचित रूप से लेखा रखने और वित्तीय विवरण रखने के प्रश्न पर अब विचार कर लिया है और सरकारी उपक्रमों के विभिन्न वर्गों के लिये लेखा रखने के उपयुक्त प्रमाप–प्रपत्र तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रमाप-प्रपत्रों की महत्वपूर्ण विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) अब तक उन्हें किस सीमा तक लागू किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** :(क) से (ग). सरकार का यह विचार है कि सभी सरकारी उपक्रमों के संबंध में लेखे की स्थूल प्रतिकृति पहिले से ही प्राप्य है और अनुभव को सामने रखते हुये समय समय पर जो भी सुधार वांछनीय हों उनके अधीन रहते हुये किसी भी प्रकार का अग्रेतर प्रमापीकरण आवश्यक नहीं है ।

जीवन बीमा निगम

*८४२. **श्री अनिरुद्ध सिंह**: क्या वित्त मंत्री २४ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४७ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा नियुक्त की गई वरिष्ठ सेवा समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) क्या उस पर कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वे निर्णय क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा नियुक्त जीवन बीमा निगम संबंधी वरिष्ठ सेवा समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है । इस समय उस पर विचार किया जा रहा है ।

आदिम जातियों के व्यक्तियों का कल्याण

†*८४७. **श्री गणपति राम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों की दशा में सुधार के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) १९५७/५८ में आदिम जातियों के कल्याण के लिये आय-व्ययक में जो राशि आवंटित की गई है वह व्ययगत न हो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या सरकार मार्गोपाय सोच रही है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये भारत सरकार ने १९५६–५७ में राज्य सरकारों को सहायक-अनुदानों के रूप में ७.१८ करोड़ रुपये दिये थे और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक ७.९१ करोड़ रुपये की मंजूरी दे चुकी है ।

(ख) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रमंडलीय वायु सेना प्रधानों का सम्मेलन[13]

†*८४९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रमंडलीय वायु सेना प्रधानों का एक सम्मेलन लन्दन में होगा ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) सम्मेलन का उद्देश्य क्या है ;

(घ) क्या इसमें सम्मिलित होने के लिये भारत को भी निमंत्रण प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दस्ते में कौन व्यक्ति होंगे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां।

(ख) २७ तथा २८ अगस्त, १९५७ ।

(ग) वायु सेनाओं से संबंधित आपसी हितों के विषयों पर विचारों के आदान प्रदान के लिये एक अवसर प्रदान करना।

(घ) जी, हां ।

(ङ) वायु सेना के प्रधान तथा वायु सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी ।

आसाम में स्मारकों का परिरक्षण

†*८५०. **श्री अमजद अली** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के परिरक्षण के संबंध में १९५७–५८ में कितनी रकम खर्च करने की मंजूरी दी गई है ; और

(ख) क्या परिरक्षित किये जाने वाले प्रत्येक स्मारक के लिये खर्च की रकम अलग अलग निर्धारित की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २७,०५० रुपये ।

(ख) जी, हां ।

प्रतिरक्षा सेवाओं में भर्ती

†*८५१. **राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना, वायुसेना और नौसेना में अफसरों के पद पर भर्ती की प्रणाली क्या है ;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिये हाल के वर्षों में (१९४७ के बाद से) कोई जांच की गयी है कि इन सेनाओं के अफसरों के पद पर किस किस्म के लोगों की भर्ती की जाती है ; और

(ग) क्या इन प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[13] Conference of Commonwealth Air Chiefs of Staff.

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों के पद पर भर्त्ती इस ढंग से की जाती है :—

(१) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के जरिये से, जिसके लिये कैडेटों का चुनाव संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी परीक्षा, सेना चुनाव मंडल[१४] द्वारा लिये गये इन्टर्व्यू, शारीरिक सहनशीलता के परीक्षणों और वायुसेना के कैडेटों के बारे में चालकों की क्षमता के परीक्षणों के आधार पर किया जाता है ; और

(२) तीनों सेनाओं द्वारा चलाये जाने वाले कोर्सों के जरिये से । इन कोर्सों के लिये चुनाव आम तौर पर सेना चुनाव मंडल द्वारा लिये जाने वाले इन्टर्व्यू, शारीरिक सहनशीलता के परीक्षणों और वायुसेना के कोर्सों के बारे में चालकों की क्षमता के परीक्षणों के आधार पर किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

"अमृतारा संतान"

†*८५२. **श्री संगण्णा**: क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री ९ अप्रैल, १९५६ के उड़िया उपन्यास "अमृतारा संतान" विषयक तारांकित प्रश्न संख्या १२८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी ने अन्य प्रादेशिक भाषाओं में इस उपन्यास का अनुवाद पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४**].

सिंगरेनी कोयला खान

†*८५३. **श्री त० ब० विट्ठल राव**: क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में खानों का विकास करने के लिये सिंगरेनी कोयला खान को कुल कितनी राशि दी जाने वाली है ; और

(ख) १९५७–५८ में कम्पनी के लिये कितनी राशि मंजूर होने की संभावना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). यह मामला विचाराधीन है । जब तक सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी की वित्त व्यवस्था और प्रबन्ध कार्य में केन्द्रीय सरकार के शामिल होने की शर्तों आदि को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता तब तक के लिये कम्पनी को १० लाख रुपये का ऋण देने की मंजूरी दे दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[14] Services Selection Board.

कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक् करना

*८५४. **श्री सरजू पाण्डे:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) भारत के किन-किन राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). आसाम, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास और केरल में न्यायपालिका से कार्यपालिका को बिल्कुल अलग कर दिया है। आंध्र, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मैसूर राज्यों में ऐसा आंशिक रूप में किया गया है।

अस्पृश्यता अधिनियम

†*८५५. **श्री बै० च० मलिक :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ की क्रियान्विति पर निगरानी रखने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के, जो अस्पृश्यता को हस्तक्षेप अपराध बना देता है, उपबन्धों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य-सरकारों पर है। इस अधिनियम के उपबन्धों का विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में पर्याप्त प्रचार किया गया है, और इस अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वय सुनिश्चित करने के लिये अधिकांश राज्य सरकारों में छोटी-छोटी समितियों की भी स्थापना कर दी है। इस संबंध में श्री तिम्मय्या के १७ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७४ के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

भिखारी

†*८५६. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में भिखारियों की संख्या के बारे में सही आंकड़ों का संकलन करने के लिये क्या जांच संघ अथवा राज्य सरकारों ने कोई प्रयास किया ह ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : भिखारियों और आवारा लोगों के आंकड़े १९५१ के जनगणना प्रतिवेदन में उपलब्ध हैं। देश में भिखारियों की संख्या का पता लगाने के लिये उसके बाद से केन्द्रीय सरकार ने स्वतंत्र रूप से कोई जांच नहीं की है। जहां तक देश में भिखारियों की संख्या के सही आंकड़े संकलित करने के राज्य-सरकारों के प्रयासों का संबंध है, ध्यान श्री हेमराज के तारांकित प्रश्न संख्या ३९७ के भाग (क) और (ख) की ओर, जिसका उत्तर लोक-सभा में २६-११-५६ को दिया गया था, और उसके फलस्वरूप सभा-पटल पर रखी गयी जानकारी की ओर आकृष्ट किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था[15]

†*८५७. { श्री राम शरण :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था में अब तक कुल कितने वरिष्ठ कार्यकर्त्ताओं ने उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किया है ;

(ख) उनका चुनाव कैसे किया जाता है ; और

(ग) इनके लिये क्या अर्हतायें विहित हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) एक भी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली में बुनियादी स्कूल

†*८५८. { श्री वासुदेवन नायर:
श्री कुन्दन:

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री २२ जुलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जिला बोर्ड ने दिल्ली के बुनियादी स्कूलों में कौन-कौन सी बुराइयां और कमियां बतायीं हैं ; और

(ख) इन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का निश्चय हुआ है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्री माली) : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५]

समाज-कल्याण कार्य

†*८५९. श्री ब० स० मूर्त्ति : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री २५ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण कार्य में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या क्या तौर-तरीके अपनाये गये हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जिसका काम समाज कल्याण कार्य में एकीकरण की स्थापना करना है, के सदस्यों में से अधिकांश महत्वपूर्ण ऐच्छिक कल्याण संगठनों से संबंधित हैं । राज्यों के समाज कल्याण बोर्डों में भी इस प्रकार उनके क्षेत्र के लोक-प्रिय कार्यकर्त्ताओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त है । प्रत्येक समाज-कल्याण परियोजना में लोकप्रिय परियोजना क्रियान्विति समितियों की स्थापना की जा चुकी है और इनके सदस्य संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में से लिये गये हैं । इसके अलावा, बोर्ड जो विभिन्न प्रकाशन निकालता है, उनका प्रयोजन ही यह होता है कि जनता देश में होने वाले समाज-कल्याण कार्यों के बारे में पूरी समझदारी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिये आकृष्ट हो । भारत सेवक समाज जैसे अन्य संगठन भी प्रारम्भिक रूप से जन-सहयोग पर ही निर्भर करते हैं ।

---

[15] National Institute of Basic Education.

†मूल अंग्रेजी में

स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास

†*८६०. श्री ही० ना० मुकर्जी:
श्री भक्त दर्शन:
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कोडियान :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री २४ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास लिखने से संबंधित प्रबन्धों को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रबन्ध क्या है और इस प्रकाशन पर कितनी राशि व्यय करनी पड़ेगी ; और

(ग) इस इतिहास को लिखने वाले विद्वान का चुनाव कैसे किया गया था ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

"पवन-शक्ति"[16]

†*८६१. श्री नरसिंहन् : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि पवन–शक्ति का उपयोग करने से संबंधित गवेषणा कार्यक्रम में अभी कितनी प्रगति हुई है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : अपेक्षित जानकारी का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ६]

तेल की खोज

*†८६२. श्री विश्वनाथ राय : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष किसी नये क्षेत्र में तेल की खोज का कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : जी हां।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग[17] द्वारा ज्वालामुखी में गहरे छिद्र करने और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में बाहल में संरचनात्मक छिद्र करने का काम जारी रहेगा। इसके अलावा आगामी सर्दियों में आयोग कैम्बे क्षेत्र में संरचनात्मक छेद का काम शुरू करने की योजना बना रहा है। जैसलमेर क्षेत्र में सर्वेक्षण जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश में भूतत्वीय गुरुत्व और भूकम्पीय सर्वेक्षण तथा आसाम के शिवसागर क्षेत्र में भूकम्पीय जांच कराने का प्रश्न आयोग के विचाराधीन है। पश्चिमी बंगाल में भारत-स्टैनवैक करार के अधीन दि स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी बर्दवान के निकट परीक्षणात्मक गहरा वेधन कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

16. Wind Power.
17. Oil and Natural Gas Commission.

जैसलमेर में पेट्रोलियम की खोज

†*८६३. श्री ज० रा० मेहता : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ३० जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७४ के उत्तर के संबंध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) जैसलमेर क्षेत्र में पेट्रोलियम की जो खोज अब तक की जा चुकी है उसके क्या परिणाम हुये हैं ;

(ख) वेधन अधिक-से-अधिक कितनी गहराई तक किया गया ; और

(ग) क्या विदेशी मुद्राओं संबंधी कठिनाइयों की वजह से इसी प्रकार की कुछ योजनायें छोड़ दी गयी हैं ; और यदि हां, तो कौन सी ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ७]

बैंकों का एकीकरण

†*८६४. श्री ह० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बैंक आफ जयपुर लि०, बैंक आफ बीकानेर लि०, बैंक आफ राजस्थान लि०, और राज्य के अन्य संबंधित बैंकों का भारत के राज्य-बैंक में विलयन करने संबंधी मामला इस समय किस स्थिति में है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मामला विचाराधीन है।

ग्राम और मुख्य सेविकायें

†*८६५. श्री राम शंकर लाल : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज-कल्याण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कितनी ग्राम-सेविकाओं और कितनी मुख्य-सेविकाओं की जरूरत है ; और

(ख) इनकी भर्त्ती और प्रशिक्षण के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में १२,९८० ग्राम-सेविकाओं और १,५२० मुख्य-सेविकाओं की आवश्यकता पड़ेगी।

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की जिन ग्राम-सेविकाओं की आवश्यकता होती है उन्हें राज्यों के समाज कल्याण बोर्डों की मार्फत भर्त्ती किया जाता है और उन्हें कस्तूरबा गांधी स्मारक न्यास द्वारा चलाये जाने वाले केन्द्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। जिन ग्राम-सेविकाओं की जरूरत सामुदायिक विकास मंत्रालय को होती है उन्हें राज्य-सरकरों की मार्फत भर्त्ती किया जाता है और इन्हें खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के गृह-अर्थशास्त्र उपभाग [16] द्वारा चलाये जाने वाले केन्द्रों में प्रशिक्षित किया जाता है।

अभी मुख्य सेविकाओं के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[16] Home Economics Wing.

एक 'फ्रोग मैन' की मृत्यु

†*८६७. **श्री गोरे :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलैंड के शाही जहाजी बेड़े से संबद्ध भारतीय नौसेना के फ्रोग मैन पी० एन० पेठकार को पानी में उतारने से पहले सभी आवश्यक हिदायतें और अच्छे उपकरण दे दिये गये थे; और

(ख) क्या सरकार ने उस घटना के बारे में पूरा प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया है जिसके फल-स्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी ?

***प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी हां।

(ख) एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन आ गया है, ब्यौरेवार प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

***८६८. श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि गत सामान्य निर्वाचनों के तुरन्त पहले निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आयोग न घोषित क्षेत्रों में बहुत उलट फेर कर दिया जिस से अनेक उम्मीदवारों को बड़ी असुविधा हुई; और

(ख) क्या सरकार भविष्य में इस बात का ध्यान रखेगी कि निर्वाचनों के काफी समय पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्णय हो जाया करेगा जिस से उम्मीदवार असानी से अपने निर्वाचन क्षेत्र में सम्पर्क स्थापित कर सकें ?

विधि मंत्री (श्री अ० कृ० सेन) (क) नहीं महोदय, किन्तु सरकार यह मानती है कि सम्भव है कि गत साधारण निर्वाचनों के कुछ ही पहले निर्वाचन क्षेत्रों में की गई तब्दीलियों के कारण कुछ असुविधायें उन निर्वाचनों में के उम्मीदवारों को हुई हों ।

(ख) सरकार यथाशक्य ऐसा करने का प्रयत्न करेगी ।

अल्पसंख्यकों के लिये परित्राण

†*८६९. श्री दी० चं० शर्मा:
श्री सूपकार :
श्री महन्ती :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी:
श्री याज्ञिक ।

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद ३५०-ख के अधीन अल्पसंख्यकों के लिये परित्राणों के कार्यान्वय की जांच करने के लिये किसी विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति की गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस विशेष पदाधिकारी ने अब तक इस बारे में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी हां ।

(ख) और (ग). विशे पदाधिकारी संगत सामग्री एकत्र कर रहा है ।

बुनियादी स्कूलों में राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†*८७०. **श्री विभूति मिश्र**: : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्यों और संघ-राज्य-क्षेत्रों के बुनियादी स्कूलों म राष्ट्रीय अनुशासन योजना लागू करने के लिये अधिक वित्तीय सहायता देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का स्वरूप क्या है; और

(ग) इसे कितनी अवधि के भीतर कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). जी हां । राष्ट्रीय अनुशासन योजना कुछ राज्यों को विस्थापित बस्तियों के अनेक स्कूलों में पहले ही लागू की जा चुकी है । अब इसे विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों के अलावा बड़ी संख्या में पंजाब, बम्बई और पश्चिमी बंगाल के तीन क्षेत्रों के स्कूलों में भी लागू किया जाने वाला है । यह योजना बुनियादी स्कूलों पर भी लागू होगी । योजना का ब्यौरा और उस के वित्तीय पहलू पर अभी विचार किया जा रहा है । आशा की जाती है कि इस वर्ष से इस योजना को वृहत्तर पैमाने पर लागू किया जा सकेगा ।

जापान से आयात

†*८७१. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्थगित शोधन[19] के आधार पर भारत को जल-विद्युत् उपकरणों कपड़ा मिलों की मशीनों और अन्य पंजी उपकरणों का निर्यात करने के प्रस्ताव पर जापान में बातचीत चल रही है; और

(ख) यदि हां, जापान की एक्स्पो म्पोर्ट बैंक जापानी निर्यातकों को किस प्रकार की सुविधायें प्रदान करेगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) और (ख) . भारत द्वारा आस्थगित शोधन के आधार पर विभिन्न प्रकार के जी उपकरणों की खरीद के बारे में बात चीत जापान और भारत, दोनों स्थानों पर चली थी; यह बात चीत अभी समाप्त नहीं हुई है और इसीलिये अभी यह बता सकना सम्भव नहीं है कि वास्तव में क्या सुविधायें प्रदान की जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[19]Deferred payment.

भारत का राज्य-बैंक

†*८७२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण कार्यों से सम्बन्धित और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल कितने व्यक्तियों को भारत के राज्य-बैंक के निदेशक-मण्डल[1] में रखा गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा०भगत)** : जैसा कि भारत का राज्य बैंक अधिनियम १९५५ के पदों के अनुसार अपेक्षित है, भारत के राज्य बैंक के केन्द्रीय मण्डल में कम से कम दो निदेशक ऐसे हैं जिन को सहकारी संस्थाओं के काय-कलाप और ग्रामीन अर्थ-व्यवस्था की विशेष जानकारी प्राप्त है ।

जौनपुर की अटाला मसजिद

†*८७६. **श्री गणपति राम** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने जौनपुर की अटाला मसजिद की मरम्मत के लिये पिछले तीन वर्षों में कुछ भी धन दिया है;

(ख) क्या यह ऐतिहासिक इमारत केन्द्रीय स्मारक अधिनियम के अधीन आती है;

(ग) यदि हां, तो इस की मरम्मत और देखभाल के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, १९०४ के अधीन १९१९ में इस मसजिद को परिरक्षित स्मारक घोषित किया गया था ।

(ग) और (घ). क्योंकि मसजिद के ट्रस्टी प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, १९०४ की धारा ५ के अधीन, जिस में स्मारकों की देख रेख से सम्बन्धित विभिन्न विषय आ जाते हैं, संघ सरकार से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, इसलिये मसजिद की मरम्मत कराना संभव नहीं हुआ है ।

भुवनेश्वर के निर्माण के लिये ऋण

†*८७४. **श्री संगण्णा**: क्या **वित्त** मंत्री भुवनेश्वर में नयी राजधानी के निर्माण के बारे में, ८ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २०१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने और ऋण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या फल हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] of Directors.

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रमण्डल का संयुक्त नौ-सेना अभ्यास[21]

†८७५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार के निमंत्रण पर भारत भी राष्ट्र-मंडल के संयुक्त नौ सेना-अभ्यास में भाग ले रहा है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : शाही जहाजी बेड़े के ईस्ट इन्डीज स्थित केन्द्र के प्रधान सेनापति की मार्फत भेजे गये श्रीलंका सरकार के निमंत्रण पर भारतीय नौसेना के पोत और विमान राष्ट्र मंडल के संयुक्त नौसेना अभ्यास में भाग लेंगे ।

कोयले का वितरण

†*८७६. { श्रीनारायण दास :
श्री श्री मतीन :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने ईंटें पकाने वाले कोयले और सौफ्ट कोक की कोटा प्रणाली किन परिस्थितियों में समाप्त की;

(ख) इस से क्या लाभ हुए; और

(ग) भविष्य में आम तौर पर कोयले का और विशेष रूप से ईंटें पकाने के कोयले का वितरण करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० डे० मालवीय) : (क) हर ६ महीने बाद कोटा प्रणाली की समीक्षा करने का नियम था । जून, १९५७ में जो पिछली समीक्षा की गयी उस से पता चला कि इस प्रथा के कारण उपभोक्ताओं से बहुत सी शिकायतें मिली हैं, जिन्हें कूपनों का पता लगाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था । अपने संभरण के लिये वे किस कोलियरी (कोयला खान) को चुनें, इस मामले में चुनाव करने का उन का क्षेत्र सीमित था और इस से कोयले के अच्छे किस्म का हो के बारे में शिकायतें पैदा हो जाती थीं । साथ ही, समीक्षा के समय खानों पर के स्टाक में भी भारी कमी हो गयी थी । इसलिये १ जुलाई, १९५७ से इस प्रथा का अन्त कर दिया गया है । लेकिन सौफ्ट कोक के कोटे की प्रथा अब भी जारी है ।

(ख) यह आशा की जाती है कि इस परिवर्तन से उपभोक्ताओं को कोलियरियों का चुनाव कर के लिये अधिक बड़ा क्षेत्र मिल सकेगा और अधिक सहूलियत से उन को संभरण होता रहेगा ।

(ग) ईंटें पकाने के कोयले के लिये कोटा प्रथा का, जो कोयले के वितरण पर ऊपर से लाग की जाती थी, अन्त करने के अलावा और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[21]Commonwealth Joint Naval Exercise.

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास [22]

†*८७७. श्री राम शरण : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की पहली बैठक हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उस ने क्या निर्णय किये; और

(ग) क्या वे आम तौर पर पुस्तकों का प्रकाशन करेंगे ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी हां ।

(ख) विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है :

(ग) जी नहीं । सामान्य अभिरुचि वाली ऐसी पुस्तकों का, जिन के लिये न्यास की स्थापना की गयी है ।

कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी

†८७८. श्री ही ना० मुकर्जी : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी से वित्तीय सहायता के लिये हाल ही में पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

तांबे संबंधी आवश्यकतायें

†*८७९. श्री ब० स० मूर्ति : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ३० जुलाई १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में देश को कुल कितने तांबे की आवश्यकता होगी; और

(ख) देश के भीतर के साधनों से कुल कितना तांबा उपलब्ध होगा ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में देश के इस्तेमाल के लिये कुल १,९०,००० टन तांबे की आवश्यकता होगी ।

(ख) अनुमान है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में देश के भीतर के साधनों में से कुल ३७,५०० टन तांबा उपलब्ध हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रजी में

22. National Book Trust.

राज भाषा आयोग

*८८१. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह कार्य मंत्री २४ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद ३४४ के खण्ड ४ के अनुसरण में राज भाषा आयोग के प्रतिवेदन को जांच करने के लिये संसदीय समिति कब नियुक्त हो जायेगी ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री दातार): जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, रिपोर्ट की प्रतियां कल सदन में परिचारित की जा चुकी हैं। समिति के निर्वाचन का प्रस्ताव दोनों सदनों में इसी अधिवेशन में किसी समय प्रस्तुत किया जायेगा ।

दिल्ली (मंत्रणा) भाषा समिति का प्रतिवेदन

†*८८२. श्री दी० चं० शर्मा:
श्री राधा रमण :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री खुशवक्त राय:

क्या गृह–कार्य मंत्री १७ दिसम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य (मंत्रणा) भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

रक्सोल और हितौरा के बीच रेलवे लाइन

*८८३. श्री विभूति मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने रक्सोल और अमलेखगंज के बीच नैरो गेज लाइन को मीटर गेज लाइन में बदलने के लिये तथा उसे हितौरा तक बढ़ाने के लिये भारतीय सर्वेक्षकों की सेवायें मांगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो नैरो गेज बदलने का यह काम भारत सरकार द्वारा किया जायेगा अथवा नैपाल सरकार द्वारा ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) रक्सोल और अमलेखगंज के बीच वर्तमान नैरो गेज रेलवे लाइन को मीटर गेज लाइन में बदलने और उसे नेपाल में हितौरा तक बढ़ाने की प्रायोजना के सम्बन्ध में यातायात और इंजीनियरी विषयक सर्वेक्षण करने के लिये भारत सरकार ने नैपाल सरकार की प्रार्थना पर एक दल भेजा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मैदानी काम पूरा हो गया है और आशा है जल्दी ही रिपोर्ट तैयार हो जायेगी। जब तक रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह काम किस के द्वारा पूरा किया जायेगा ।

साई और गोमती पर पुल

†*८८४. श्री गणपति राम : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलाल गंज का साई का पुल और जौनपुर का गोमती का पुल प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम के अधीन आते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में उन की क्या मरम्मत की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों; और

(घ) १९५४ की भूतपूर्व बाढ़ के फलस्वरूप गोमती के पुल को जो भीषण क्षत्ति पहुंची थी, क्या सरकार को उस का पता है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी हां ।

(ख) स्मारकों की देख रेख के सिलसिले में जो वार्षिक मरम्मत की जाती है उस के अलावा जो छोटी-मोटी मरम्मत, जैसे, चूने या सीमन्ट की भराई, पलस्तर और दोनों पुलों की खराब हो चुकी छत की कांक्रीट की मरम्मत की गयी थी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) सरकार को पता है कि १९५४ की बाढ़ में जौनपुर के पुल की एक 'गुमटी' बह गयी थी। 'गुमटी' की पुनर्स्थापना के बारे में अन्तिम निश्चय किया जा चुका है और काम जल्द ही हाथ में लिया जायेगा ।

दिल्ली पौलीटेक्निक

८८५. श्री श्रीनारायण दास : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पौलीटैक्नीक में सुविधाओं का विस्तार करने की किसी योजना पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है;

(ग) प्रस्तावित विस्तार योजना की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं; और

(घ) उस में कितना धन लगेगा?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३ अनुबंध संख्या ९]

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के स्कूल अध्यापकों की हड़ताल

*८८६ { डा० राम सुभग सिंह :
श्री बाल्मीकी :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य के अध्यापक संघ ने सरकार को २० अगस्त, १९५७ से हड़ताल करने के अपने निर्णय की सूचना दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन कारणों पर विचार कर के कोई निर्णय किया है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली राज्य अध्यापक संघ द्वारा दिये गये नोटिस की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०]

(ग) यह विषय विचाराधीन है ।

सोने का तस्कर व्यापार

†*८८७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ३१ जुलाई, १९५७ को सीमा-शुल्क अधिकारियों ने अहमदाबाद के निकट कंकड़िया लेक में २६ लाख रुपये का चोरी से लाया गया २५,००० तोला सोना पकड़ा था ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : जी हां । ३१ जुलाई, १९५७ को सीमा-शुल्क अधिकारियों ने अहमदाबाद के कंकड़िया लेक क्षेत्र में एक मकान की बरसाती[23] से लगभग २६ लाख रुपये का लगभग २५,१६० तोला सोना बरामद किया था ।

जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसर

†६१७. { श्री वें० प० नायर :
श्री कोडियान :

क्या तिरक्षा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसरों को, चाहे वे ड्यूटी पर हों या छुट्टी पर जा रहे हों, अब ट्रेन यात्रा के समय भोजन-व्यय के लिये केवल २ रुपये प्रति दिन दिये जाते हैं; और

(ख) कमीशन-प्राप्त अफसरों को मिलने वाले यात्रा-भत्तों की तुलना में यह कितना बैठता है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १ अप्रैल, १९५७ से यह दर २ रुपये से बढ़ा कर २ रुपये २५ नये पैसे कर दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

23. Terrace Room.

(ख) कमीशन-प्राप्त अफसर छुट्टी पर जाते या छुट्टी से लौटते समय तो किसी प्रकार के प्रासंगिक व्यय[24] पाने के अधिकारी नहीं होते, लेकिन उनको अस्थायी ड्यूटी पर यात्रा करते समय १ आना प्रतिमील की दर पर और स्थायी ड्यूटी पर यात्रा करते समय ४ आना प्रति मील की दर पर प्रासंगिक व्यय मिलता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जब वे वारंट पर यात्रा करते हैं, अर्थात, क्षेत्र-सेवा[25] क्षेत्रों में जाते समय, अथवा सैनिक टुकड़ियों के साथ यात्रा करते समय वे यात्रा-काल के लिये १०) रुपये प्रति दिन की दर पर दैनिक-भत्ता पाने के अधिकारी होते हैं और उन्हें अन्य कोई प्रासंगिक व्यय नहीं दिया जाता।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

†६१८. **श्री प्र० गं० देव :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री रूरकेला के हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और फैक्ट्री के १९५५-५६ के लेखे का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** इन दस्तावेजों की एक एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जा चुकी है।

यूनेस्को सम्मेलन

६१९. **श्री खुशवक्त राय:** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में हुए युनेस्को सम्मेलन पर केन्द्रीय सरकार का कुल कितना खर्चा हुआ ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): १४.७ लाख रुपये।

कोलम्बो योजना के अधीन प्रशिक्षणार्थी

†६२०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना के अधीन भारत की विभिन्न संस्थाओं में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये १९५७ में अब तक कुल कितने विदेशी यहां आये हैं; और

(ख) इन्हें किन-किन संस्थाओं में भर्ती किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):** (क) कोलम्बो योजना के अधीन भारत की विभिन्न संस्थाओं में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५७ तक की अवधि में ५५ विदेशी आये हैं जिन में १५ राष्ट्रमंडल के नागरिक हैं।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ११**]

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

†६२१. **श्री ो० ० शर्मा :** क्या तिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में पंजाब राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये कितना व्यय किया गया है; और

(ख) केन्द्र और पंजाब राज्य ने किस अनुपात में इस व्यय को वहन किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

24. Incidental charge.

25. Field Servic

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में भूतत्वीय और खनिज तत्वीय जांच[२६]

†६२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में भूतत्वीय और खनिज-तत्वीय जांच के लिये सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में कुल कितनी राशि व्यय करने का अनुमान लगाया है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : अलग-अलग राज्यों में भूतत्वीय और खनिज तत्वीय जांच कराने के बारे में सरकार पृथक प्राक्कलन नहीं तैयार करती । यह जांच भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा की जाती है और सम्पूर्ण संस्था के ही लिये प्राक्कलन तैयार कर लिये जाते हैं ।

नागा विद्रोही

६२३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री हेम बरुआ :

क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्रोह के प्रारम्भ से कितने भारतीय राष्ट्रजन नागा विद्रोहियों द्वारा मारे गये या आहत किये गये; और

(ख) उक्त अवधि में नागा विद्रोहियों द्वारा मारे गये अथवा आहत व्यक्तियों में कितने वफादार नागा थे ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख) मांगी हुई सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में अमरीकी छात्र

६२४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका के कितने पुरुष तथा महिला छात्र और गवेषणा कार्यकर्ता भारत में अभी फिलहाल अध्ययन कर रहे हैं अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ गवेषणा कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): १-१-१९५७ को भारत में अमरीकी छात्रों की कुल संख्या १४४ थी । पुरुष तथा महिलाओं की और ग्रामीण क्षेत्रों में गवेषणा कार्य करने वालों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

छावनियों में तपेदिक के अस्पताल

†६२५. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन छावनियों में तपेदिक के अस्पताल मौजूद हैं;

(ख) किन किन छावनियों में तपेदिक के रोगियों का इलाज करने का प्रबन्ध है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

26. Geological and Mineralogical Investigations.

(ग) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन छावनियों में तपेदिक के इलाज के लिये अस्पताल अथवा रह कर इलाज कराने वाले रुजालय[27] खोलने की सरकार की कोई योजना है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) ऐसा अस्पताल किसी भी छावनी में नहीं है जिस में केवल तपेदिक का इलाज होता हो ।

(ख) वेलिंगटन के छावनी अस्पतालों और अहमदनगर छावनी के एक गैर-सरकारी अस्पताल ने तपेदिक के रोगियों को भर्ती करने की व्यवस्था की है। तपेदिक के रोगियों का इलाज कामठी और पूना में भी किया जाता है लेकिन यह केवल उसी अवस्था तक होता है जब कि उस से अन्य लोगों को छूत लगने का डर न हो। ३३ अन्य छावनियों के तपेदिक के रोगी निकटस्थ अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं से लाभ उठा सकते हैं। खेद है कि शेष २२ छावनियों में इस संबंध में सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में अम्बाला के छावनी बोर्ड के अस्पताल में एक तपेदिक रुजालय और औरंगाबाद में तपेदिक वार्ड खोलने का प्रस्ताव है ।

त्रिपुरा के चाचू बाजार के लिये औषधलाय

†६२६. **श्री दशरथ देब** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की मोहनपुर तहसील के चाचू बाजार में अस्पताल खोलने के लिये कोई अभ्यावेदन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

मनीपुर के शिक्षा निदेशक

†६२७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के शिक्षा-निदेशक का पद किन कारणों से ७ सितम्बर, १९५४ से रिक्त पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर के स्कूलों के निरीक्षक से शिक्षा निदेशक के कर्त्तव्य पूरे करने के लिये कहा गया है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि काम की अधिकता के कारण मनीपुर के अनेक स्कूलों का निरीक्षण नहीं हुआ है और स्कूलों का निरीक्षण करने के कार्य को धक्का पहुंचा है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) इस पद के लिये संघ लोक सेवा आयोग के जरिये से अब तक किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्ति करना संभव नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

27. Domiciliary Clinics.

तस्कर व्यापार

†६२८. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क कर्मचारियों ने अटारी की सीमा पर एक क्यूबावासी को और एक अमरीकी को पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उन के पास से कितने नोट और अन्य कीमती वस्तुयें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) वे कहां जा रहे थे ।

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) भूमि सीमा-शुल्क कर्मचारियों ने श्री थामस डाना नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिन के पास क्यूबा का पासपोर्ट था । अमरीकी पासपोर्ट लिये श्री लियो राय फ्रे नामक जो व्यक्ति श्री डाना के साथ जा रहा था, स्थानीय पुलिस ने उसे भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया ।

(ख) उन के पास से जो भारतीय नोट और अन्य कीमती वस्तुयें बरामद हुई उनकी राशि निम्नलिखित है :—

(१) भारतीय मुद्रायें	८,५०,९०० रुपये
(२) अमरीकी डालर	१०,००१ डालर
(३) थाई	७८
(४) हांग कांग के डालर	१
(५) टाइमपीस	१
(६) जेबी रेडियो	१
(७) बिना लाइसेंस की पिस्तौल	१
(८) बिना लाइसेंस के भरे हुए कारतूस	४८

(ग) वे पश्चिमी पाकिस्तान जा रहे थे ।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन

६२९. श्री वें० प० नायर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के अधीनस्थ सेवाओं में अधिकतम और न्यूनतम मासिक वेतन कितना है; और

(ख) सरकार के कितने अफसरों को इस समय १५००) रुपये से अधिक मासिक उपलब्धि होती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) भारत सरकार के अधीनस्थ सेवाओं में अधिकतम वेतन ३०००) रुपये प्रति मास है जो १९४६ में नियुक्त किये केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर निश्चित किया गया है। संविधान के अधीन आने वाले कुछ विशेष पदों पर नियुक्त व्यक्तियों, सेनाओं के सदस्यों को जिन की सेवायें संविधान के अनुच्छेद ३१४ द्वारा परिरक्षित होती हैं; और कुछ ऐसे व्यक्तियों को, जो १६ जुलाई, १९३१ से पहले नौकरी में आये थे, कुछ विशिष्ट पद धारण करने पर ३०००) रुपये से अधिक वेतन मिलता है।

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी को जो निम्नतम मासिक वेतन (वेतन तथा मंहगाई भत्ता) मिलता है वह कुछ अधिक मंहगाई वाले इलाकों के अलावा अन्य स्थानों के लिये ७०) रुपये प्रतिमास है। अधिक मंहगाई वाले स्थानों पर उन्हें इस के अलावा प्रतिकरात्मक और/अथवा मकान किराया भत्ता भी मिलता है।

(ख) ३० जून, १९५४ को, सेना के अफसरों को छोड़ कर, ९८७/३० जून, १९५५ तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन यह संख्या ३० जून, १९५४ की संख्या के लगभग बराबर ही होगी।

मनीपुर में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

†६३०. श्री ले० अचो सिंह : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये किन शर्तों पर छात्रवृत्तियां मंजूर करता है; और

(ख) मनीपुर के मुख्य आयुक्त के ८ नवम्बर, १९५६ के आदेश के अधीन स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्तियां दी गयी थीं क्या उन में इन शर्तों को पूरा किया गया था ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : मनीपुर सरकार के मुख्य आयुक्त से जानकारी मंगायी गयी है और यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में गैर-सरकारी स्कूल

†६३१. श्री ले० अचो सिंह : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर के गैर सरकारी स्कूलों को किन शर्तों पर सहायक-अनुदान दिये जाते हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १२]

मनीपुर में प्राथमिक स्कूल

†६३२. श्री ले० अवो सिंह: क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रदेश में २५ से भी अधिक ऐसे सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं जिन के पास अपना भवन और फर्नीचर नहीं है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भवनों और उपकरणों की कमी के बारे में मनीपुर के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र के स्कूल-मास्टरों और जनता के पास से कोई शिकायत आयी है; और

(ग) इन स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक स्तर कायम रखने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसी शिकायतें समय समय पर आती रहती हैं ।

(ग) न्यूनतम स्तर कायम रखने के प्रयास लगातार ही किये जाते हैं ।

बुलडोजरों के ड्राइवर

६३३. श्री ले० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री १८ दिसम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४० पर निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर के लोक-निर्माण विभाग के बुलडोजर ड्राइवरों का वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव के बारे में इस समय क्या स्थिति है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): मनीपुर प्रशासन के विभिन्न विभागों में काम करने वाले ड्राइवरों (जिन में बुलडोजरों के ड्राइवर भी शामिल हैं) के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण करने का सामान्य प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

मनीपुर में तस्कर व्यापार

†६३४. श्री ले० अचौ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस प्रकार की वस्तुएं चोरी छिपे मनीपुर से बाहर ले जायी जाती हैं ;

(ख) पिछले एक वर्ष में मनीपुर पुलिस और स्थल सीमा-शुल्क विभाग ने मनीपुर में कुल कितने मूल्य की वस्तुएं बरामद की हैं ; और

(ग) इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जहां तक सरकार को मालूम है, चीनी, बैटरियां, बिस्कुट, कपड़े और सिगरेट जैसी वस्तुएं ही थोड़ी-थोड़ी मात्रा में चोरी छिपे बर्मा ले जाई जाती हैं, जो राज्य की सीमा से लगाकर एक मात्र विदेशी राज्य-क्षेत्र है ।

(ख) स्थल सीमा-शुल्क विभाग ने मनीपुर में पिछले एक वर्ष (१ जुलाई १९५६ से ३० जून, १९५७) में २७०० रुपये की वस्तुयें पकड़ी हैं । इस अवधि में मनीपुर पुलिस ने कुछ भी सामान नहीं पकड़ा है ।

(ग) इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये भारत सरकार विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां कर रही है, जिन्हें निरन्तर गहनतर किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असिस्टेन्टों की भर्ती

†६३५. श्री बा० चं० कामले : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब वित्त विभाग ने जुलाई, १९४७ में वेतन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा और अन्य पदोन्नति के आधार पर स्थायी कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य लोगों की असिस्टेंटों की श्रेणी में भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया था तब १९४७ की जुलाई से १९५३ की जुलाई तक की अवधि में गृह-मंत्रालय ने सम्बद्ध कार्यालयों में असिस्टेंटों की श्रेणी में दीर्घकालीन रिक्तताओं की पूर्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग की मार्फत भर्ती किन नियमों अथवा आदेशों के आधार पर की थी ; और

(ख) उपर्युक्त स्थायी कर्मचारियों को, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के उपयुक्त स्थायी कर्मचारियों को, पदोन्नति दे कर इन रिक्तताओं की पूर्ति करने के प्रश्न पर किन कारणों से विचार नहीं किया गया ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में सारी स्थिति समझाई गई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १३].

त्रियों के दौरे

†६३६. श्री बा० चं० कामले : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा १९५७ के सामान्य निर्वाचनों का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जाने की तारीख से ले कर सामान्य निर्वाचन की आखिरी तारीख तक के बीच की अवधि में संघ के कुछ मंत्री, उपमंत्री और सभा-सचिव सरकारी और गैर-सरकारी तौर पर दौरे पर गये थे ; और यदि हां, तो इन की संख्या क्या है ; और

(ख) इन पर संघ सरकार को कुल कितना रुपया खर्च करना पड़ा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आदिवासी

६३७. श्री अमर सिंह डामर: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के इन्दौर डिवीजन के विभिन्न जिलों में केन्द्रीय सरकार की सहायता से आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा चलाये गये विभिन्न उपक्रमों में अनुसूचित आदिम जाति और अनुसूचित जाति के कितने पदाधिकारी और कर्मचारी नियुक्त हैं ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारी मध्य प्रदेश के इन्दौर डिवीजन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लाभ के लिये चलाई गई संस्थाओं के कार्यों की जांच करते हैं या उन्होंने जांच की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) और (ख) जरूरी सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, उड़ीसा

†६३८. **श्री संगण्णा :** क्या वित्त मंत्री कलकत्ते के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्तृ कार्यालय [२८] में काम करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या से सम्बन्धित २५ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न श्रेणियों में रखे गये व्यक्तियों में से यदि कुछ को स्थायी बनाया गया हो तो उन की संख्या क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** किसी भी अस्थायी कर्मचारी को तब से स्थायी नहीं बनाया गया है । उन के मामले विचाराधीन हैं ।

भ्रमण पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा

†६३९. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(१) छठे विश्व युवक समारोह के लिये मास्को जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल पर;

(२) मास्को जाने वाले सेना के दो प्रतिनिधि मंडलों पर ; और

(३) समाचार-पत्र सम्पादकों के प्रतिनिधि मंडल पर, जिस ने हाल ही में यूरोप, अमरीका और जापान का भ्रमण किया था;

कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है या होने वाली है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (१) छठे विश्व युवक समारोह के लिये जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल मास्को गया उसके लिये न कुछ भी विदेशी मुद्रायें दी गई हैं और न दी जानें वाली हैं ।

(२) २४,००० रुपये ।

(३) १५,६३० रुपये ।

जीवन बीमा निधि का विनियोजन

†६४०. { **श्री विमल घोष:**
श्री टांटिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन बीमा निधि के विनियोजन के सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया है अथवा किसी प्रकार का नियंत्रण किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निदेश अथवा नियंत्रण किस प्रकार का है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[२८] Calcutta Collectorate of Central Excise

(ग) २० अप्रैल, १९५७, ३१ मई, १९५७ और २० जून, १९५७ को जीवन बीमा निगम का साधारण अंशों[२९] में कितना विनियोजन था ;

(घ) भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के स्टाक एक्सचेन्जों द्वारा किये गये विनियोजनों का अनुपात क्या है ; और

(ङ) क्या वर्ष के अन्त में लाभ अथवा हानि का लेखा जोखा किया जाता है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) साधारण अंशों में किये गये कुल विनियोजन :

२०-४-५७ को	. .	३,५६,७७,८०६.९३ रुपये
३१-५-५७ को	. .	४,८२,७१,९६८.८२ रुपये
२०-६-५७ को	. .	५,६३,८३,८८५.३२ रुपये

(घ) निगम द्वारा १-९-५६ से ३०-६-५७ तक (१) सरकारी और संमोदित प्रतिभूतियों और (२) ऋण-पत्रों, पूर्वाधिकार अंशों और साधारण अंशों में विनियोजित की गई राशियां और सम्बन्धित योगों से उन का अनुपात निम्न प्रकार है :

(क) सरकारी और संमोदित प्रतिभूतियां	राशि (अंकित मूल्य)	प्रतिशत
बम्बई . . .	१३,५३,३२,८०० रुपये*	८२.४
कलकत्ता . . .	१,११,६५,६०० रुपये	६.८
मद्रास . . .	१,६७,५७,९०० रुपये	१०.२

*इस में से २,४२,७४,००० रुपये रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई से प्रत्यक्ष खरीदी गई प्रतिभूतियों के हैं ।'

(ख) ऋण पत्र, पूर्वाधिकार और साधारण अंश	विनियोजित राशि	प्रतिशत
बम्बई .	४,६०,८८,७०० रुपये	४७.२
कलकत्ता . . .	४,७८,३०,३०० रुपये	४८.९
मद्रास . . .	३८,२०,७०० रुपये	३.९

(ङ) हां, श्रीमान् ।

मल अंग्रेजी में ।

[२९] Equities.

रूरकेला में निर्माण कार्य

†६४१. श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ के अन्त तक रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये बस्ती के निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : बस्ती पर दिसम्बर, १९५६ के अन्त तक ३.१८ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं ।

काश्मीर को सहायता

†६४२. {श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री ह० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य को १९४७ से अभी तक अनुदान, ऋण, अवर्गीत लेखा, ऋण सहित अथवा रहित, जैसी विभिन्न मदों के अन्तर्गत अनुदानों और ऋणों के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : भारत सरकार ने जम्मू और काश्मीर सरकार को १९४७ से ४७,१६.८७ लाख रुपये की वित्तीय सहायता निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत दी है :

(रुपयों की संख्या लाखों में)

(क) नियमित ब्याज वाले ऋण	२५,१८.४८
(ख) १३ मई, १९५४ तक 'काश्मीर को सहायता' के अन्तर्गत अग्रिम धन और जम्मू-पठानकोट सड़क पर व्यय .	९,५३.८९
(ग) १४ मई, १९५४ से अनुदान	१,५५.००
(घ) १९५४-५५ से वार्षिक सहायतार्थ-अनुदान . .	८,२९.५०
(ङ) खाद्य सहायता	२,६०.००

स्टैन्डर्ड वैकुअम ऑयल कम्पनी

†६४३. श्री तंगामणि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि स्टेन्डर्ड वैकुअम ऑयल कम्पनी भारत में अपने व्यापार का कोई संतुलन-पत्र नहीं रखती है वरन् केवल न्यूयार्क में रखे जाने वाले कम्पनी के रजिस्टरों के अनुरूप एक लेखा-विवरण रखती है ?

†वित्त मंत्री (श्री टि० त० कृष्णमाचारी): जैसा कि भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३, जो ३१-३-१९५६ तक लागू था, की धारा २७७ की उप-धारा (३) में विनिहित है, कम्पनी ने अपने संचित संतुलन-पत्र, जैसाकि ३१ दिसम्बर, १९५५ को था, की प्रतियां समुचित रूप से भेजी थीं जिस में उस की समस्त संसार में फैली हुई सहायक संस्थाओं और शाखाओं की आस्तियां तथा दायित्व दिये हुए थे और फार्म 'एच' में एक विवरण भी प्रस्तुत किया था जैसाकि भारतीय समवाय अधिनियम १९१३ की तीसरी अनुसूची में विनिहित है । कम्पनी की ३१ दिसम्बर, १९५६ को समाप्त होने वाली अगली अवधि के लेखे, जो समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ५९४ के पद के अनुसार तैयार किये जाने हैं, अभी तक देय नहीं हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

बर्मा शैल

†६४४. श्री तंगामणि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड अपना संतुलन पत्र ब्रिटेन स्थित अपने मुख्य 'आयल-ग्रुप' के कमीशन एजेन्ट के रूप में तैयार करती है; और

(ख) क्या यह सच है कि इस संतुलन पत्र में कर्मचारियों और पदाधिकारियों की मंजूरियां नहीं दिखाई जाती हैं जिन्हें वह रखती है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):(क) जैसा कि भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ में विनिहित है, जो ३१-३-५६ तक लागू था, कम्पनी ने कम्पनियों के रजिस्ट्रार को अपने ३१ दिसम्बर, १९५५ के संतुलन पत्र की प्रतियां दे दी थीं जो उसने ब्रिटेन के लोक प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया था जहां वह निगमित है। कम्पनी का ३१ दिसम्बर, १९५६ को समप्त होने वाले वर्ष का संतुलन पत्र, जो समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ५९४ के पदों के अनुसार तैयार किया जाना है, अभी तक देय नहीं हुआ है।

(ख) हां, श्रीमान्। ऐसा इस कारण है कि कम्पनी के कर्मचारियों की मजूरियों तथा उन पर किये जाने वाले अन्य व्यय का ब्यौरा संतुलन पत्र में देना आवश्यक नहीं है।

तेल-शोधक कारखाने

†६४५. श्री तंगामणि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने तेल शोधक कारखानों द्वारा देय आयकर में अधिकतम सीमा स्वीकार कर ली है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : नहीं, श्रीमान्। तेल शोधक कारखानों द्वारा देय कर का विनियमन आयकर अधिनियम के सामान्य उपबन्धों द्वारा होता है।

त्रिपुरा में गृह-निर्माण

†६४६. श्री दशरथ देब : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा को सीमेंट आदि जैसी भवन निर्माण की सामग्री नहीं मिल रही है;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा को इस समय लोहे की नालीदार चादरों के अभाव के कारण बहुत नुकसान हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार त्रिपुरा में इस कमी की पूर्ति करने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) नहीं, श्रीमान्; परन्तु संभरण समस्त आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सके।

(ग) वर्तमान समय में लोहा और इस्पात सामग्रियों और सीमेंट की अत्यधिक कमी के कारण विभिन्न राज्यों की मांगें, त्रिपुरा की मांग सम्मिलित करते हुए, पूरी नहीं की जा सकीं। त्रिपुरा के मामले में परिवहन की एक अतिरिक्त कठिनाई है जिस से सामान पहुंचने में विलम्ब होता है। कलकत्ते से माल भेजने में शीघ्रता की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मूल्य निर्धारक-तालिका[१०]

†६४७. **श्री रामकृष्ण रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मूल्य निर्धारक तालिका की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है;

(ख) क्या उन की नियुक्ति स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है अथवा किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा; और

(ग) क्या मूल्य निर्धारक-तालिका का निर्माण प्रत्येक राज्य में किया जाता है अथवा केवल केन्द्र में जो सब राज्यों के मामलों को देखता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) कोई भी व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिहित और भारत के राजपत्र में समय समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के रूप में प्रकाशित अर्हतायें और शर्तें पूरी करता हो, सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मूल्य-निर्धारक-तालिका में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिये प्रार्थना पत्र दे सकता है । सम्पदा शुल्क प्रयोजनों के लिये मूल्यांकित की जाने वाली सम्पत्ति अनेक मुख्य वर्गों में विभाजित है जैसे अचल सम्पत्ति, स्कन्ध और अंश, हीरे-जवाहरात, कलात्मक कृतियां आदि, और प्रत्येक वर्ग के लिये विनिहित अर्हताओं के अनुसार मूल्य-निर्धारक नियुक्त किये जाते हैं । प्रत्येक मामले में नियुक्ति पहली बार में तीन वर्ष की अवधि के लिये होती है, परन्तु कोई भी मूल्य-निर्धारक पुनर्नियुक्ति के लिये प्रार्थनापत्र दे सकता है यदि वह उस समय लागू शर्तों की पूर्ति करता हो ।

ऐसे नोटिसों के जारी किये जाने का समाचार-पत्रों और स्थानीय आयकर कार्यालयों के द्वारा विस्तृत प्रचार किया जाता है । उन की प्रतियां इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स और इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स जैसी व्यवसायिक संस्थाओं को भी भेजी जाती हैं । इस सम्बन्ध में ८-७-५७ को जारी किया गया अन्तिम नोटिस भारत के राजपत्र दिनांक १३ जुलाई, १९५७ (भाग १, उपभाग १—पृष्ठ २६०–२६१) में प्रकाशित किया गया था ।

(ख) मूल्य-निर्धारकों की नियुक्ति वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा की जाती है ।

(ग) मूल्य-निर्धारक तालिका का निर्माण अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है और किसी भी राज्य के मूल्य-निर्धारक देश के किसी भी भाग में सम्पदा शुल्क प्रयोजनों के लिये मूल्यांकन कार्य कर सकते हैं ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

†६४८. **श्री सुबिमन घोष** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद २२२ में विहित उपबन्धों के अनुसार अभी तक उच्च न्यायालयों के कितने न्यायाधीशों का स्थानान्तरण किया गया है; और

(ख) उन में से कितने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). गत नवम्बर में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो भूतपूर्व 'ख' श्रेणी के राज्यों (जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर) के समस्त उच्च न्यायालयों को खतम कर दिया गया था । परन्तु उन उच्च न्यायालयों के

---

†मूल अंग्रेजी में

[१०] Panel of Valuers.

ऐसे न्यायाधीशों को, जिन्हें जारी रखा जा सकता हो, नई व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को आवण्टित करने की शक्ति ली गई थी। तदनुसार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ५०(३) के अन्तर्गत इन में से कुछ न्यायाधीशों को नई व्यवस्था के उच्च न्यायालयों को आवंटित करने के लिये कार्यवाही की गई थी। उन न्यायाधीशों के नाम, जिन्हें बनाये रखना था तथा उन उच्च न्यायालयों के नाम जिन को वे आवंटित किये गये थे लोक-सभा-पटल पर रखे गये विवरण में मिलेंगे। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १४]

भूतपूर्व मध्यप्रदेश राज्य के कुछ क्षेत्रों का नये बम्बई राज्य को हस्तान्तरण के परिणाम-स्वरूप भूतपूर्व नागपुर उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों का नये बम्बई राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण करना भी आवश्यक हो गया। यह संविधान के अनुच्छेद २२२ के अन्तर्गत किया गया। इस प्रकार स्थानान्तरित न्यायाधीशों की सूची लोक-सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४]

गत जुलाई में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश श्री एस० आर० दासगुप्त मैसूर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये गये थे। यह संविधान के अनुच्छेद २१७ के अन्तर्गत की गई एक नियुक्ति थी न कि संविधान के अनुच्छेद २२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरण।

असिस्टेंट

†६४९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय "नान-टेस्ट" वर्ग में कितने असिस्टेंट हैं और उन में से कितने विस्थापित व्यक्ति हैं ;

(ख) उपरोक्त वर्गों में से प्रत्येक के कितने असिस्टेंट "प्रारंभिक गठन"[३१] और "प्रारंभिक नियमित अस्थायी संस्थापन"[३२] में सम्मिलित हैं ;

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित वर्गों से कितने सहायक बच रहे हैं;

(घ) क्या बच रहे व्यक्तियों को "संधारण नियमित अस्थायी संस्थापन"[३३] में सम्मिलित किया जायगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) असिस्टेंटों के 'नान-टेस्ट' वर्ग में सम्मिलित किये जाने के लिये ८९१ योग्य थे और उन में से २९६ विस्थापित स्थायी सरकारी कर्मचारी थे।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चतुर्थ श्रेणी का प्रारंभिक गठन:

(१) विस्थापित सरकारी कर्मचारी	१०९
(२) अन्य	२२९
योग .	३३८

---

†मूल अंग्रेजी में

[३१]Initial Constitution

[३२]Initial Regular Temporary Establishment

[३३]Maintenance Regular Temporary Establishment

असिस्टेंटों का नियमित अस्थायी संस्थापन: ४८६*

(प्रारंभिक गठन)

*विस्थापित और गैर-विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में पृथक संख्यायें उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) ६७ ।

(घ) और (ङ). शेष व्यक्तियों में से अधिकांश या तो अर्ध-स्थायी असिस्टेंट हैं या वे व्यक्ति हैं जिन्होंने १९५१ में हुई असिस्टेंटों की श्रेणी की परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है अथवा क्लर्की सेवा की प्रथम श्रेणी में प्रारम्भिक गठन के समय नियुक्ति की योग्यता रखते हैं । उन की इन तीन सूचियों में अपने नम्बर के आधार पर नियमित अस्थायी संस्थापन में संधारण प्रक्रम में नियुक्ति के लिये विचार किया जा रहा है ।

सशस्त्र बल सेवा शर्तें

†६५०. **श्री नौशीर भरूचा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र बल में अफसरों और सैनिकों की सेवा शर्तों में उपदान, बाल-भत्तों, यात्रा भत्तों, सामान-भत्तों, वृद्धि की दर और असमर्थता पेन्शन के मामलों में बहुत अधिक असमानता है; और

(ख) सरकार इन असमानताओं को कम करने के लिये क्या कदम, यदि कोई हों, उठाने का विचार कर रही है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (**सरदार मजीठिया**) : (क) सशस्त्र बल में अफसरों और अन्य श्रेणियों को स्वीकार्य लाभों में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में वेतन, निवृत्ति वेतन और पारण विनियमों के अन्तर्गत असमानतायें हैं ।

(ख) विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के उपदान इत्यादि सम्बन्धी लाभों का विनियमन उन की सेवा की मूलभूत शर्तों, वेतन, उन के कार्य की प्रकृति, और उचित तथा आवश्यक प्रोत्साहन के अनुसार किया जाता है ।

हिन्दी स्टेनोग्राफर

६५१. { **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री खुशवक्त राय:

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सचिवालय में कुल कितने हिन्दी स्टेनोग्राफर्स काम कर रहे हैं;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा के लिये कम से कम कितने स्थानों का होना आवश्यक है;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हिन्दी स्टेनोग्राफरों की नियुक्ति के लिये आज तक कोई परीक्षा ली गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि नहीं, तो भविष्य में ऐसी परीक्षा कब ली जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) २८

(ख) से (घ). संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा लेना तभी उचित होगा जबकि हिन्दी स्टेनोग्राफरों की पर्याप्त संख्या में आवश्यकता हो । इस के लिये कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है ।

हिन्दी स्टेनोग्राफरों की अभी इतनी कम संख्या में आवश्यकता है कि उन के स्थानों की तदर्थ आधार पर पूर्ति ज्यादा सुविधाजनक समझी जाती है । इसीलिये अभी तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई परीक्षा नहीं ली गई । यह कहना सम्भव नहीं है कि ऐसी परीक्षा कब होगी । यह हिन्दी स्टेनोग्राफरों की तेजी से बढ़ती हुई मांग तथा उन के रिक्त स्थानों की संख्या पर निर्भर करती है ।

आन्ध्र में बहु-प्रयोजनीय स्कूल[14]

†६५२. **श्री ब० स० मूर्ति :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २५ जुलाई, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में अभी तक आन्ध्र प्रदेश में कितने बहु-प्रयोजनीय स्कूल चालू किये गये हैं; और

(ख) १९५६-५७ और १९५७-५८ में (अभी तक) इस परियोजना के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई व कितनी दी गई ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) १९५६-५७ में दो ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये १९५६-५७ में राज्य सरकार द्वारा कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी गई थी । १९५७-५८ की राज्य शैक्षिक विकास योजना में ५८,००० रुपये का उपबन्ध किया गया है जिस में से प्रस्तावित केन्द्रीय अंश ३४,८०० रुपये है । परन्तु अभी तक कुछ भी राशि मंजूर नहीं की गई है ।

वैज्ञानिक गवेषणा के लिये अनुदान

†६५३. **श्री ब० स० मूर्ति:** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में आन्ध्र और वेंकटेश्वर विश्वविद्यालयों को वैज्ञानिक गवेषणा कार्य के लिये कितनी राशियां दी गई हैं; और

(ख) गवेषणा का विषय क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क)

आन्ध्र विश्वविद्यालय	४,०९,००० रुपये ।
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	१,३५,००० रुपये ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिस में आवश्यक सूचना दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४]

†मूल अंग्रेजी में

[14]Multi-purpose Schools

अण्डमान द्वीपसमूह

†६५४. श्री गणपति राम : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में आदिवासियों की स्थिति के सुधार के लिये क्या कार्य किये गये हैं;

(ख) अभी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) सरकार भविष्य में और क्या कार्य करने का विचार कर रही है ?

†गृह–कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) (१) एक अस्पताल पोत "इन्डॉस", जो कोलम्बो सहायता योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया गया था, नीकोबार-वासियों को चिकित्सा सहायता देने के लिये नीकोबार में स्थित कर दिया गया है ।

(२) एक लाख रुपये की लागत की एक आदिवासी कल्याण योजना इन लोगों की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति के लिये मंजूर की गई है । उन लोगों के कल्याण के लिये इस योजना के अन्तर्गत एक चिकित्सा तथा नर-तत्वीय दल स्थापित किया जा रहा है ।

(३) अण्डमान और नीकोबार द्वीपसमूह (आदिवासी आदिम जातियों का संरक्षण) विनियम, १९५६ नामक एक विनियम आदिवासियों की शोषण से रक्षा करने के लिये प्रख्यापित किया गया है ।

(४) नीकोबार द्वीपसमूह के लिये एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड मंजूर किया गया है ।

(५) एक मलेरिया तथा फिलेरिया दल नीकोबार द्वीपसमूह में स्थापित किया गया है ।

(६) नीकोबार में नारियल बागान के विकास के लिये भी एक योजना मंजूर की गई है ।

(७) कारनीकोबार अस्पताल में यौन सम्बन्धी रोगों के उपचार के लिये विशेष कर्मचारियों और आवश्यक साज-सामग्री का उपबन्ध किया जा रहा है ।

(ख) इन द्वीपों के लिये कोई विशेष प्रथम पंचवर्षीय योजना नहीं थी । आदिवासियों को सामान्य विभागीय कार्यों का लाभ मिला । उन के कल्याण पर व्यय के पृथक अंक तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६]

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

†६५५. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य से तम्बाकू पर लगाये गये उत्पादन-शुल्क से वर्ष १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : एक विवरण, जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७]

---

† अंग्रेजी में

प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों का वेतन

६५६. श्री म० दा० माथुर : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न सूचना दी गई हो :

(क) प्रत्येक राज्य में प्राथमिक स्कूल के अध्यापक का मूल वेतन; और

(ख) संघ सरकार द्वारा बढ़े हुए व्यय का ५० प्रतिशत अंशदान करने का प्रस्ताव करने के पश्चात् प्रत्येक राज्य में प्राथमिक स्कूल के अध्यापक के वेतन में की गई वृद्धि ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८]

समुद्रवर्णन[15]

†६५७. श्री ब० स० मूर्ति: क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अभी तक सरकार द्वारा कोई विद्यार्थी समुद्रवर्णना का उच्च अध्ययन करने के लिये बाहर भेजे गये हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): भारत सरकार द्वारा कोई भी विद्यार्थी नहीं भेजा गया है; परन्तु दो व्यक्तियों को, जो नौकरी में ही थे, बाहर के देशों में समुद्रवर्णना के अध्ययन / प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्तियां (एक यूनेस्को द्वारा और दूसरी यूगोस्लाविया की सरकार द्वारा) दी गई थीं ।

इंफ्लुएंजा महामारी

६५८. श्री भक्त दर्शन : क्या गृह कार्य मंत्री ३० जुलाई, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ है तब से अब तक दिल्ली में भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में नियुक्त कितने व्यक्ति इंफ्लुएंजा के शिकार हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

प्रतिरक्षा डिपोओं में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

†६५९. { श्री द० अ० कट्टी :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना में विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थापनाओं में अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी सेवा में हैं;

(ख) ऐसे कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित प्रतिशत कायम रखा जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[15]Oceanography

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (घ). प्रतिरक्षा संस्थापनाओं में नौकरी जाति के आधार पर नहीं दी जाती है। चाही गई सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है परन्तु वह कर्मचारियों से उन की जाति पूछने से ही एकत्रित की जा सकती है।

तिरुचिरापल्ली में जिप्सम निक्षेप

†६६०. श्री तंगामणि : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मद्रास राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में जिप्सम निक्षेपों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा उपलब्ध है; और

(ग) उस के पूर्ण विदोहन के लिये क्या कदम, यदि कोई हों, उठाये गये हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) ५० फीट की गहराई में लगभग १५० लाख टन निक्षेपों का अनुमान किया जाता है।

(ग) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मद्रास में खनिज सर्वेक्षण

†६६१. श्री नरसिंहन् : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री निम्नांकित सूचना सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५७-५८ और दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये मद्रास राज्य के लिये भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण और खानि-विभाग के कार्यक्रम की एक प्रति; और

(ख) उपरोक्त अवधि के लिये मद्रास राज्य में सलेम जिले के लिये भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण और भारतीय खानि विभाग के अलग-अलग कार्यक्रम ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी।

अनुसूचित जातियों के सरकारी कर्मचारी

६६२. श्री रूप नारायण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिन को तीन वर्ष से अधिक काम करते हो गया है, स्थायी बना दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें स्थायी नहीं किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) अनुसूचित जाति के अस्थायी कर्मचारियों को, यदि वे योग्य पाये जायें, तो अनुपात से उन के लिये विशेषतः सुरक्षित रखे स्थायी

†मूल अंग्रेजी में

स्थानों में उन का स्थायी-करण किया जाता है। स्थायी स्थानों की संख्या हर ग्रेड और काडर में अलग अलग है और तीन ही वर्ष अथवा सेवा के किसी निर्धारित समय में ही उन का स्थायीकरण हमेशा सम्भव नहीं होता। फिर भी ऐसे कर्मचारियों को उन दूसरों से बहुत पहले स्थायी बनाये जाने की संभावना है जिन का सेवा काल चाहे उन से अधिक हो; और

(ख) उन कर्मचारियों की संख्या, जो स्थायी नहीं बनाये गये हैं, मालूम नहीं है और न ही ऊपर (क) में दिये उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इस सूचना को आसानी से एकत्र करना सम्भव है।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम में संशोधन

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): मैं औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १५ जून, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९४८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। [देखिये संख्या एल० १८३/५७].

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में

†राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : एक औचित्य प्रश्न . . . .

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने ११ बज कर ५ मिनट पर, सभा की बैठक आरम्भ हो चुकने के बाद, स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। दूसरी बात यह कि उन के प्रस्ताव का विषय एक राज्य की विधि और व्यवस्था से सम्बन्धित था। इन्हीं दोनों कारणों से मैं ने उस की अनुमति नहीं दी है। यदि उन्हें अब भी कोई सन्देह है तो वे मुझ से मिल सकते हैं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली के अध्यापकों की प्रस्तावित हड़ताल

† श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं, और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"२० अगस्त, १९५७ को दिल्ली के सरकारी और ग़ैरसरकारी स्कूलों के अध्यापकों की प्रस्तावित हड़ताल।"

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : दिल्ली राज्य अध्यापक संस्था ने अपने दिनांक २५ जुलाई, १९५७ के पत्र संख्या ७०५४ द्वारा सूचित किया था कि अध्यापकगण २० अगस्त, १९५७ से चार दिनों के लिये 'चाक रख दो' हड़ताल करेंगे। उन का कहना है कि वे हड़ताल के दिनों में स्कूलों में तो जायेंगे, लेकिन अध्यापन-कार्य नहीं करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

उन की प्रस्तावित हड़ताल का तात्कालिक कारण यह है कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की ओर से उन के पास एक पत्र भेजा गया है जिस में लेखा परीक्षकों द्वारा की जाने वाली आपत्ति के कारण सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की कुछ श्रेणियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण रोक देने की बात कही गई थी। संस्था ने अपने दिनांक २५-७-५७ के पत्र में अपने कुछ कष्टों का भी उल्लेख किया है और उसने गत तीस महीनों में समय-समय पर सरकार के सामने कुछ मांगें भी रखी हैं।

दिल्ली राज्य अध्यापक संस्था सरकारी स्कूलों और सरकार द्वारा सहायता पाने वाले स्कूलों दोनों ही के अध्यापकों का संगठन है। वह विभिन्न मसलों के सम्बन्ध में प्रतिनिधान करता रहा है। सरकार ने उन पर ध्यान भी दिया था। गत जनवरी में, और उस के बाद, उसने ये मांगें रखी हैं :—

(१) कुछ श्रेणियों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण; आदि।

(२) सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की सेवाओं की पुष्टि।

(३) सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों की ठीक समय पर अदायगी।

(४) स्थानीय निकायों द्वारा विभागीय आदेशों का पालन।

(५) देहाती क्षेत्रों में काम करने वाले अध्यापकों के भत्तों में वृद्धि।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि वक्तव्य बहुत बड़ा है इसलिये उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा और प्रकाशित भी कर दिया जायेगा।

†**श्री वें० पे० नायर** (क्विलोन) : क्या कार्यवाही की जायेगी ? वक्तव्य का क्रियाकारी भाग कृपया पढ़ दिया जाये।

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: हड़ताल करने के कोई उचित कारण नहीं हैं। सरकार सभी मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। खेद की बात तो यह है कि इतने पर भी अध्यापकों ने हड़ताल की सूचना दी है। सरकार ने दिल्ली ही नहीं, समस्त देश के अध्यापकों की मांगों पर सदा ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। हमने समस्त देश के अध्यापकों की सेवा की परिस्थितियों में सुधार करने के लिये कई उपाय भी किये हैं। इसीलिये, मैं समझता हूं कि हड़ताल की सूचना अयाचित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वक्तव्य का क्रियाकारी भाग सुना दिया गया है।

[शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य का शेषांश सभा-पटल पर रखा गया]

वक्तव्य का शेषांश

(६) भविष्य निधि अंशदान का पुनरीक्षण और तीन लाभों वाली योजना की मंजूरी।

(७) गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिये निःशुल्क चिकित्सा।

(८) अध्यापकों के बालकों के लिये निःशुल्क स्कूली शिक्षा।

(९) सरकारी सहायता-प्राप्त, निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के राजनीति में भाग लेने के सम्बन्ध में, दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किये गये परिपत्र को वापस लेना।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(१०) स्थानीय निकायों आदि में अध्यापकों की संस्था को प्रतिनिधित्व देने का अनुरोध ।

(११) शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये अध्यापकों के बालकों के लिये छात्रवत्तियां देने का अनुरोध ।

(१२) विभिन्न प्रान्तीय स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जाने वाले स्कलों में अध्यापकों की सेवा-निवृत्ति ।

(१३) लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई आपत्ति को रद्द करके, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण ।

अभी तक इस सम्बन्ध में यह कार्यवाही की गई है:—

(१) केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल द्वारा की गई लेखा-परीक्षा सम्बन्धी आपत्ति के फलस्वरूप वेतन-क्रमों का जो पुनरीक्षण रोक दिया गया था, उसके सम्बन्ध में सरकार जांच कर रही है और जब तक उस लेखा-परीक्षा सम्बन्धी आपत्ति का उत्तर नहीं दे दिया जाता और उसे वापिस नहीं ले लिया जाता, तब तक हम पुनरीक्षित वेतन-क्रमों को प्रभावी नहीं बना सकते ।

पैरा तीन की शेष बातों के सम्बन्ध में स्थिति यह है:—

(१) वेतन-क्रम का कोई भी पुनरीक्षण करने के लिये, विशेषकर भूतलक्षी प्रभाव का पुनरीक्षण करने के लिये, यह आवश्यक है कि सरकार पहले बड़ी सावधानी से यह विचार कर ले कि अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर उस के किसी भी निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा । सरकार अभी भी इस विषय पर विचार कर रही है । सरकार ने भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों के बारे में तो निर्णय कर ही लिया है और अध्यापक-संस्था को वह निर्णय समझा भी दिया है ।

(२) वर्ष १९५४ में जितने भी स्थान रिक्त थे, उन में से लगभग ८० प्रतिशत को स्थायी बना दिया गया है, और दिल्ली प्रशासन उन पदों पर अध्यापकों की सेवाओं की क्रमशः पुष्टि करता भी जा रहा है । १४६ अध्यापकों की सेवाओं की पुष्टि के आदेश तो जारी भी किये जा चुके हैं और अन्य अध्यापकों के मामले भी शीघ्र ही लिये जायेंगे । इस सम्बन्ध में यहां यह बताना भी आवश्यक है कि सेवा की पुष्टि के समय एक उचित स्तर पर डाक्टरी परीक्षा कराना और कुछ अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति करना भी आवश्यक होता है । अभी हाल के इंफ्लुएंजा के प्रकोप के अतिरिक्त, अन्य भी कई कारणों से, डाक्टरी परीक्षा का यह कार्य धीमा पड़ गया था और इस विलम्ब के लिये उत्तरदायी दिल्ली प्रशासन को निदेश दे दिये गये हैं कि इसे शीघ्रता से पूरा किया जाये ।

(३) अध्यापक संस्था ने जिन-जिन संस्थानों के मामलों का उल्लेख किया था, उन में से अधिकांश सहायता-प्राप्त स्कूलों में बकाया वेतनों की अदायगी का प्रबन्ध गत अप्रैल में ही कर दिया गया था । सरकारी सहायता-प्राप्त निजी संस्थानों में और भी सुचारु रूप से कार्य-संचालन सुनिश्चित बनाने के लिये स्थानीय प्रशासन द्वारा श्रीमती सुचेता कृपालानी के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की जा चुकी है । वह समिति इस से सम्बन्धित अन्य मामलों पर भी विचार करेगी ।

(४) अध्यापक संस्था को स्थानीय निकायों द्वारा विभागीय आदेशों के पालन के संबंध में बता दिया गया है कि ऐसे निकाय स्वायत्त प्रकार के होते हैं और इसलिये उन को

[डा० का० ला० श्रीमाली]

इस के बारे में कोई अधिदेशक अनुदेश जारी करना व्यावहारिक नहीं है । ऐसा तो केवल आपातकालीन परिस्थिति में ही किया जा सकता है ।

(५) देहाती क्षेत्रों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के भत्तों में वृद्धि करने के प्रश्न को अलग से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उस के लिये उसी स्थिति के अन्य श्रेणियों वाले सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर भी विचार करना पड़ेगा । दिल्ली राज्य अध्यापक संस्था के प्रतिनिधियों को यह बता दिया गया है ।

(६) सहायता-प्राप्त निजी स्कूलों से सम्बन्धित समिति भविष्य निधि अंशदान की दर के पुनरीक्षण और तीन लाभों की योजना की कार्यान्विति के विषय में जांच कर रही है । इन निर्णयों का प्रभाव अन्य श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ेगा, इसलिये ऐसे निर्णय तदर्थ रूप में नहीं किये जा सकते ।

(७) स्थानीय प्रशासन ने गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की निःशुल्क चिकित्सा के प्रश्न की जांच के लिये एक समिति बना दी है, जो जांच-पड़ताल कर भी रही है ।

(८) दिल्ली प्रशासन अध्यापकों के बालकों के लिये निःशुल्क स्कूली शिक्षा का प्रबन्ध करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

(९) सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों द्वारा राजनीति में भाग लेने के सम्बन्ध में जारी किया गया परिपत्र कुछ समय पहले वापिस ले लिया गया है और अध्यापकों के प्रतिनिधियों को उस की सूचना भी दे दी गई है ।

(१०) अध्यापकों ने अनुरोध किया था कि स्थानीय निकायों में उन को भी प्रतिनिधित्व दिया जाये । इस के सम्बन्ध में अध्यापकों के प्रतिनिधियों को सूचित कर दिया गया था कि उन्हें इस विषय पर सम्बन्धित स्थानीय निकायों से बात करनी चाहिये थी ।

(११) दिल्ली प्रशासन अध्यापकों के बालकों को छात्रवृत्तियां देने के उन के अनुरोध के बारे में विचार कर रहा है ।

(१२) शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के फलस्वरूप, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों के जो भी कुछ अध्यापक नवम्बर, १९५६ में सेवा-निवृत्त हो गये थे, उन को काम पर वापिस बुला लिया गया था, और उन आदेशों को भूतलक्षी प्रभाव से रद्द कर दिया गया था ।

इस में यह तो मानना ही पड़ता है कि स्थानीय प्रशासन ने कुछ मामलों में अन्तिम आदेश जारी करने में काफ़ी विलम्ब कर दिया है । इस का आंशिक कारण यह तो था कि ये बड़े जटिल से विषय थे और वित्त मंत्रालय को, अन्य सम्बन्धित अभिकरणों से परामर्श कर के, उन पर बड़ी सतर्कता से विचार करना था । और दूसरा, आंशिक कारण यह था कि दिल्ली प्रशासन के कार्य करने की प्रक्रिया बड़े धीमे-धीमे चलती है । अब दिल्ली प्रशासन को स्पष्ट रूप से ऐसे निदेश दे दिये गये हैं कि उसे अपनी प्रशासकीय व्यवस्था में ऐसे मामलों पर शीघ्रता से कार्य करने के लिये आवश्यक परिवर्तन कर लेने चाहियें । साथ ही, इस का स्पष्टीकरण कर देना भी आवश्यक है कि अध्यापकों के लिये यह भी अनुचित है कि वे अपनी मांगें सूचित कर के वित्तीय या प्रशासकीय कारणों

से उन में से कुछ या सभी के स्वीकृत होने पर हड़ताल करने की धमकी देने लगें। इतना ही नहीं, सरकारी सेवा में रहने वाले अध्यापकों के विरुद्ध सरकारी कर्मचारी आचरण नियम के अन्तर्गत अनुशासन की कार्यवाही भी की जा सकती है। संस्था के प्रतिनिधियों को बता दिया गया है कि सरकार उन की ऐसी हड़ताल की धमकियों को बहुत बुरा मानती है, क्योंकि वह उन की विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ही रही है। शिक्षा मंत्रालय ने अध्यापकों के प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये सभी व्यावहारिक प्रयास कर लिये हैं। सरकार ने सभी अध्यापकों की कार्य-क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा और सामान्य कल्याण में सुधार करने के कई उपाय किये हैं। सरकार ने सारे देश के अध्यापकों के वेतनों के पुनरीक्षण के लिये कई योजनायें आरम्भ की हैं। यदि कुल मिला कर देखा जाये तो दिल्ली के अध्यापकों की सेवा के निबन्धन और शर्तें अन्य राज्यों के अध्यापकों से ज्यादा सुविधाजनक हैं। सरकार उन्हें बता देना चाहती है कि वह सदा ही उन के हितों और कल्याण की देख-भाल करती रहेगी, लेकिन वह उस के बदले में यह भी चाहती है कि सरकारी और निजी सेवाओं के सभी अध्यापक भी सरकार के साथ उसी प्रकार से सहयोग करते रहें और एक तर्क-संगत दृष्टिकोण अपनायें।

---

*अनुदानों की मांगें—जारी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी।

माननीय सदस्य मांग संख्या ७८, ७९, ८०, ८१ और १२६ के सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्ताव पन्द्रह मिनट के अन्दर दे दें। नियमानुकूल होने पर, मैं उन्हें प्रस्तुत मान लूंगा।

वर्ष १९५७-५८ के लिये इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अनुदानों की यह मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
७८	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय	**३१,१५,००० रुपये
७९	खान	२८,३७,००० रुपये
८०	तेल और प्राकृतिक गैस की खोज	१,५०,३१,००० रुपये
८१	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय	**५५,९६,९३,००० रुपये
१२६	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय	**१,६८,६५,२४,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत की गई।

**इनमें २६ मार्च, १९५७ को स्वीकृत लेखानुदान की राशियां भी सम्मिलित हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम्) : इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने का अर्थ है देश के आर्थिक विकास पर चर्चा करना ।

हम ने द्वितीय योजना में निर्धारित किया है कि १९६१ तक हमें ६ करोड़ टन कोयले का उत्पादन करना चाहिये । १९५५ में कोयले का उत्पादन ३ करोड़ ८२ लाख टन था । १९५६-५७ में इस में १२ लाख टन की वृद्धि हुई है । यह प्रगति असंतोषजनक है ।

मध्य प्रदेश की कोरबा कोयला खानों को १९६१ तक ४० लाख टन कोयला उत्पादित करना है, लेकिन अभी १९५७ में हम वहां खुदाई आरम्भ ही कर रहे हैं । इस प्रकार हम लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकेंगे ।

सिंगरैनी कोयला खदानों को १९६१ तक अपना उत्पादन दूना कर देना है, अर्थात् ३० लाख टन कर देना है । उस के लिये ६ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी की गई है । लेकिन, राज्य सरकार के ६० लाख रुपये मांगने पर उसे अभी तक कुल १० लाख रुपये ही दिये गये हैं । सरकार को वित्तीय सहायता से हाथ नहीं खींचना चाहिये । अन्यथा कोयला खानें विदेशों से मशीनें नहीं मंगा सकेंगी । उन की प्रगति रुक जायेगी । निजी क्षेत्र से भी यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपना एक करोड़ टन कोयले का लक्ष्य पूरा कर लेगा, क्योंकि उन के काम का तरीक़ा ठीक नहीं है । गत एक वर्ष में, पश्चिमी बंगाल और मध्यप्रदेश में कई छोटी और मध्यम दर्जे की खानें बन्द कर दी गई हैं । उस का कारण यह बताया गया है कि अधिक व्यय होने के कारण उन में खानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा बताये गये सुरक्षा के उपायों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका था ।

देश में वास्तविक उत्पादन से अधिक मांग होने पर भी कोयले के परिवहन की कोई उचित योजना नहीं है ।

कोयला खदानों के एकीकरण के लिये एक समिति नियुक्त की गई है । उस ने बिहार और बंगाल की कोयला खानों का निरीक्षण कर के कुछ सिफ़ारिश भी की है । उस ने ६६० छोटी-छोटी खानों के एकीकरण के प्रश्न का अध्ययन करने की सिफ़ारिश की है । उन्हों ने सरकार से शीघ्र ही कार्य करने की सिफ़ारिश की थी और उस के लिये समय भी निर्धारित कर दिया था । लेकिन, सरकार पिछले नौ महीनों से उस पर अभी विचार ही कर रही है । इस प्रकार प्रगति कैसे होगी ?

निवेली की लिगनाइट की खानों में भी कार्य की प्रगति बड़ी धीमी है । मंत्रणा समिति में हमें बताया गया था कि लिगनाइट की प्रति टन लागत साढ़े छः से सात रुपये तक होगी, लेकिन अब कुछ ही महीनों में कहा जा रहा है कि वह आठ रुपये प्रति टन पड़ेगी । क्यों ?

सरकार को इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिये कि लिगनाइट की खानों का कार्य आर्थिक रूप से लाभदायक रहे; उस पर लाभ से अधिक व्यय न हो जाये । हमारे यहां कोयले के अत्यंत सम्पन्न निक्षेप मौजूद हैं । लिगनाइट की परियोजना के लिये सरकार ने १६ करोड़ की व्यवस्था की है और इस से १९६१ में ३० लाख टन लिगनाइट का उत्पादन होगा । सरकार को जांच करनी चाहिये कि यह व्यय कहीं आवश्यकता से अधिक तो नहीं है, उस से हानि तो नहीं होगी ।

निवेली की लिगनाइट परियोजना में उत्पादन की लागत बढ़ने से उर्वरकों के उत्पादन की हमारी योजना भी गड़बड़ी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें बताया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में पर्यवेक्षकों के संवर्ग की प्रशिक्षा के लिये चार प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे । प्रशिक्षण केन्द्र कुछ अधिक होना चाहिये । आंध्र प्रदेश में जो प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाने को था, वह अब डेढ़ वर्ष बाद भी आरम्भ नहीं किया गया है । पता लगा है कि केन्द्र ने उस के लिये ६०,००० रुपये मंजूर किये हैं, लेकिन अभी दो हफ्ते पहले एक कार्यपालक इंजीनियर उस की स्थिति के बारे में स्थान निश्चित करने आया था । हमें योजना-काल में ५,००० पर्यवेक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इन केन्द्रों में कुल ४,००० पर्यवेक्षक ही प्रशिक्षित किये जा सकेंगे । उन की यह संख्या पर्याप्त नहीं होगी ।

विभिन्न समितियों ने कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की सिफ़ारिश की है, लेकिन सरकार ने योजना-काल में राष्ट्रीयकरण न करने का निर्णय कर लिया है । हमें कम से कम धात्विक कोयले का राष्ट्रीयकरण तो कर ही देना चाहिये, क्योंकि देश में उस के निक्षेपों की बड़ी कमी है । यह इस्पात के कारखानों के लिये अत्यावश्यक है । रेलवेज़ में धात्विक कोयले का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिये । धात्विक कोयले की अधिकांश खानें निजी क्षेत्र में हैं, इसलिये उन का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है ।

सरकार कोयला खानों के उत्पादन की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दे रही है । हम योजना-काल में ही आसानी से कोयले का उत्पादन ६ करोड़ टन से ७ करोड़ टन तक बढ़ा सकते हैं ।

सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के श्रमिकों की भी दशा बड़ी खराब है । ६० से ७० प्रतिशत श्रमिक अमानवीय परिस्थितियों में गुजर करते हैं । सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों के लिये अच्छे मकानों का निर्माण किया जाना चाहिये ।

योजना यह थी कि १९५७-५८ में २,००० क्वार्टर्स निर्मित किये जायेंगे, लेकिन उस में सन्देह है क्योंकि १९५६-५७ के ६०० योजित क्वार्टर्स में से कुल ४०० तैयार हुए थे । सरकार को इन क्वार्टर्स और जल-सम्भरण व्यवस्था के निर्माण में शीघ्रता करनी चाहिये ।

औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के बाद लागत बढ़ जाने से कोयले के मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है । उस के बाद के श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्पष्ट तौर पर कहा था १९५६ में मूल्यों में जो वृद्धि की गई थी, वह पर्याप्त थी । लेकिन सरकार ने फिर से मूल्य में १ रुपया ८ आना प्रति टन वृद्धि कर दी है । उस ने लागत के ढांचे की परीक्षा के लिये दो बार समितियां नियुक्त की हैं । श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पंचाट में स्पष्ट था कि श्रमिकों की अतिरिक्त कमाई बोनस के रूप में होगी । उस ने, नीचे के अन्य न्यायाधिकरणों की भांति, बोनस को तनखा का भाग नहीं माना था, क्योंकि उस के अनुसार ५० प्रतिशत श्रमिकों को बोनस नहीं मिलता है । इसलिये यदि सरकार को मूल्यों में वृद्धि करनी ही थी, तो उसे मूल्य पुनरीक्षित समिति के प्रतिवेदन तक तो रुकना ही चाहिये था ।

हम संसार भर में सब से सस्ता कोयला उत्पादित करते हैं, लेकिन हम मितव्ययता या कार्य-क्षमता से उस का उपयोग नहीं करते । हमें ईंधन गवेषणा प्रतिष्ठान की गवेषणाओं का वाणिज्यिक उपयोग करना चाहिये ।

मैंगनीज़ हमारे यहां विदेशी मुद्रा पाने का मुख्य साधन है, और हमारे देश में उस की मात्रा काफ़ी है । फिर भी, गरीवाडी खानों में विजयानगरम और श्रीकाकुलम की मैंगनीज़ की खानें बन्द कर दी गई हैं ।

[श्री त० ब० विट्ठलराव]

शायद आन्ध्र की राज्य सरकार ने ऐसा करने का आदेश दिया है । दस हजार व्यक्ति जो यहां काम कर रहे थे, बेकार हो गये हैं । इन खानों का विकास कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, परन्तु गैरसरकारी लोगों से यह काम ठीक ढंग से हो नहीं पाया, इसलिये मेरा कहना है कि इन खानों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये । इस से कई कठिनाइयां दूर हो जायेंगी । यह भी कहा गया कि कुछ कच्चे लोहे की खानों को सरकारी क्षेत्र में लिया जायेगा पर अभी तक सरकारी क्षेत्र में किसी खान को नहीं लिया गया है । कुछ अमरीकी विशेषज्ञों ने एक अग्रिम प्रतिवेदन दिया है, परन्तु पता नहीं वह कब तक कार्यान्वित हो ।

अन्त में मैं जोर दे कर सरकार से कहूंगा कि वह खानों में काम करने वाले कर्मचारियों की अवस्था को सुधारने की ओर ध्यान दे । श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण तथा बहुत सी समितियों ने यह लिखा है कि खान कर्मचारियों की अवस्था को सुधारने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । सरकार से जोरदार शब्दों में अनुराध करता हूं कि इस ओर समुचित ध्यान दिया जाय ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (राजमपेट) : पूर्ववक्ता ने बहुत महत्व की बात कही है । देश के विकास कार्यों में इस मंत्रालय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । मैं केवल तेल, उस के उत्पादन, शुद्धीकरण और वितरण के सम्बन्ध में ही चर्चा करूंगा । तेल, विभिन्न देशों की अर्थ व्यवस्था में हमेशा विशेष स्थान रखता आया है । तेल के कारण ही अमेरिका आज एक समृद्ध देश है । हम ने राजनीतिक साम्राज्यवाद तो बहुत देखे हैं, परन्तु आज के युग में तेल का साम्राज्य चल रहा है । मध्यपूर्व की घटनाओं पर दृष्टि डालने से इस बात का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है । इसलिये हमें भी अब अपने देश में तेल के साधनों को जहां तक सम्भव हो विकसित करना चाहिये ।

१६५३ तक तो इस ओर कोई प्रयत्न नहीं हुआ था । १६५३ में सरकार ने 'स्टैनवक' नामक कम्पनी से पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में तेल की खोज करने का करार किया । चार वर्ष व्यतीत होने पर भी कुछ विशेष परिणाम नहीं निकला । परन्तु कहा जाता है कि शीघ्र ही पश्चिमी बंगाल में काफी मात्रा में तेल मिलने लगेगा । १६५३ तक केवल आसाम तेल कम्पनी ही हमारे देश में तेल निकालती थी । तेल की आवश्यकता दिन प्रति दिन बढ़ रही है । और हम अपनी आवश्यकता का केवल १२ प्रतिशत तेल पैदा कर रहे हैं । इसलिये तेल की खोज करना बहुत ही जरूरी है ।

आज की दुनिया में कुछ देशों को छोड़ कर थोड़े ही देश ऐसे हैं जिन्हें तेल की खोज और उस को परिष्कृत करने की जानकारी है । परन्तु हमारे लिये प्रसन्नता की बात है कि इतने देरी से अर्थात् १६५३ में काम आरम्भ करने पर भी हम ने काफी प्रगति की है । हमारे देश के युवक प्रविधिज्ञों ने माननीय मंत्री श्री के० दे० मालवीय द्वारा दी गई सहायता से बहुत ही परिश्रम किया है । हम ने काफी प्रगति की है और शीघ्र ही हम एक तेल शोधनशाला स्थापित करने जा रहे हैं । इस से हमें इस उद्योग का पूर्ण ज्ञान हो जायेगा । थोड़े ही देश इस प्रकार की सफलता का गौरव अनुभव कर सकते हैं । मेरा निवेदन है कि मेरे दिल में तेल तथा प्राकृतिक गैस विभाग के लिये असीम प्रशंसा की भावना है ।

हम ने देश में तेल की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये कई विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श लिया । इस सम्बन्ध में कनाडा रूस और जर्मनी के विशेषज्ञों ने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । बहुत से मामलों में यह देश एक मत है और उन के मतानुसार हमें अपने देश के ११ विभिन्न क्षेत्रों में तेल मिलने की आशा है । पंजाब में ज्वालामुखी, राजस्थान में जैसलमेर, उत्तरप्रदेश का

†मूल अंग्रेजी में

गंगा का मैदान, और पश्चिमी बंगाल तथा आसाम। पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तीन महत्वपूर्ण स्थानों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। ज्वालामुखी क्षेत्र में अभी हाल ही में कई बातों का पता चला है। तेल और गैस विभाग ने वहां हर प्रकार का सर्वेक्षण किया है। आशा की जा रही है कि कुछ ही महीनों में वहां से तेल मिलने लग जायेगा और इस से हमारे देश की बहुत सी आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी।

हम आज तेल के आयात पर ही ६५ करोड़ रुपये वार्षिक खर्च कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में यह खर्चा बढ़ेगा। परन्तु मुझे एक छोटा सा सन्देह है, वह यह कि रूसी विशेषज्ञों की रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई थी तो यह कहा गया था कि तेल की खोज के सम्बन्ध में जैसलमेर के क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी। परन्तु अब गंगा के क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है। प्रस्तुत रिपोर्टों में भी इस तबदीली का कोई कारण प्रकट नहीं होता। एक अन्य रिपोर्ट में जो कि रूसी विशेषज्ञों ने ही प्रस्तुत की है इस काम के वित्तीय तथा प्राविधिक प्रशिक्षण सम्बन्धी मामलों पर उस में प्रकाश डाला है। सरकार को इस रिपोर्ट पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिये।

जैसलमेर का क्षेत्र मरूस्थल है। फ्रांस के विशेषज्ञों ने सशरा मरुस्थल में तेल ख़ोज निकाला है। और उन्होंने इस कला में काफी कमाल किया है। हमारे माननीय मंत्री महोदय को इन विशेषज्ञों से सम्पर्क पैदा कर यह प्रयत्न करना चाहिये कि जैसलमेर क्षेत्र की जांच करने में उन की सहायता प्राप्त हो सके। मेरा मत यह है कि इस क्षेत्र में तेल के समुचित संसाधन विद्यमान हैं और यहां से काफी तेल उपलब्ध हो सकता है।

गंगा के मैदान का धरातल बड़ा घना और ठोस है। पूर्ण रूप से भूतत्वीय सर्वेक्षण वहां संभव नहीं। और इस क्षेत्र का पूर्ण अध्ययन करना बड़ा आवश्यक है। किसी प्रकार की ख़ुदाई इत्यादि का कार्य आरम्भ करने से पूर्व इस बात का पता लगा लेना चाहिये कि यहां तेल मिलने की कोई संभावना है या नहीं। साथ ही यह बात बड़े खेद की है कि तेल की खोज के लिये विशेषज्ञों को भेजने के काम के लिये आगामी पांच वर्षों में जो ३० करोड़ रुपये की व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, उसे घटा कर ११ करोड़ रु० कर दिया गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। सर्वेक्षण दलों का खर्चा कम करने से काम में काफी रुकावट पड़ेगी। इस कारण मंत्री महोदय को इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिये कि इस उद्देश्य के लिये जितनी राशि की सिफारिश की गई है वह पूरी प्राप्त हो।

संश्लिष्ट तेल परियोजना के सम्बन्ध में संयंत्र के लिये तीन विदेशी सार्थों ने रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। यह संयंत्र प्रति वर्ष विभाग में काम आने वाला ३ लाख टन तेल पैदा करेगा। इस से उत्पादित तेल ५० प्रतिशत अधिक कीमत का होगा। फिर भी इस योजना पर अमल करना चाहिये, क्योंकि इस से हमें ३ लाख टन तेल (विमान में काम आने वाला) आवश्यकता पड़ने पर मिल सकेगा। मैं मंत्री महोदय पर जोर डालूंगा कि इस योजना को उसी रुचि से कार्यान्वित किया जाना चाहिये, जोकि इस के आरम्भ में प्रकट की थी। और अन्य परियोजनाओं की भांति यह भी समाप्त नहीं हो जानी चाहिये।

अब मैं उस शोधनशाला का उल्लेख करना चाहता हूं जोकि राष्ट्रीय उपक्रम के रूप में हम स्थापित कर रहे हैं। इस में किसी भी तेल कम्पनी को साझेदार नहीं बनाया जायेगा। यह बड़े महत्व की बात है, इस मामले में हमें आत्मनिर्भर होना चाहिये। ऐसा न हो हमें ईरान की तरह इस मामले में विदेशों के आगे गिड़गिड़ाना पड़े। तेल शोधन के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में अपने देश के प्रविधिज्ञों को भी पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

[श्री विश्वनाथ रेड्डी]

इस शोधनशाला के पीछे कुछ राजनीति भी है। मैं इस विवाद में नही पड़ना चाहता। परन्तु इतना जरूर कहता हूं कि संसार में जहां भी कहीं हैं वे शोधनशालायें तेल की खपत के केन्द्रों के पास ही हैं। इस के बिना मंडी में दूसरी तेल कम्पनियों के उत्पादों का मुकाबला लाभदायक ढंग पर नहीं हो सकता। इस लिये शोधनशाला खपत केन्द्र के निकट ही होनी चाहिये। मेरा मंत्री महोदय को यह भी सुझाव है कि मध्यपूर्व की तरह यदि यहां भी नालियों द्वारा तेल निकलने के स्थान से शोधनशाला तक भेजा जाय तो यह अच्छी बात होगी। और साथ ही यदि मोटर का तेल, डीजल इंजन का तेल आदि भी नालियों द्वारा ही भेजा जाय तो और भी अच्छा होगा और आसाम में शोधनशाला स्थापित करने की मांग का औचित्य भी होगा। इन शब्दों से मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

[श्री पट्टाभिरामन् पीठासीन हुए]

†श्री टे० सुब्रह्मण्यम् (बेल्लारी) : मैं मंत्रालय की मांगों का पूर्णतः समर्थन करता हूं। मैं मुख्यतः लोहा और इस्पात का ही उल्लेख करूंगा। आज के इस युग में किसी देश की भौतिक समृद्धि का आधार लोहे और इस्पात का उत्पादन है। लोहे और इस्पात को हर बात में जरूरत होती है और आज की औद्योगिक सभ्यता का मुख्य आधार लोहा और इस्पात है।

इस सम्बन्ध में संसार में हमारी स्थिति क्या है, इस का परीक्षण करना चाहिये। १६५० में संसार में लोहे और इस्पात का उत्पादन १८५,१६६,००० टन था जिस में से अमेरिका का उत्पादन ८६,३५२,००० टन था। रूस का उत्पादन, २६,८७०,००० टन और ब्रिटेन का १६,५५६,००० टन था। उसी वर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से ब्रिटेन में ६२८ पौंड, अमरीका में १२३७ पौण्ड पड़ा। भारत में यह औसत १२ पौंड प्रति व्यक्ति पड़ा। भारत को अंग्रेजों ने बिना किसी प्रकार से विकसित किये हुए छोड़ा था। और हमें अपने विकास का कार्य आरम्भ से ही करना पड़ा। परन्तु हमारा सौभाग्य है कि देश के विभिन्न भागों में कच्चे लोहे, मैंगनीज, आदि की बड़ी बड़ी खानें हैं। यह सब चीजें इस्पात के उत्पादन के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। गत शताब्दी में दक्षिण भारत में लोहा और इस्पात का उत्पादन आरम्भ किया गया। परन्तु सफलता न मिल सकी। १८७५ में बंगाल में प्रयत्न सफल हुआ, वह समवाय, भारतीय लोहा और इस्पात समवाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। १६०७ में टाटा भी मैदान में आये। १६१८ में मैसूर में भद्रावती इस्पात कारखाने में कार्य आरम्भ हुआ और १६३६ में वहां कारखाना स्थापित हो गया। उस समय हमारी सम्पूर्ण उत्पादन क्षमता २५,००० टन से ३०,००० टन वार्षिक तक थी।

१६२४ से १६४७ तक इस उद्योग को संरक्षण प्राप्त रहा। १६१६ में हमारा उत्पादन ६६,००० टन था। १६४४ में यह ११,३२,०३० टन हो गया। १६४६ में कम हो कर ८,६०,३८३ टन रह गया। १६५२ में यद्यपि मांग २० लाख टन की थी परन्तु उत्पादन ११ लाख टन ही हो सका। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमें ६० लाख टन इस्पात पिंड और ४०·५ लाख टन तैयार हुआ इस्पात चाहिये। यह आवश्यकता सरकारी और निजी क्षेत्रों की सहायता से पूरी की जायेगी। भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर तीनों संयंत्रों की लागत में बहुत वृद्धि हो गई है और यदि तीनों संयंत्र चालू हो गये तो इस से २०० करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की बचत हो जायेगी। और इस का हमारे औद्योगिक विकास पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। हमारा इस्पात सस्ता भी होगा और इस का मूल्य ४०० रुपये प्रति टन होगा जबकि विदेशी इस्पात की कीमत ६०० रुपये प्रति टन है।

†मूल अंग्रेजी में

इसी प्रकार चौथा, पांचवां संयंत्र भी चालू करने की बात है। देश का संतुलित क्षेत्रीय विकास आवश्यक है। अतः लोहे और इस्पात के संयंत्र दक्षिण भारत में भी चालू किये जाने चाहिये। चूंकि संदूर नामक स्थान पर भी अच्छी किस्म का कच्चा लोहा पाया जाता है अतः बुनियादी उद्योग भी वहां चालू किये जा सकते हैं। दक्षिण भारत में बलेरी और सैलम इत्यादि स्थानों पर लोहा काफी मात्रा में मिलता है। यह बुनियादी उद्योगों के लिये आवश्यक है। निवेली में लिगनाइट की खान है वहां भी कुछ बुनियादी उद्योग शुरू किये जा सकते हैं। फिर कहा गया है कि इस के लिये कोयला और बिजली भी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि इसे अभी ही चालू कर दिया जाय, परन्तु सन्तुलित क्षेत्रीय विकास के सिद्धान्त का ध्यान रखा जाये। और बाद में यहां बुनियादी उद्योग शुरू किये जायें। यदि ऐसा न किया गया तो डर है कि कई क्षेत्रों में असन्तोष फैल जायेगा।

जहां तक नेवेली परियोजना का प्रश्न है, उस पर लगभग ७८·८ करोड़ रुपये खर्च होंगे और इस से ३५ लाख टन लिगनाइट (भूरे रंग का कोयला) के उत्पादन की आशा है। अन्य क्षेत्रों से भी कोयला उपलब्ध हो जायेगा। और यह सब उन बुनियादी उद्योगों के लिये प्रयोग किया जा सकता है। फिर मैसूर में विद्युत् के लिये होनीमराडू परियोजना चल रही है। यहां की बिजली बड़ी लाभ-दायक और बहुत सस्ती होगी। चूंकि दक्षिण में यह सब साधन उपलब्ध हैं अतः मैं निवेदन करूंगा कि दक्षिण भारत में बेल्लारी में एक लोहा संयंत्र स्थापित किया जाये। फेरो-मैंगनीज़ संयंत्र भी वहां चालू हो सकते हैं। और इस के लिये यदि सरकार स्वयं इन कामों को अपने हाथों में न लेना चाहे तो उसे निजी उपक्रमों को प्रोत्साहन देना चाहिये। इन शब्दों से मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : रूरकेला के हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड के कार्य के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। ४०·५ लाख टन इस्पात की कमी इस कारखाने से पूरी की जानी है परन्तु यहां के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई समय निर्धारित नहीं है कि उत्पादन कब शुरू होगा। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका "लोहा और इस्पात" में १५ पृष्ठ पर लिखा है कि रूरकेला संयंत्र में लगभग १९६१ अथवा १९६२ तक उत्पादन शुरू होगा। परन्तु भिलाई में यद्यपि काम पीछे आरम्भ हुआ है परन्तु वहां १९५८ से इस्पात का उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। मंत्री महोदय को रूरकेला संयंत्र के सम्बन्ध में हुई इस देरी के बारे में सदन को कुछ बताना चाहिये।

अब हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड में कर्मचारियों की भर्ती की बात सुनिये। यद्यपि यह राष्ट्रीय उपक्रम है परन्तु भर्ती के मामले में स्थानीय लोगों को कुछ प्राथमिकता दी जायेगी, और उन लोगों को भरती में प्राथमिकता दी जायेगी जिन के मकान या खेत इस कारखाने के लिये सरकार ने ले लिये थे। परन्तु इस कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर दिखाई दे रहा है। भर्ती की सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा। तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी भी स्थानीय लोगों में से न ले कर बाहर से भर्ती किये गये हैं। इस पर वहां के काम दिलाऊ दफ्तरों के निदेशक ने भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस के अतिरिक्त इस समवाय के कुछ विभागों में हड़ताल भी हुई। कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान देने के स्थान पर उन पर लाठी चार्ज किया गया। यदि सरकारी उपक्रम में कर्मचारियों से यह व्यवहार हुआ तो निजी उपक्रमों में पता नहीं क्या अवस्था होगी।

अब हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी के प्रबन्ध में विभिन्न स्कूलों में स्थानीय प्रादेशिक भाषा की शिक्षा नहीं दी जाती और प्रादेशिक भाषा की शिक्षा के लिये कोई सुविधा भी नहीं है। उड़ीसा के बारबील क्षेत्र की मैंगनीज़ की खानों में भी कर्मचारियों की अवस्था सन्तोषजनक नहीं। वहां रोज गोलियां चलती हैं और हड़तालें होती हैं। अधिकारियों से यदि कोई शिकायत की जाती है तो भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

एक और बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। कुछ समय हुआ एक जापानी सार्थ और उड़ीसा सरकार के बीच मैंगनीज़ और लोहे के निर्यात के लिये बातचीत चल रही थी। बदले में सार्थ ने प्रदीप पत्तन का निर्माण कराने तथा पत्तन से खान के क्षेत्र तक रेलवे लाइन बना देने का वचन दिया था। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने रुकावट पैदा कर दी। इधर यह भी पता चला है कि २० लाख टन लोहा जापान को निर्यात करने के बदले में भारत सरकार को दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये निर्धारित अमेरिका के राष्ट्रपति की विकास निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इस से उड़ीसा को तो हानि ही होगी। उस का प्रदीप पत्तन भी न बन पायेगा और न ही रेलवे लाइन ही।

प्रदीप पत्तन के बनने से कलकत्ता का बहुत सा भार हलका हो जायेगा। और वहां से मैंगनीज़ तथा कच्चा लोहा बाहर भेज कर हम विदेशी मुद्रा भी कमा सकेंगे। आसाम में तेल की शोधनशाला की स्थापना का मैं समर्थन करता हूं।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्हों ने आसाम में तेल की शोधनशाला स्थापित करने का समर्थन किया है। यह कोरी भावुकता की बात नहीं थी। सारा आसाम राज्य इस मांग पर एकमत रहा था कि आसाम में शोधनशाला स्थापित होनी चाहिये। इस के तीन कारण हैं, एक राष्ट्रीय, एक आर्थिक और एक सामरिक। राष्ट्रीय यह कि कम विकास वाले क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। योजना आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक बैठक में भी इस प्रकार की चर्चा हुई थी और कहा गया था कि हमें देश के विभिन्न भागों के सन्तुलित विकास का ध्यान रखना चाहिये। हम अर्थ व्यवस्था और उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं। परन्तु स्वयं ही अपने सिद्धान्तों और नीति के विपरीत चलते हैं। १९५६ में औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में भी सरकार द्वारा इसी सिद्धान्त को पुष्ट किया गया है कि हमारी राष्ट्रीय योजना ऐसी होनी चाहिये कि उन स्थानों को विद्युत् जल तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जायं जो उद्योग की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। सन् १९४८ में भी इसी प्रकार का एक संकल्प स्वीकार किया गया था। इन समस्त बातों का तात्पर्य यह है कि हमें विकास कार्यों में क्षेत्रीय सन्तुलन कायम रखना चाहिये।

अब आसाम की बात लीजिये। यह भारत की सीमा पर है और राष्ट्र के केन्द्र से दूर है। १९५५ की जनगणना के अनुसार इस राज्य की ७४ प्रतिशत जनसंख्या का व्यवसाय कृषि है। औद्योगिक दृष्टि से राज्य का विकास बहुत ही कम है। यद्यपि केवल ब्रह्मपुत्र से ५० लाख किलोवाट बिजली प्राप्त हो सकती है। परन्तु सरकार ने इस राज्य के विकास के लिये कुछ नहीं किया। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। अंग्रेजों के राज्य में यह उनके शोषण की सब से बड़ी बस्ती थी। कोयला, चाय, और तेल सभी वस्तुएं यहां उपलब्ध हैं। खेद है कि स्वतंत्र होने के बाद अब भी हमारी सरकार वहां अंग्रेजों के हितों का समर्थन करती है।

प्रथम पंच वर्षीय योजना आई और चली गयी। हमने राष्ट्रीय विकास की आशायें बांधी थीं, और स्वप्न देखे थे। परन्तु आसाम में एक भी महत्वपूर्ण उद्योग विकसित नहीं किया गया। आसाम के लोग सस्ते प्रकार के आंदोलनों में विश्वास नहीं रखते। इससे काम नहीं चलेगा कि आप यही कहते रहें कि आसाम बहुत सुन्दर प्रांत है। उसके लिये आप को कुछ करना चाहिये। गांधी जी को आसाम से प्रेम था, उन्होंने ही इसे पाकिस्तान में जाने से बचाया। मैं भारतीयता का विरोधी नहीं, परन्तु यह चाहता हूं कि देश को एक जैसी सामूहिक प्रगति हो। मैं समृद्ध भारत में समृद्ध आसाम भी देखना चाहता हूं ताकि हम भी नया इतिहास निर्माण कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल शोधनशाला के संबंध में सरकार की विशेषज्ञ समिति की यही राय थी कि इसे आसाम में ही स्थापित करना ठीक रहेगा। परन्तु उस समिति की रिपोर्ट को ही गोपनीय रखा गया। यद्यपि आसाम तेल कम्पनी का, जो कि एक अंग्रेजी समवाय है, समिति के सदस्यों पर काफी प्रभाव था, परन्तु फिर भी तीन स्थानों पर शोधनशाला स्थापित करने का सुझाव समिति ने दिया है, गौहाटी, बरौनी और कलकत्ता। आसाम तेल कम्पनी यह चाहती है कि यह शोधनशाला आसाम में न हो। सरकार की नीति भी इस संबंध में अभी कोई निश्चित दिखाई नहीं दे रही।

आसाम सरकार और कांग्रेस दल के कुछ लोग पांच दिन तक इस संबंध में भारत सरकार से बातचीत करते रहे। ५ दिन की चर्चा के बाद एक अखबारी विज्ञप्ति निकाली गयी। प्रधान मंत्री का वक्तव्य भी निकला। परन्तु उनमें कोई निश्चित घोषणा नहीं थी। केवल इतना ही कहा कि गौहाटी संबंधी परियोजना रिपोर्ट भी प्राप्त की जायेगी। ५ अगस्त को मैंने एक अल्प सूचना प्रश्न पूछा था। उसका उत्तर भी अस्पष्ट ही था।

आखिर इसके पीछे क्या भेद है ? आसाम तेल कम्पनी नहीं चाहती कि आसाम में शोधनशाला स्थापित हो। वह किसी पत्तन वाले शहर में शोधनशाला चाहती है ताकि युद्ध होने पर वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचकर लाभ कमा सके इसीलिये उन्होंने आसाम का विरोध किया। २३ तारीख को मैं प्रधान मंत्री से मिला उनसे इस मामले पर चर्चा की। वह भी आसाम तेल कम्पनी की इस प्रतिक्रिया का उल्लेख कर रहे थे। समझ में नहीं आता कि हम उनकी प्रतिक्रिया की क्यों चिन्ता कर रहे हैं। यह विदेशी लोग हमारा शोषण करने के लिये यहां बैठे हैं। इन्होंने जो कुछ मध्य पूर्व में किया है, वही यहां पर भी करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि वे बाते यहां हों। हमें आसाम तेल कम्पनी के इन खतरनाक इरादों को प्रारम्भ में ही नष्ट कर देना चाहिये। एक मंत्री महोदय मुझे मिले और उन्होंने कहा कि हम आसाम तेल कम्पनी को नाराज नहीं कर सकते। यह ब्रिटिश कम्पनी है, इसके नाराज होने से राष्ट्र मंडलीय संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है।

विशेषज्ञ समिति का हाल सुनिये। सरकार ने उन्हें कोई सामान या सहायता नहीं दी। समय भी केवल दो महीने का दिया। वह भी बेचारे क्या करते। जो कुछ आसाम तेल कम्पनी ने बताया, उसी आधार पर शीघ्रता से उन्होंने अपना मत प्रकट कर दिया। समिति की गोपनीय रिपोर्ट में आसाम तेल कम्पनी को उपरोक्त प्रकार की सहायता देने के कारण धन्यवाद दिया गया है। आसाम तेल कम्पनी ने ही उनको आंकड़ों तथा तथ्य दिये थे। उस कम्पनी ने ऐसी ही जानकारी दी होगी जिससे वह समिति उनका मनचाहा निर्णय करे। क्या यह एक अजीब बात नहीं है।

विशेषज्ञ समिति ने आसाम आइल कम्पनी पर पूरा विश्वास किया और उसके निर्णयों की स्वतंत्र रूप से कोई जांच नहीं की। भारत सरकार ने इस प्रकार उन्हें अपना शोषण करने दिया। जहां तक तेल उत्पादन का प्रश्न है भारत को इस समय डीजल और मिट्टी के तेल की अधिकता वाले तेल की आवश्यकता है जब कि कम्पनी दूसरे प्रकार के तेल का उत्पादन कर रही है अर्थात वह विमानों के तेल की अधिकता वाले तेल का उत्पादन कर रही है। भारत को १९६२ तक प्रति वर्ष केवल ९,००,००० लाख टन विमानों में प्रयुक्त होने वाले तेल की आवश्यकता होगी। जब कि यह शोधनशाला प्रति वर्ष २०,५०,००० लाख टन तेल का उत्पादन करेगी। इसका आशय यह है कि अवशेष तेल को यह कम्पनी अधिक लाभ लेकर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देगी।

यह सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है कि शोधनशाला को कम खर्चीले स्थान पर स्थित होना चाहिये। अर्थात् उत्पादन स्थान पर न होकर उपभोग स्थान पर अवस्थित होना चाहिये। संसार में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां शोधनशाला उत्पादन स्थान में स्थित है और वहां से शोधित तेल अन्य स्थानों में भेजा जाता है।

[श्री हेम बरुआ]

परियोजना के संबंध में हमारी राष्ट्रीय नीति भी यह है कि वे अधिकांश कच्चे माल के उत्पादन के स्थान पर ही बनाई जाती हैं। रूरकेला और भिलाई की परियोजनाओं का मध्यप्रदेश में स्थित होने का मुख्य कारण वहां कच्चे माल का मिलना है, तब बिहार में भी यह नीति क्यों नहीं अपनाई जाती है ?

इस संबंध में परिवहन की सामान्य कार्यों का भी जिक्र किया गया है । निःसन्देह इस समय रेलवे व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है । लोग कहते हैं कि रेलों का विकास होने के उपरांत भी वे तैयार माल ले जाने में समर्थ नहीं होंगी । ऐसे समय नलों का उपयोग किया जा सकता है ।

प्रधान मंत्री ने इसका एक कारण प्रतिरक्षा भी बताया है। यह बिल्कुल गलत है क्योंकि जब आप अपने तेल क्षेत्र और नलों की रक्षा नहीं कर सकते तो आप शोधनशाला की रक्षा किस प्रकार करेंगे ? इसके अलावा गौहाटी में शोधनशाला बनने पर जो नल तेल ले जायेंगे वे पाकिस्तान की सीमा से ७२ मील होंगे जब कि गौहाटी से जो अशोधित तेल भेजा जायेगा उसके नल पाकिस्तान की सीमा से कहीं कहीं केवल २० मील पर होंगे ।

विशेषज्ञ समिति की इस सिफारिश के बावजूद कि गौहाटी में शोधनशाला का निर्माण आर्थिक तथा टेकनीकल दृष्टि से संभव है साथ ही हमारा यह राष्ट्रीय सिद्धांत है कि क्षेत्रीय विषमतायें दूर हों, तब भी यदि आप आसाम में शोधनशाला नहीं बनायेंगे तो इसके परिणाम घातक होंगे ।

इस्पात-खान और ईंधन मंत्रालय की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७८	१३८५	श्री तंगामणि	निवेली की लिगनाइट की खानों को निगम को सौंपने की नीति	१०० रुपये
७८	१३८६	श्री तंगामणि	मद्रास राज्य में लोहा और इस्पात उद्योग आरम्भ करने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
७८	१३८७	श्री तंगामणि	सलैम में मेगनेसाइट खानों का विकास करने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
७८	१३८८	श्री तंगामणि	मद्रास राज्य म तेल की खोज का कार्य करने में असमर्थ रहना	१०० रुपये
७८	१३८९	श्री तंगामणि	पैट्रोल उत्पादों के मूल्य घटाने में असमर्थ रहना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७८	१३९०	श्री तंगामणि	मध्य प्रदेश में सिन्धुवाद जिले की मेंगनीज खानों की दशा सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	५७१	श्री त० ब० विट्ठल राव	सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के उत्पादन में कमी	१०० रुपये
७९	५७२	श्री त० ब० विट्ठल राव	१९५६–५७ में सिंगारेणी कोयला खानों को अनुदान न दिया जाना	१०० रुपये
७९	५७३	श्री त० ब० विट्ठल राव	छोटी कोयला खानों का एकीकरण करने सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के परीक्षण में विलम्ब	१०० रुपये
७९	७९०	श्री त० ब० विट्ठल राव	बम्बई राज के यवतमाल जिले की राजौर कोयला खानों का बन्द किया जाना	१०० रुपये
७९	७९१	श्री त० ब० विट्ठल राव	पश्चिम बंगाल की मंडलपुर कोयला खानों का बन्द होना	१०० रुपये
७९	७९२	श्री त० ब० विट्ठल राव	पश्चिम बंगाल की सिंगरेनी कोयला खानों का बन्द होना	१०० रुपये
७९	७९४	श्री त० ब० विट्ठल राव	मेंगनीज की खानों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न	१०० रुपये
७९	७९५	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	७९६	श्री त० ब० विट्ठल राव	अन्तरिम रूप से कोयले का मूल्य डेढ़ रुपया प्रति टन बढ़ाया जाना	१०० रुपये
७९	१३७६	श्री त० ब० विट्ठल राव	तेल निकालने के कार्य का स्थगित किया जाना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७६	१३७७	श्री त० ब० विट्ठल राव	उपभोक्ताओं के द्वारा कोयले का उचित उपभोग	१०० रुपये
७६	१३७८	श्री त० ब० विट्ठल राव	आंध्र प्रदेश में कोठागुडियन स्थान में अल्प तापक्रम के कार्बन-व्यापन* संयंत्र की स्थापना	१०० रुपये
७६	१३७६	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोयला बोर्ड का कार्य	१०० रुपये
७६	१३६१	श्री महन्ती	हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी, रूरकेला द्वारा संचालित स्कूलों में अध्ययन पाठ्य क्रम से उड़िया भाषा को हटाना	१०० रुपये
७६	१३६२	श्री महन्ती	हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी, रूरकेला में नियुक्त श्रमिकों और कर्मचारियों के साथ व्यवहार	१०० रुपये

†सभापति महोदय : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

†श्री बासप्पा (तिपतुर) : आसाम के प्रतिनिधि, माननीय मित्र ने आसाम में शोधनशाला स्थापित करने की जोरदार सिफारिश की । इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने जो आश्वासन दिया है उससे आशा की जाती है कि इस समस्या के प्रति न्याय किया जायेगा । मैं आशा करता हूं कि सरकार आसाम के पक्ष में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

देश के औद्योगिक विकास में इस मंत्रालय का बहुत बड़ा हाथ है । मैं इस मंत्रालय द्वारा रखे गये लक्ष्य की प्रशंसा करता हूं । वस्तुत: इस्पात हमारे देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है । हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि भविष्य में यदि भारत अपनी किसी वस्तु से आय प्राप्त कर सकता है तो वह इस्पात है । प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में इस्पात उत्पादन को स्थान न देकर हमने कुछ गलती की है । कुछ भी हो हमें अपनी तीन इस्पात परियोजनाओं पर गर्व है और हम आशा करते हैं कि वे अपने अनुसूचित समय से उत्पादन करना प्रारम्भ कर देंगी ।

वस्तुत: इस्पात के उत्पादन के मामले में हम बहुत पिछड़े हैं । अमेरिका में १०,००० लाख टन इस्पात का उत्पादन होता है तो भारत में केवल १० लाख टन का उत्पादन होता है । हमारे

†मूल अंग्रेजी में

*Low temperature carbonisation plant.

देश में प्रति व्यक्ति उपभोग भी बहुत कम है, अमेरिका में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत १००० पोंड है तो भारत में केवल बारह पोंड । प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है । योजना के प्रारम्भ में ११ लाख टन इस्पात का उत्पादन होता था तो योजना के अन्त में हम केवल १३ लाख टन इस्पात का उत्पादन कर सके । हम ने द्वितीय योजना में इस्पात उत्पादन का लक्ष्य ४३ लाख टन रखा है। किन्तु इसे पूरा करने में कई कठिनाइयां हैं, पहिली कठिनाई धन सम्बन्धी ही है । हमारा व्यय प्राक्कलन से बहुत बढ़ गया है तथापि हमें इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिये कि हम अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर सकें । यह बहुत अच्छी बात है कि सभी गैर सरकारी कारखानों के पास भी अपने उत्पादन की वृद्धि की योजनायें हैं इन से उत्पादन वृद्धि में बहुत सहायता नहीं मिलेगी ।

इन परियोजनाओं के पूरा होने से एक लाभ यह भी होगा कि हमें इस्पात का आयात नहीं करना होगा । इसके विपरीत हम निर्यात करने में समर्थ हो सकेंगे । जिससे हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें ।

मंत्रालय का पुनर्संगठन किया गया है । यह उचित है । किन्तु शीघ्र शीघ्र मंत्रियों के विषयों का परिवर्तन करना ठीक नहीं है । जहां तक संभव हो इसे केवल अनिवार्य होने पर ही करना चाहिये ।

इन परियोजनाओं के लिये हमें प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है । अतः हमें अभी से अपने नवयुवकों को इस विषय में प्रशिक्षण लेने के लिये विदेश भेजना चाहिये जिससे समय पड़ने पर कर्मचारियों का अभाव न हो ।

मुझे दुख है कि भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स मैसूर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । उसकी ११ करोड़ की योजना काट कर ६ करोड़ कर दी गई है । वस्तुतः भद्रावती इस क्षेत्र में सदैव प्रमुख रहा है अतः ऊंचे स्तर के इस्पात के उत्पादन के लिये उसे भरसक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

अब मैं लोहे और इस्पात के नियंत्रण के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा । गांवों में लोगों को लोहा और इस्पात बिल्कुल नहीं मिल रहा है । अधिकांश यह होता है कि जिस व्यक्ति को आवश्यकता होती है उसे परमिट नहीं दी जाती और इस सबन्ध में खूब चोर बाजारी चलती है । इसे रोकने के लिये जो अभियोग चलाये गये हैं वे भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं हो सके हैं अतः इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मैसूर में सोने की खानों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है और अब वह लाभ पर चल रही हैं । भारत सरकार को चाहिये कि वह इन सोने की खानों की भरसक सहायता करे जिस से ये सफलतापूर्वक चल सकें ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** (सैलम) : ऐसा ज्ञात होता है कि विषयों का वितरण करने में अधिक विवेकशीलता से काम नहीं लिया गया है, क्योंकि भूतत्वीय सर्वेक्षण, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है जब कि खानें इस मंत्रालय के अन्तर्गत आती हैं मेरे विचार से भूतत्वीय सर्वेक्षण भी इसी मंत्रालय के अन्तर्गत आना चाहिये ।

भूतत्वीय सर्वेक्षण के कार्य को अधिक गति से करना चाहिये क्योंकि हमारी खानें बहुत पुरानी हैं तथा उनका सर्वेक्षण भी बड़े पुराने तरीके से किया गया था । मंत्रालय को चाहिये कि वह आधुनिक तरीके से उनका सर्वेक्षण करवाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सें० वें० रामस्वामी]

जहां तक शोधनशाला की स्थापना का प्रश्न है मैं यह बात नहीं समझ सका कि उसकी स्थापना गोहाटी में कैसे की जा सकती है । गोहाटी में उसकी खपत नहीं होगी साथ ही तैयार पैट्रोल इतनी दूर तक नलों में ले जाया जा सकना भी संभव नहीं होगा ।

पहिले एक गैलन पैट्रोल की कीमत १५ आना थी अब ३ रुपये ३ आना हो गई है । कोई नहीं जानता कि इसकी कीमत निश्चित करने में कौन सी नीति बरती जाती है । ज्ञात होता है बर्मा शैल आयल कम्पनी इसके लिये समस्त माल की कीमत का हिसाब लगा कर मूल्य निश्चित करती है । अन्य कम्पनियां भी इसी प्रणाली का अनुकरण करती हैं । सरकार के लेखा परीक्षक इस हिसाब की जांच नहीं कर सकते । अतः हमें इसे स्वीकार करना होता है । इसी प्रकार भारत में पैट्रोल की बिक्री का लागत बीमा भाड़ा २०२ रुपया प्रति टन है जबकि निर्यात के लिये उसका मूल्य १७९ रुपये प्रति टन है ।

भारत में पैट्रोल की कीमतें अन्य देशों से अधिक हैं । साथ ही यहां की सारी पैट्रोल कम्पनियों का उत्पादन बढ़ रहा है । उत्पादन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पैट्रोल का मूल्य कम होना चाहिये था किन्तु कीमतें बढ़ती जा रही हैं । इसलिये मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि सरकारी लेखा परीक्षक इन कम्पनियों के हिसाब की जांच करें, मूल्य निश्चय करने की प्रणाली की जांच के लिये सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये साथ ही सरकारी क्षेत्र में एक शोधनशाला भी बनाई जाय जिससे इस व्यापार का रहस्य पता चल सके ।

दो या तीन वर्ष पहिले सलैम से मालगाड़ी के दो डिब्बे लोह अयस्क धातु विज्ञान सम्बन्धी परीक्षण के लिये भेजा गया था । अभी तक उसके परिणाम का पता नहीं चला है वस्तुतः दक्षिण में एक इस्पात संयंत्र की आवश्यकता है । यदि पूरा संयंत्र स्थापित न किया जा सके तो कई उदग्र भट्ठियां (शेफ्ट फर्नेस) स्थापित की जा सकती हैं क्योंकि भारत को प्रति वर्ष ८ लाख टन कच्चे लोहे की आवश्यकता होती है ।

लिगनाइट परियोजना की सफलता के बिना दक्षिण की औद्योगिक उन्नति नहीं हो सकती है । अतः मंत्रालय को उसे तत्काल क्रियान्वित करना चाहिये विदेशी मुद्रा की कमी से भी इस में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिये ।

दक्षिण में अधिकांश जल विद्युत है जिसे कुर्ग की वर्षा पर निर्भर रहना होता है । यह विद्युत् कई बार बन्द हो जाती है जिससे उद्योग और जनता की समृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिये मद्रास या किसी अन्य स्थान में बड़ी मात्रा में कोयला जमा किया जाना चाहिये जिससे वहां की आवश्यकता पूरी हो सके ।

जहां तक तेल की खोज का सम्बन्ध है रूसी विशेषज्ञों ने कावेरी के मुहाने में तेल प्राप्ति की संभावनायें बताई हैं अतः मंत्री जी को उस ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

†श्री नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : पिछले सत्र में यह बताया गया था कि जर्मन विशेषज्ञों का एक दल दक्षिण में तेल की खोज करने के सम्बन्ध में गया है तथा उसने अपना प्रतिवेदन दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि उनके सर्वेक्षण का क्या परिणाम हुआ है ।

देश की प्रथम और द्वितीय योजना के दौरान, देश की औद्योगीकरण नीति से इस मंत्रालय पर बहुत भार पड़ा है लेकिन इस मंत्रालय ने इसे सफलतापूर्वक निभाया है तथापि इस के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

बहुत बड़ी संख्या में टेकनीकल व्यक्तियों की आवश्यकता है। मंत्रालय के पास टेकनीकल व्यक्तियों की कमी है अतः उसे खान तथा धातु सम्बन्धी शिक्षा की ओर विशेषतः ध्यान देना चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि धनबाद के अतिरिक्त एक अन्य स्कूल और खोला जाये। इसे मद्रास राज्य या दक्षिण भारत में खोलना अधिक उपयुक्त होगा।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि हम जिपसम का आयात करते हैं। भारत में जिपसम की बहुत अधिकता है तब सिन्द्री इत्यादि कारखानों में स्वदेशी जिपसम का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। हम गन्धक का भी बहुत अधिक आयात कर रहे हैं यह उचित नहीं है। हमें इसका उत्पादन अपने देश में ही करना चाहिये। साथ ही मैं यह आश्वासन भी चाहता हूं कि लिगनाइट परियोजना की प्रगति अनुसूची के अनुसार होनी चाहिये और कोई भी कठिनाई इसके लक्ष्य में बाधक नहीं होनी चाहिये। साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग भी इसी मंत्रालय में रहे।

मेरी एक आपत्ति यह भी है कि प्रश्नों का उत्तर जिस ढंग से दिया जाता है वह उचित नहीं है। दस दिन पूर्व मैंने एक प्रश्न का नोटिस दिया था उसके प्रति कहा गया है कि जानकारी एकत्र की जा रही है जबकि यह जानकारी बजट सम्बन्धी चर्चा में हमारे लिये आवश्यक होती है। माननीय मंत्री को इस बात की जांच करनी चाहिये कि दस दिनों के भीतर भी इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया गया।

†श्री कासलीवाल (कोटा) : मैं इस मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं विशेषतः अलौह धातुओं को लूंगा। इन के उत्पादन के विकास की ओर मंत्रालय ने अधिक ध्यान नहीं दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि भारत में अलौह धातुओं का भंडार अपर्याप्त है। १९५० में तांबा, सीसा और जस्ते का १६ करोड़ रुपये का आयात होता था। अब औद्योगिकरण के पश्चात् संभवतः २५ करोड़ रुपये का आयात किया जाता है। मेरा विचार है कि हम आयात पर विदेशी मुद्रा का इतना व्यय कर रहे हैं परन्तु देश में ही इन अयस्कों के विकास पर बहुत कम व्यय किया गया है।

१९३९–४० में तांबे का औसत उत्पादन ३,७३,००० टन था और १९५१ में यह घट कर ३,६९,००० टन रह गया था। अब पता नहीं कि इस की स्थिति क्या है। राजस्थान में तो स्थिति बहुत खराब है। जयपुर खान समवाय ने जिसे खेतड़ी खान सम्बन्धी सुविधाएं दी गई थीं, गत १५ वर्ष से कुछ भी काम नहीं किया है। मुझे हर्ष है कि माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया गया है। मेरा सुझाव है कि अब उस खान को सरकारी उद्योग क्षेत्र में लेकर उससे तांबा निकालना चाहिये। अलवर की दरीबी खानों के लिये जिस समवाय को रियायतें दी गई थीं वह पूर्णतः असफल हुआ है। इन खानों के सम्बन्ध में यदि कुछ किया गया तो बहुत सी विदेशी मुद्रा बच सकेगी।

देश को सीसा और जस्ता देने के लिए एक ही खान है और माननीय मंत्री का विचार था कि उस से बीस वर्ष तक देश की आवश्यकता पूरी हो सकती है। परन्तु इन खानों के विकास के लिए क्या किया गया है? १९५५ तक अयस्क उत्पादन ५००० या ६००० टन ही था। यह बहुत बुरी स्थिति है। मैंने सुना है कि इस खान के निगम को जस्ते की ढलाई का एक यंत्र लगाने के लिए ३० लाख रुपये की राशि दी गई है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस ओर स्वयं ध्यान दें ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके।

मूल अंग्रजी में

[श्री कासलीवाल]

विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिए सब से महत्वपूर्ण वस्तु अभ्रक है। परन्तु राजस्थान में अभ्रक की खानों में अच्छा काम नहीं हो रहा। खनन कार्य का वैज्ञानिकन होना चाहिये। जिन समवायों को खनन कार्य की रियायत दी गई है उन्हें कह देना चाहिये कि यदि वे अच्छा काम नहीं करेंगे तो रियायतें वापस ले ली जायेंगी। अभ्रक को बहुत अधिक मात्रा में नष्ट होने से रोकने के लिए पंचवर्षीय योजना में अभ्रक उद्योग स्थापित करने की प्रस्थापना रखी गई थी। पता नहीं उस का क्या हुआ। योजना में लिखा था कि बिजली उपकरणों के उद्योग के लिये बहुत अधिक अभ्रक आयात किया जाता है और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभ्रक उद्योग स्थापित करने की संभावना की जांच करनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में किसी परियोजना पर कोई प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

देश के औद्योगिक विकास के लिए कोयला और लोहा के पश्चात् जिप्सम का सब से अधिक महत्व है। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जिप्सम के और क्षेत्र ढूंढने के लिए परिश्रम कर रहे हैं और उत्तरलाई नामक क्षेत्र में इसका विकास किया जा रहा है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि कच्छ और सौराष्ट्र की खानों के विषय में क्या किया जा रहा है।

राजस्थान में एक और उर्वरक कारखाना खोलने के सम्बन्ध में मैं अभी केवल यही कहूंगा कि राजस्थान के साथ न्याय नहीं किया गया है। इस विषय को मैं फिर कभी लूंगा।

†**श्री नारायणनकुट्टि मेनन:** (मुकंदपुरम) : इस मंत्रालय की मांगों की चर्चा करते हुए मैं केवल पेट्रोल सम्बन्धी विषय को लूंगा।

श्री रामस्वामी ने सरकार का समर्थन करने की उत्सुकता में आसाम के सदस्य के आरोपों का उत्तर देते हुए कहा था कि शोधित पेट्रोल को पाइपों द्वारा नहीं भेजा जा सकता। संभवतः उन्हें ज्ञात नहीं कि ईराकी पेट्रोल समवाय ने सामरिक प्रयोजनों से हैफा तक १७०० मील 'आक्टेन' भेजा था। अतः आसाम से पाइपों द्वारा शोधित तेल भारत के दूसरे प्रदेशों को क्यों नहीं भेजा जा सकता।

एक दिन प्रधान मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी विचार के कारण तेल शोधनशाला आसाम की बजाये किसी और स्थान पर स्थापित की जायेगी। हमारे देश की प्रतिरक्षा के सभी साधन, विमान, टैंक, मोटरें आदि सभी अमरीकी और ब्रिटिश तेल समवायों पर निर्भर करते हैं और जब इस शोधनशाला का प्रबन्ध भी बर्मा शैल कम्पनी जैसी संस्था को सौंपा जा रहा है, जो स्वयं एक विदेशी कम्पनी है तो फिर समझ में नहीं आता कि इस शोधनशाला को कहीं और स्थापित करने में प्रतिरक्षा सम्बन्धी विचार क्या है। वस्तुतः आसाम आयल कम्पनी एक और समवाय चला कर पाइपलाइन के आधार पर अधिक धन लाभ प्राप्त करना चाहती है। शोधनशाला को कहीं और ले जाने का केवल यही कारण है।

इस सभा में और बाहर भी वर्षों से यह कहा जाता है कि देश में पेट्रोल के प्रचलित मूल्य सामान्य नहीं हैं। मैं तो केवल यह कह सकता हूं कि लूट मची हुई है। एक ही वर्ष पूर्व इस मंत्रालय के प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार यह पता लगाने का प्रयत्न करेगी कि इन समवायों को बहुत अधिक लाभ हो रहा है अथवा नहीं। अब जांच के पश्चात् थोक मूल्य पर एक आना बढ़ा दिया गया है और इस के फलस्वरूप ६ करोड़ रुपया और भारत से विदेशी मुद्रा के रूप में बाहर जाने लगा है। माननीय वित्त मंत्री ने बताया था कि भारत के विदेशी

†मूल अंग्रेजी में

समवाय कुल २७ करोड़ रुपये लाभ के रूप में बाहर ले गये हैं। आश्चर्य की बात है कि वे ऐसा कैसे कहते हैं जब कि उन के साथी ने २४ मई १९५७ को कहा था कि हमें पता नहीं कि बर्मा शैल कम्पनी ने कितना रुपया बाहर भेजा है।

मेरे इस प्रश्न पर कि समवायों को १९५१ में कुल कितना लाभ हुआ है मंत्री महोदय ने केवल स्टेंडर्ड वेकुअम और काल्टेक्स के विषय में बताया था कि उन का लाभ क्रमशः १.५३ करोड़ और १.२९ करोड़ है। बर्मा शैल के बारे में उन्होंने मुझे सूचना नहीं दी परन्तु आप सुगमता से अनुमान लगा सकते हैं बर्मा शैल का जिस के पास पेट्रोल का ८० प्रतिशत कार्य है, लाभ अनुपात के आधार पर १२.२४ करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार तेल कम्पनियों का लाभ १४ करोड़ होता है अर्थात् कम्पनियों द्वारा बाहर भेजे गये कुल लाभ का यह ६० प्रतिशत होता है। ये लाभ पेट्रोल के उस मूल्य पर हैं जो सरकार के साथ करार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और जब कभी भी इन मूल्यों का पुनरीक्षण किया जाता है उन्हें बढ़ाया ही जाता है। पेट्रोल के मूल्य का निर्धारण भी एक परिहासजनक बात है कि इस का सम्बन्ध तेल के उत्पादन, शोधन और परिवहन से कुछ भी नहीं। ये मूल्य खाड़ी के समान मूल्यों के आधार पर यूं ही निर्धारित कर दिये जाते हैं। यह काल्पनिक आधार पर एक काल्पनिक मूल्य है। सरकार की जांच समितियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि विमान समवायों को होने वाली हानि का कारण यही काल्पनिक मूल्य है। १९५० में सरकारी समिति ने यह बताया कि कलकत्ता में प्रति इम्पीरियल गेलन पेट्रोल का भाव १/९/३ रुपये है जब कि मेलबोर्न में उसी का मूल्य १/४/६ रुपये है। तथ्य यह है कि कलकत्ता उस तेल के संसाधन के अधिक समीप है परन्तु मूल्य का अन्तर उस काल्पनिक मूल्य के कारण है।

हमें सारे भारत में तेल का एक ही मूल्य रखना चाहिये। हम तेल के उद्योगपतियों के समक्ष निस्सहाय अवस्था में क्यों पड़े हैं? हम ने इस बात के लिए क्या प्रबन्ध किया है कि हमारे प्रतिरक्षा कार्यों का संचालन इसी पेट्रोल से हो जो यहां उपलब्ध है। इस सभा में कहा गया है कि आसाम आयल कम्पनी अपने आप को रुपया कम्पनी बनाने के लिए तैयार है और जो नई शोधनशाला स्थापित की जाने वाली है वह पूर्णतः भारतीय होगी।

शैल कम्पनी ने समाचार पत्रों में सरकार के साथ अपने करार की शर्तें दी हैं जिन से पता लगता है कि सरकार वस्तुतः जो चाहती थी वह प्राप्त नहीं हुआ। इन शर्तों के सम्बन्ध में सरकार का मौन लोगों में संदेह पैदा करता है। सरकार यह क्यों नहीं बताती कि नये समवाय पर भारत सरकार का कितना नियंत्रण होगा। निश्चय ही हम अनुभव करते हैं कि पुराने तीन शोधनालयों की ही कहानी दोहरायी जायेगी और हम पेट्रोल के मूल्यों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमें समवाय के अतिरिक्त भारों के लिए सहमत होना पड़ेगा। आखिर सरकार ने इस विषय में क्या किया है।

यह करार किया गया है कि १९५३ के ही मूल्य को रखा जायेगा और १० वर्ष तक समवायों के लाभ में कोई अन्तर नहीं डाला जायेगा। सरकार ने यहां समवायों में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या किया है। १९५४ में जब उन कर्मचारियों ने मांग की थी कि उन की उचित मजूरी निर्धारित की जाये तो मंत्रालय ने कहा था कि क्योंकि यहां विदेशी एकाधिकारी हैं अतः इस विषय पर चर्चा करना ठीक नहीं। सरकार कर्मचारियों के प्रति उपेक्षापूर्ण है और ये समवाय विदेश से आये हुए पदाधिकारियों को अत्यधिक वेतन देते हैं। हम इस सम्बन्ध में अब कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि जैसा वित्त मंत्री ने बताया है हमारा १० वर्ष का करार है और दस वर्षीय करार के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता।

[श्री नारायणन्कुट्टि मेनन]

मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि रूस सरकार एक शोधशाला के निर्माण के लिये ६० करोड़ रुपया देने को तैयार है। मेरा सुझाव है कि शैल संस्था के तेल समवायों को, जो राजनैतिक और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे विरुद्ध है, अशोधित तेल देने और मुनाफा खोरी करने देने की बजाये, रूस की ६० करोड़ रुपयों की सहायता को लेकर सरकारी क्षेत्र में एक शोधनशाला क्यों न स्थापित की जाए। बर्मा शैल, काल्टेक्स और स्टैंडर्ड वेकुअम तीनों कम्पनियों का पूंजी व्यय लगभग ६३ करोड रुपये है और अपनी उक्त शोधनशाला बनाने से इन तीनों समवायों की तुलना में अधिक उत्पादन होगा। अभी समय है। सरकार ने आसाम आयल कम्पनी के साथ अभी संविदा नहीं किया। हमें आंग्ल अमरीकी समवायों पर निर्भर नहीं करना चाहिये और सरकारी शोधनाशला स्थापित कर लेनी चाहिये।

अन्त में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि विश्व में कहीं भी कोई देश पेट्रोल के आयात पर इतना निर्भर नहीं करता जितना हमारा देश करता है। पुराने इतिहास और सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण ही हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं।

†श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुये मैं उन बातों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं जो स्पष्ट नहीं और जो कार्यक्रम में बाधा स्वरूप हैं। मैं मुख्यत: कोयले के सम्बन्ध में कहूंगा जिसे योजना आयोग ने उद्योगों के लिये मूल महत्व का पदार्थ माना है।

पश्चिमी बंगाल और बिहार दोनों ही कोयला क्षेत्र हैं और ८० प्रतिशत कोयले का उत्पादन करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २२० लाख टन कोयले का उत्पादन बढ़ाने का विचार है जिसमें से १२० लाख टन का उत्पादन सरकारी उद्योग करेगा। मेरा ख्याल है कि सरकार ने इस उत्पादन के लिये कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। बोकारो क्षेत्र में कोयले का उत्पादन कम ही हो रहा है। १९५२–५३ से सरकारी उद्योग क्षेत्र में कोयले का उत्पादन बराबर गिर रहा है।

प्रतिवेदन में खनन पट्टे के अर्जन और भूमि सर्वेक्षण के अधिकारों के संबंध में कठिनाई का उल्लेख किया गया है जिसे दूर करने के लिये अभी हाल में अधिनियम पारित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस कोरबा क्षेत्र के लिये यह अधिनियम पारित किया गया था क्या १९६०–६१ में वह वहां ४० लाख टन अधिक उत्पादन कर सकेंगे ?

मैं आशा करता था कि मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगें कि ६०० लाख टन के व्यय की पूर्ति के लिये सरकार क्या कर रही है। १९५६ की औद्योगिक नीति के अनुसार गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र को और खान नहीं दी जा रही। सरकारी क्षेत्र को ही सारा अधिक उत्पादन करना होगा जिस पर लगभग ६० करोड़ रुपया व्यय होगा। सरकार ने इस के लिये ४० करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है। ऐसी स्थिति में मुझे संदेह होता है कि लक्ष्य प्राप्त किया भी जा सकेगा अथवा नहीं।

जैसा श्री त० ब० विट्ठल राव ने बताया है सरकारी उद्योग क्षेत्र ने केवल २ लाख टन का अधिक उत्पादन किया है जबकि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में अधिक प्रगति हुई है। इस वर्ष के प्रथम पांच मास में १८३ लाख का उत्पादन हुआ है और इस हिसाब से इस वर्ष १९५५ में ४४० लाख टन उत्पादन की अपेक्षा ६० लाख टन अधिक उत्पादन होगा।

१९३७ से कोयले की खानों के संबंध में नियुक्त की गई समितियां कोयला धोने के कारखाने लगाने की सिफारिश करती रही है, अब द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ये कारखाने स्थापित करने का कार्यक्रम है। बोकारो क्षेत्र और दुर्गापुर में लगाये जाने वाले कारखाने इस्पात कारखानों को अच्छे

†मूल अंग्रजी में

प्रकार का तथा धातुकार्मिक कोयला दिया करेंगे। माननीय मंत्री कृपया बतायें कि क्या ये कारखाने इस्पात कारखानों के कार्य आरम्भ करने से पूर्व स्थापित हो जायेंगे ?

मिश्रण कार्य के संबंध में प्रयोगात्मक आधार पर भले ही कुछ हो रहा हो परन्तु, वाणिज्यिक आधार पर कुछ नहीं किया गया। बंगाल और बिहार की ६६६ छोटी खानों को एकीकृत करने की सिफारिश समिति ने की है। ऐसी सिफारिशें पहले भी होती रही हैं और मैं आशा करता हूं कि इस संबंध में सरकारी विधेयक शीघ्र आयेगा।

कोयले की ८३० खानों में से केवल ६९ खानों ने थाक लगाने की व्यवस्था की है। थाक लगाने के लिये रुपये की कठिनाई नहीं है क्योंकि कोयला बोर्ड के पास १,७५,००,००० रुपये गत वर्ष की आय में से हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इस संबंध में क्या कार्यक्रम है।

कोयले की खानों के श्रमिकों की कल्याण निधि से इस मंत्रालय का संबंध नहीं परन्तु इसे इस में अभिरुचि लेनी चाहिये। उनके पास ५,५३,००,००० रुपये बचे हुये हैं। इस पर भी न जाने क्यों वे चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि नहीं करते। ३।। लाख श्रमिकों के लिये केवल ४०० बिस्तरों की व्यवस्था है। माननीय मंत्री को संबंधित मंत्रालय से इस संबंध में बातचीत करनी चाहिये कि उपभोक्ताओं से मिली हुई निधि का ठीक उपयोग हो। इसी प्रकार केन्द्रीय कोयला बोर्ड की निधि को उपयोग में लाने की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

माननीय मंत्री को यह भी देखना चाहिये कि कोयले की खानों के लिये इतने अधिक प्राधिकारी क्यों है। एक कोयला बोर्ड है, कि कोयला खान विभाग है, एक कोयला नियत्रंक है, एक कोयला परिषद् है--इस तरह से कोयले का काम कई प्राधिकारियों को दिया गया है। इन सब विभागों और प्राधिकारों के कार्यों का उचित रूप से बटवारा होना चाहिये। कोयले की खानों पर कई अधिनियम लागू होते हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिये।

प्रशिक्षण के लिये चार केन्द्र खोले गये हैं। मुझे पता नहीं कि उनमें कैसा प्रशिक्षण दिया जाता है। माननीय मंत्री कृपया इस ओर ध्यान दें कि उन केन्द्रों में उपयुक्त प्रविधिक योग्यता रखने वाले कर्मचारी रखे जायें जिससे अच्छे प्रशिक्षित लोग निकले।

कोयले के क्षेत्र में जो कुछ किया गया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि कोयला उत्पादन में २२० लाख टन की वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया है, उसकी पूर्ति कहां तक हो सकेगी। वह कृपया यह भी बतायें कि पश्चिमी बंगाल में तेल प्राप्त होने की क्या संभावनायें हैं। मैं आशा करता हूं कि वह इस दिशा में प्रयत्न करेंगे।

†**श्री नौशीर भरुचा**। (पूर्व खानदेश) : मैं इस्पात उत्पादन के विषय ही को लूंगा। अब तक की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुये उत्पादन में लक्ष्य प्राप्ति की बात कठिन दिखाई देती है।

यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि रुरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों के निर्माण का व्यय बढ़ता जा रहा है। पुनरीक्षित प्राक्कलनों में लगभग ९० करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है और आश्चर्य की बात है कि इस व्यय में अभी उपनगरों के बनाने, लौह अयस्क का मूल्य, लौह अयस्क के निक्षेपों से कारखानों को मिलाने वाली रेलवे लाइन, कारखानों के अन्दर रेलवे लाइनों बनाने आदि का व्यय सम्मिलित नहीं है। केवल संयत्रों पर ही ९० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का विदेशी विनिमय पर बहुत असर पड़ेगा—५० करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री नौशीर भरुचा]

हमें बताया गया है कि रुरकेला संयंत्र की लागत १२८ करोड़ रुपये से बढ़कर १७० करोड़ रुपये हो गयी है। इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें १६ लाख टन क्षमता वाले कोक संयंत्र से ७,५०,०००टन इस्पात का उत्पादन किस प्रकार होगा? मेरा विचार है कि यह अनुमान गलत है क्योंकि अन्य देशों के अनुभवों से पता लगता है कि इतना उत्पादन संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि यही एल० डी० प्रणाली भिलाई संयंत्र में भी प्रयोग में लाई जा रही है जो रुरकेला संयंत्र में प्रयोग में लायी जायेगी। कहा जाता है कि इस प्रणाली में पूंजी तथा संचालन व्यय दोनों कम लगता है फिर रुरकेला संयंत्र में इस संबंध में अधिक व्यय क्यों हो रहा है। इस संबंध में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि उक्त कोक संयंत्र की उत्पादन क्षमता के बारे में हमें सन्देह है।

भिलाई संयंत्र की लागत भी बढ़ाकर १३८ करोड़ कर दी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि संयंत्र के संबंध में अभी तक कितना काम हो चुका है और क्या क्या कार्य हो रहा है। क्या इस संयंत्र के किसी बढ़े भाग के लिये कोई आदर्श दे दिये गये हैं। दुर्गापुर संयंत्र की लागत भी बढ़ाकर १३८ करोड़ कर दी गयी है। इस संबंध में ब्रिटिश संस्था से जो करार किया गया है उसकी क्या शर्तें हैं। क्या हमें कोई विनिमय सुविधायें दी गयी हैं।

इसके अतिरिक्त देश में अन्य संयंत्र भी हैं जैसे टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी आदि। इनके लिये कुल ११५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि टाटा अपना लक्ष्य १९५८ में पूरा कर लेंगे। यदि १९५१ में आरम्भ की गयी प्रथम योजना का लक्ष्य १९५८ में पूरा होता है तो हम समझ सकते हैं कि हमारी प्रगति कितनी धीमी है।

इसके अतिरिक्त अन्य टेकनिकल बातों के संबंध में भी हमें बताया जाना चाहिये। हमें बताया गया है कि कोलनार तथा तरल एमोनिया उपोत्पाद भी तैयार होंगे। क्या इनके उपयोग के लिये भी हमारे पास योजनायें तैयार हैं? एल० डी० प्रणाली से बहुत सा नाइट्रोजन तैयार होगा। क्या उससे उर्वरक बनाने की योजना तैयार कर ली गयी है। भट्टियों की गैसों का उपयोग करने के लिये क्या उचित प्रबन्ध कर लिया गया है? कोयला जलाने के बजाय इस गैस का प्रयोग हमारी कोयले की खानों में बहुत बचत कर सकता है। अतः हमें इन पहलुओं पर भी विचार कर लेना चाहिये।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि इन तीनों संयंत्रों के संबंध में कितनी प्रगति हो चुकी है। कितनी मशीनें आ चुकी हैं कितनी आ रही हैं और विदेशी विनिमय के संबंध में हमने क्या व्यवस्था की है। इन सब बातों के बारे में हम जानना चाहते हैं। उपोत्पादों तथा लाभ हानि के बारे में भी हमें ब्योरेवार जानकारी चाहिये। फिर, क्या उत्पादन के अनुमान में भी हम कुछ संशोधन करके उसे ४०० रु० प्रति टन के बजाय ६०० रु० प्रति टन करने जा रहे हैं? मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि इस्पात कैसे बनता है इसके उचित ज्ञान का प्रसार करने के लिये एक प्रलेख चित्र बनाया जाना चाहिये ताकि हमें उसकी प्रक्रियाओं के बारे में भी पूरी जानकारी मिल सके।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री अपने उत्तर में इन सभी बातों का उत्तर देंगे।

श्री पद्मदेव (चम्बा): माननीय सभापति जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय प्रदान किया। देश के हर उस व्यक्ति की, जो कि देश का हित चाहता है और देश के लिए कुछ करना चाहता है, यही इच्छा है कि देश को समृद्धशाली बनाया जाये। इस समय देश में बहुत

से कार्य आरम्भ हुए हैं—चाहे वे भमि के सम्बन्ध में हों या बिजली सम्बन्धी। हमारा देश हर तरह आगे जा रहा है किन्तु मैं समझता हूं कि खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में बड़ी तेजी के साथ काम नहीं हो रहा है और यह मैं इस आधार पर कहता हूं कि यद्यपि हिमाचल के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उस के गर्भ में परमात्मा ने अनेक सम्पत्तियां गुप्त रूप से रखी हुई हैं, किन्तु अभी तक उन को बाहर लाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। सबसे पहली चीज़, जो मैं वहां पर विशेषरूप से देखता हूं, नमक है। जब से पाकिस्तान से नमक आना बन्द हुआ, तब से मैं सोचता था कि हिमाचल का नमक कम से कम उत्तरी भारत के लिए तो पर्याप्त होगा। किन्तु जिस गति से इस वक्त वह नमक निकाला जा रहा है मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि वह बहुत थोड़ी मात्रा में निकाला जा रहा है। जिस तरह से अन्न के लिए कोशिश की जा रही है कि इसकी पैदावार को बढ़ाया जाए वैसे ही नमक को ज्यादा मात्रा में निकाले जाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। हमारा ख्याल तो यह था कि जो नमक वहां से निकाला जाता है उससे सोडा ऐश और कास्टिक सोडा भी तैयार किया जाएगा लेकिन इस ओर इस समय कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से इस सम्बन्ध में यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस ओर अधिक ध्यान दे और इस बात की सम्भावना पर विचार करे कि समुद्र के नमक के बजाय वहां पहाड़ से निकाला हुआ नमक जोकि खाने के लिए ज्यादा लाभकारी है और सस्ता भी, किस तरह से और अधिक मात्रा में निकाला जा सकता है। यह नमक केवल मंडी में ही नहीं है बल्कि चम्बा की तीसा तहसील में भी इस किस्म का नमक बहुत भारी तादाद में मौजूद है लेकिन इसके सम्बन्ध में कोई खोज नहीं की जा रही है। इस तरह से जितनी भी लाभकारी वस्तुएं हैं वे आज भूगर्भ में ही निहित हैं और उनसे कोई विशेष लाभ उठाने की कोशिश नहीं की जा रही है। इस वास्ते आज जरूरत इस बात की है कि सरकार इनसे पूरा-पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न करे।

आज हमारे देश के अन्दर लोहे के बड़े-बड़े कारखाने बनाये जा रहे हैं और मैं इस बात को मानता हूं कि लोहे के ऊपर ही हमारे देश की भावी समृद्धि निभर करती है। हिमाचल के अन्दर दो जिले, मंडी और महासु, ऐसे हैं जहां बहुत अर्सा पहले शायद जब से लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ था तब से ही वे लोग लोहा निकाल करते थे और उसको अपने इस्तेमाल में लाया करते थे। बल्कि मुझे याद है कि जब मैं पढ़ा करता था तो उस वक्त भी हमारे यहां लोहा बिका करता था। लेकिन जब रेलों का लोहा चालू हुआ है और लकड़ी की किल्लत हुई है तब से चंकि वहां का लोहा मंहगा पड़ता है, इसलिए लोगों ने उसको बनाना बन्द कर दिया है। जब इस समय देश को लोहे की बहुत अधिक जरूरत है, मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह वहां की खानों को भी देखे जो बहुत अर्सा पहले चालू थीं ताकि उनसे भी अपने देश के लिये कुछ लाभ उठाया जा सके। मैंने हिमाचल के दो जिलों का ही नाम लिया है लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दूसरे जिलों में यदि खोज की जाए तो बड़ी मात्रा में लोहा प्राप्त हो सकता है और काम में आ सकता है।

अब मैं उस चीज़ के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं जिसका कि हमारे देश में बहुत व्यापार है और वह है अभ्रक। कितने ही सालों से वहां से अभ्रक इधर लाई जाती रही है और उसका व्यापार होता रहा है। ठेकेदार उसके लिए रखे जाते थे। मुझे मालूम है कि जब मैं हिमाचल में इंडस्ट्री का मिनिस्टर था, उस वक्त बंगाल से कुछ लोग वहां पर अभ्रक की तलाश में गए थे और उनको जितनी सुविधायें हो सकती थीं, दी गई थीं। उन्होंने कहा था कि अभ्रक वहां बहुत बड़ी मात्रा में मिल सकती है लेकिन सब से बड़ी मुश्किल यह है कि वहां से उसको शिमला तक पहुंचाना या रेल तक पहुंचाना बहुत महंगा पढ़ता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस ओर भी ध्यान दे और यह काफी मात्रा में वहां उपलब्ध हो सकती है और इसकी आज हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे हमारे देश को डालर भी प्राप्त हो सकते हैं।

[श्री पद्म देव]

एसबैस्टोस का वहां एक पहाड़ है जिस का नमूना कई बार भारत सरकार को भेजा गया है और उससे प्रार्थना की गई है कि उससे लाभ उठाया जाए। लेकिन जैसा मैंने आरम्भ में कहा है कि यह कार्य बड़े सुस्त ढंग से किया जा रहा है। एक लाभदायक चीज़ जो वहां पर प्राप्त हो सकती है उसकी ओर तो आपको जल्दी ध्यान देना चाहिये था। इस वास्ते मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस ओर भी ध्यान दे और इससे भी लाभ उठाने का प्रयत्न करे।

एक चीज़ की आज यहां पर बहुत चर्चा हुई है और उसकी आज हमारे देश को ही नहीं बल्कि सारे संसार को बड़ी जरूरत है और वह है तेल। अभी हाल ही में जब हम हिमाचल में सड़क बना रहे थे तो दरयाए सतलज के किनारे एक डैर नामक जगह है, जहां जब जमीन को खोदा गया तो वहां से मिट्टी के तेल की बू आई। जब उस ज़मीन को और थोड़ा गहरा खोदा गया तो वह ज्यादा तेज़ हुई। चुनाचे उसका एक नमूना हमने भारत सरकार को भेजा। यहां से उत्तर मिला कि तेल गिरा हुआ है। इसका एक नमूना हमने देहरादून भी भेजा और वहां से हमें मालूम हुआ कि इसके अन्दर मिट्टी का तेल है और इससे हमारा ख्याल हुआ कि यहां भारी खजाना होना चाहिये। हमें यह भी बताया गया कि मिट्टी का तेल बहुत नजदीक मिल सकता है और कुछ दूर जाने पर यहां पैट्रोल मिलने की सम्भावना भी हो सकती है। अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि सतलज के किनारे पर एक जगह है जिसका नाम सरान है। यहां बरफ गिरती है और पानी ठंडा है। उसके किनारे पर बहुत गर्म चश्मे हैं। वहां से आप सोनी आते हैं, पुनः तत्तापानी यहां पर सतलज का ठंडा पानी आपको मिलेगा लेकिन इसके साथ ही साथ उसके किनारे पर गर्म पानी के चश्मे भी। जैसे जैसे गर्मियों में दरिया चढ़ता है वैसे वैसे ये चश्मे भी चढ़ते रहते हैं अगर वहां से आप आगे आयेंगे तो वहां पर एक डैर नामक स्थान है जहां पर तेल पाया गया है। यह दरिया का किनारा है और उसके नजदीक ही थोड़ा नीचे पैट्रोल आसानी से मिल सकता है। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं और इसके बारे में ज्यादा ज्ञान भी नहीं रखता हूं लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि जो नमूना हमने देहरादून भेजा था, वहां से हमको इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी और उसी के आधार पर में ये सब बातें कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी खोज कराये। इस समय आप ज्वालामुखी में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और वहां से परिणाम जब निकलेंगे तब निकलेंगे लेकिन यहां पर तो आप बहुत नज़दीक ही पैट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार कुछ पैसा खर्च करके इस कार्य को यदि प्रारम्भ करावयेगी तो बहुत ही संतोषजनक परिणाम सामने आयेंगे।

शिमला में आईरन पाइराइटिस मिलता है। एक व्यक्ति ने जिसका नाम डा० केदारनाथ है दौरान जंग में खुद कोशिश की थी और इससे कुछ पैसा भी कमाया था। वहां पर इसका एक पहाड़ है और भारत सरकार के साथ इसके बारे में लिखा पढ़ा भी की गई थी और उससे प्रार्थना की गई थी वह इसको सम्भालें और इससे गंधक निकल सकता है और इसको निकालने का प्रयत्न करे। और भी चीज़ें निकल सकती होंगी जिनको यदि कोशिश की जाये तो निकाला जा सकता है। इस तरह और भी कई किस्म की चीजें हो सकती हैं जोकि वहां जमीन के नीचे पाई जाती हैं, जिन का पता खुदाई करने पर ही चल सकता है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बतलाई हैं वे ऐसी हैं जिनके बारे में कह सकता हूं कि वे वहां मिलती हैं। अब कितनी मात्रा में ये मिल सकती हैं और कितना रुपया खर्च करने पर मिल सकती हैं, इस चीज का पता लगाना सरकार का कर्त्तव्य है। अगर इन कामों को हाथ में लिया गया तो इससे कई फायदे होंगे। एक फायदा तो यह होगा कि वहां पर जो लोग आहिस्ता-आहिस्ता बेरोज़गार होते जा रहे हैं क्योंकि वहां की जमीन उपजाऊ नहीं है, उनको रोजगार मिल जाएगा और दूसरे वहां पर आबादी के बढ़ने के साथ साथ जो बेरोजगारी है वह भी कुछ हद तक खतम हो जाएगी। दूसरा फायदा इसका यह होगा कि हमारे देश की दौलत बढ़ेगी। आज सरकार की नीति यह है कि वह हर एक काम खुद करना चाहती है। लेकिन जो आज

देश के अन्दर हमें अनुभव प्राप्त हो रहा ह उससे पता चलता है कि जितन भी काम सरकार स्वयंमेव करती है, उन सभी कामों में प्रायः घाटा ही रहता है। क्यों घाटा होता है, यह मैं नहीं कह सकता। हमारे यहाँ पर ट्रांस्पोर्ट के काम को सरकार ने अपने हाथ में ले रखा ह। जब इसको प्राइवेट लोग चलात थे उस वक्त व काफी पैसा कमाते थे लेकिन जब से सरकार ने इसे चलाना शुरू किया है तो कोई ज्यादा नफा नहीं हो रहा है। अब सारी चीजें नेशनलाइज़ हो रही है और मैं समझता हूं कि इन्हें किया भी जाना चाहिये। लेकिन इस सब का परिणाम क्या हो रहा है, वह भी हमारे सामने है। इस लिए में यह सोचता हूं—मालूम नहीं कि यह आपको बात जंचे या न जंचे—कि अगर हमें देश के अन्दर लोहा निकालना है और सरकार के पास इस बड़ी भारी मैशनरी इत्यादि नहीं है कि वह इस काम को कर सक और इस काम को प्राइवेट लोग करने के लिए तैयार हों, तो उनको इसे सोंपा जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए। इससे हमारे देश को ही दौलत बढ़ने वाली है और जब दौलत बड़ेगी तो वह हमारे हाथों में ही आयेगी, लन्दन वगैरह दूसरे देशों में तो चली नहीं जायेगी। सरकार जब भी चाहे इस सब चीज को कानून बनाकर अपने हाथ में ले सकती ह। मैं समझता हूं कि जो लोग प्राइवेट तौर पर ऐसे काम करना चाहते हों, उनको काम करने का मोका देना चाहिये फिर चाहें यह तेल का काम हो या गंधक का हो अभ्रक का हो या नमक का, यह सारी चीजें लोगों के फायदे के लिए हैं। यह सब चीजें देश के अन्दर रहने वाली हैं और इनसे देश की दौलत बढ़ेगी और देश की समृद्धि और वृद्धि होगी और देश आगे बढ़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह अर्ज कर रहा था कि इस ओर ज्यादा प्रयत्न नहीं हो रहे हैं और मिनरल डेवेलपमेंट वर्क स्लो है और जहां यह खनिज पदार्थ और तत्व ज्यादा तादाद में मिलते हैं वहां पर जिस गति से काम होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है।

इसके अलावा जहां तक जिप्सम का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिप्सम हमारे यहां बहुत होता है और पोंटा के अन्दर जिप्सम काफी तादाद में मिलता है आज वह वस्तु हमारे देश के लिये बहुत जरूरी है लेकिन उनके मिलने के रास्ते में जो सब ले बड़ी बाधा हमारे सामने आती है वह ट्रान्सपोर्ट का माकूल इंतजाम न होना है। इस सम्बन्ध में मेरा तो यह कहना है कि जब एक चीज जो कि हमारे मुल्क के लिये बहुत जरूरी है हमारे वहां मिल सकती है तो उसके मिलने के रास्ते में जो भी बाधा हो उसको हमें हटाना चाहिये और उसे प्राप्त करना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें वहां पर ट्रान्सपोर्ट की उचित व्यवस्था करनी चाहिये और वहां पर सड़क बनानी चाहिये और जितनी अधिक देश के अन्दर सड़कें बनेंगीं उतना लोगों के साथ हमारा सम्बन्ध बढ़ेगा और देश में छिपी हुई दौलत अनअर्थ होगी और देश को लाभ पहुंचेगा। इसलिये हम यह कह कर छुट्टी नहीं पा सकेंगे कि चूंकि वहां पर ट्रान्सपोर्ट की सुविधा नहीं है इसलिये भले ही वह देश के लिये कितनी ही जरूरी क्यों न हो, हम उस में हाथ नहीं डालना चाहते। आपको उसके प्राप्त करने में जो भी बाधा हो उसको दूर कर के उसको प्राप्त करना चाहिये और देश की दौलत को बढ़ाना चाहिये।

अन्त में मैं और अधिक न कह कर यही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो दौलत भरी पड़ी है उसको अनअर्थ कर के उससे लाभ उठाने का प्रयत्न किया जाये और उस को देश के काम म लाया जाये ताकि वहां के लोगों का भी कुछ कल्याण हो और देश भी समृद्धिशाली बने।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : मैं मांग संख्या ७८ के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गय कटौती प्रस्तावों तथा कही गयी बातों को ही लूंगा। इन कटौती प्रस्तावों तथा माननीय सदस्यों द्वारा कही गयी बातों से विदित होता है कि वे चाहते हैं कि खनिज विकास कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जाये और त्रुटियों को शीघ्र ही दूर किया जाये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री के० दे० मालवीय]

सभी देशों में जहां भी खनिज संसाधन है और जहां खनिजों का सर्वेक्षण कार्य होता है वहां यह कार्य धीरे-धीरे होता है ऐसा नहीं होता कि सभी खनिज संसाधनों की खोज तथा उनके विकास का कार्य एक साथ हाथ में ले लिया जाये और उनसे थोड़े ही समय में पूरा कर दिया जाये। प्रारम्भिक विचार से हम जो कुछ भी खोज करते हैं उसकी गवेषणा बहुत सावधानी से तथा धीरे धीरे करते हैं और यह प्रक्रिया लगातार तथा निरन्तर चलती रहेगी। अतः मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम यथासंभव काम को शीघ्रता से करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह बात मैं भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय खान संस्था दोनों की ओर से आप को बतला रहा हूं। अतः मैं इस प्रश्न को आगे नहीं बढ़ाना चाहता बल्कि सीधे खनन विभाग के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों को लेता हूं।

सर्व प्रथम श्री कासलीवाल द्वारा कही गयी बातों को लूंगा। अलौह धातुओं के बारे में मुझे बहुत दिलचस्पी है। सरकार इस सम्बन्ध में बहुत प्रयत्न कर रही है। बिहार में १०,००० टन तांबे के टुकड़े तैयार किये जाते हैं। गत वर्ष आय व्ययक चर्चा के समय मैं ने सरकार का—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री—विचार बताया था कि इस योजना काल में सरकार कच्चे तांबे का पता लगाने का काम अपने हाथ में लेना चाहती है और आशा है कि इस अवधि में राजस्थान में कच्चे तांबे की खोज की जायेगी। सरकार इस कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक चला रही है और यद्यपि गत वर्षों में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ है पर मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में धरीबों तथा खेतारी में तांबे की खानों में बर्मे से खुदाई का काम काफी तेजी से हो रहा है। ज्योंही यह जांच का कार्यक्रम पूरा हो जायेगा हम खोद कर तांबा निकालने का काम शुरू कर देंगे। इस सम्बन्ध में परिणाम की प्रतीक्षा करने के साथ ही साथ हम इस बात पर भी विचार कर रहे है कि किन संस्थाओं के सहयोग से हम राजस्थान की खानों तथा अन्य स्थानों की खानों से खुदाई का काम शुरु करने में सहायता लें। पर, हमें जो प्रमाण मिले हैं तथा भूतत्व शास्त्रियों ने हमें जो परामर्श दिया है उसके आधार पर मैं आप को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में अलौह धातुओं की—यानी, सीसा, जस्ता और तांबे—खानों की बहुत कमी है। यदि प्रयत्नों के परिणामस्वरूप बड़ी-बड़ी खानें मिल जायें तो हमारा सौभाग्य है। फिर भी हम अलौह धातुओं की खोज के लिये गवेषणा करते रहेंगे और हो सकता है कि बस्तर में हमें तांबे या अन्य अलौह धातुओं की बड़ी बड़ी खानें मिल जायें।

माननीय मित्र श्री नरसिंहन् ने खनन तथा धातु विज्ञान के प्रशिक्षण की सुविधा का जिक्र किया। इस सम्बन्ध में हम व्यवस्था कर चुके हैं। भारतीय खनन संस्था का विस्तार कर दिया गया है और प्रौद्योगिकीय संस्था खड़गपुर से खनन तथा धातु विद्या के विशेषज्ञ काफी संख्या में निकलते हैं। भारतीय खनन संस्था अब पहले से दूने व्यक्तियों को प्रशिक्षण देती है और खड़गपुर संस्था तथा खनन संस्था में हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि वहां से हमारी आवश्यकतानुसार काफी संख्या में विशेषज्ञ निकलें।

सब से बड़ी कठिनाई यह है कि हम इन संस्थाओं में शिक्षा देने वाले योग्य विशेषज्ञ नहीं मिल पाते। फिर इनकी पदाली बनाने की कठिनाई भी हमारे सामने है। यदि हमारी यह कठिनाइयां दूर हो जायें तो हम दक्षिण में एक तीसरी संस्था खोल दे जैसा कि श्री नरसिंहन् ने सुझाव दिया है।

जिप्सम की समस्या को लीजिये। अभी हाल तक शायद अप्रैल के महीने तक हम पाकिस्तान से कुछ जिप्सम की आयात करते रहे हैं। दो दोस्त देशों के लिये ऐसा व्यापार करना उचित भी है। पर हम जिप्सम का उत्पादन बढ़ाने के लिये सावधान रहे हैं और अब हम ने उसका उत्पादन बढ़ा लिया है और सिन्दरी कारखाने को अच्छी किस्म का जिप्सम दे रहे हैं।

श्री पद्म देव ने यह शिकायत की कि कागड़ा घाटी में खनिज विकास का कार्य बहुत धीरे-धीरे हो रहा है। मैं यह बात स्वीकार करता हूँ। अब हमने अन्य कई खनिजों की खोज का कार्यक्रम भी सर्वेक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है और शीघ्र ही हम चांदी या इसी प्रकार की अन्य धातुओं की खोज का काम कागड़ा घाटी में शुरू करेंगे। जहाँ तक नमक का सवाल है यह काम वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का है। माननीय सदस्यों के सुझावों को मैं उक्त मंत्रालय में विचारार्थ भेज दूंगा।

अब मैं तेल के बारे में कही गयी बातों को लेता हूँ। इस बात के दो पक्ष हैं एक तो यह कि सरकार ने तेल की खोज के काम में काफी ढ़िलाई की है और दूसरे यह कि अशुद्ध तेल को शुद्ध किस प्रकार किया जाय तथा तेल-शोधन कारखाना कहाँ स्थापित किया जाये। जहाँ तक तेल की खोज करने का प्रश्न है इस संबंध में हमारे पास एक विस्तृत कार्यक्रम है और उत्तर भारत व दक्षिण भारत के उन क्षेत्रों के संबंध में हमें पूर्ण ध्यान है जहाँ–जहाँ तेल निकलने की सभावना है। काबेरी नदी के डेल्टा में तेल निकलने की आशा है अतः वहाँ तेल की खोज के लिए कुछ काम जरूर किया जाना चाहिए। भारत के पश्चिमी तट के संबंध में यह प्रश्न भी उठाया गया कि सरकार भूतत्व शास्त्रियों के दल को वहाँ तेल की खोज करने के लिए क्यों नहीं भेजती।

[श्री बर्मन पीठासीन हुये]

इस संबंध में मुझसे पूछा गया कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने क्या बताया है। मुझे खेद है कि उनकी रिपोर्ट कुछ अधिक लाभदायक नहीं है। जब डा० शाट (Dr. Schatt) तथा उनके साथी यहाँ आये तो मैंने स्वयं उनसे पश्चिमी तट के बारे में कहा। उन्होंने बताया कि वहाँ तेल मिलने की कोई आशा नहीं है। फिर भी, अभी हम निराश नहीं हुये है। अगले वर्ष हम भूतत्वशास्त्रियों से फिर परामर्श करेंगे ताकि वे हमें पश्चिमी तट के बारे में अग्रेतर जानकारी दे सकें।

श्री विश्वनाथ रेड्डी ने यह सवाल उठाया कि हमने यह काम जैसलमेर से हटा कर गंगा के पैदान में क्यों शुरू कर दिया? पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है हमने जैसलमेर को छोड़ा नहीं है बल्कि इन दोनों स्थानों को कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है। हमें दोनों स्थानों पर तेल मिलने की आशा है। अभी हाल में कनाडा के विशेषज्ञ दल ने जो वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण किया था उससे पता लगता है गंगा की ऊपरी घाटी तथा जैसलमेर के दक्षिणी–पश्चिमी भाग में तेल मिलने की बड़ी आशायें हैं। इससे हमें बड़ी आशायें हैं। जैसलमेर में जो भूतत्वीय तथा भौगोलिक जांच का काम चल रहा था उसे और भी अधिक जोर से शुरू कर दिया गया है। अतः जैसलमेर को छोड़ा नहीं गया है। जब हमारे भूतत्वशास्त्री तथा भूगोल–शास्त्री यहाँ पर भूतत्वीय, गुरुत्वीय तथा भूगोल संबंधी अन्य पहलुओं की जांच पूरी करके वहाँ का एक स्पष्ट चित्र हमारे सामने रखेंगे उसके बाद ही हम बर्मे की खुदाई पर भारी राशियाँ खर्च कर सकेंगे। अतः जैसलमेर में बर्मे से खुदाई का काम कुछ समय बाद ही शुरू किया जा सकेगा। बर्मे से खुदाई का काम शुरू करने के पहले हम भूतत्वीय तथा भौगोलिक सर्वेक्षण समाप्त कर लेना चाहते है। इसमें हो सकता है एक या दो वर्ष लग जायें। पर मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसलमेर के काम को न रोका गया है और न स्थगित किया गया है। हाँ अभी हाल में कनाडा के विशेषज्ञ दल द्वारा किये गये सर्वेक्षण से हमें गंगा की घाटी के बारे में तेल मिलने की आशा हो गयी है और इसी कारण हमने वहाँ भी कुछ काम शुरू कर दिया है। हम प्रबन्ध कर रहे है कि वर्षा समाप्त होते ही हमारे विशेषज्ञ दल खोज को निकल पड़े। हो सकता है कि इन स्थान पर उन्हें असफलता मिले और कहीं सफलता भी मिले। मैं माननीय सदस्य के दिमाग से यह गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ कि जैसलमेर का काम बन्द कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि श्री सें० वें० राम–स्वामी को भी इन बातों से संतोषजनक उत्तर मिल जायेगा।

[श्री के० दे० मालवीय]

भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय खान संस्था को एक स्थान पर मिलाने की बात कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों दो स्थानों पर हैं फिर भी उनके बीच पूर्ण समन्वय है और कठिनाई होने पर हम आपस में बैठ कर उन्हें सुलझा लेंगे।

अब मैं पेट्रोल उपोत्पादों के मूल्य, आसाम में तेल शोधन कारखाना स्थापित करने तथा आसाम तेल कम्पनी से एक रुपया समवाय बनाने की बातचीत के प्रश्न को लेता हूँ। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों की बातों से उत्तेजित नहीं होऊंगा क्योंकि इस संबंध में मैं जो कुछ भी कहूँगा बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूँगा। यदि मैं भी विरोधी दल का सदस्य होता तो मैं भी इससे अधिक उत्तेजक बातें कह सकता था। अतः मैं जो कुछ भी कहूँगा जिम्मेदारी के तरीके से कहूँगा। भारत में पेट्रोल के उत्पादों का मूल्य सरकार द्वारा स्वीकृत सूत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह सूत्र सरकार ने उस समय स्वीकृत किये थे जब हम अपने देश में तेल शोधनशाला स्थापित करने के लिए आतुर थे और श्री नारायण कुट्टि मेनन ने ठीक ही कहा है कि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य किसी तरह एक तेल शोधनशाला स्थापित करना था। इस सूत्र के अनुसार वर्माशेल जो शुद्ध उत्पाद देता है उसका एक "मूल्य सकन्ध लेखा" रखा जाता है। सूत्र की मुख्य मुख्य बातें भिन्न-भिन्न है जैसे जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य, सामुद्रिक भाड़ा, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, व्यापारियों का कमीशन, तेल कम्पनी का खर्च आदि। कहा गया है कि मूल्य निर्धारण की अन्य शर्तें भी हैं जो हमें मालूम नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ ऐसी बातें होगी जो हमारे करार में सम्मिलित नहीं है। हो सकता है हम इन बातों से सहमत न हों। पर इन तेल कम्पनियों से भारत सरकार का जो करार हुआ था वह आज से कई वर्ष पूर्व हुआ था और आज भी वैसा ही है। उसे मानने या न मानने या उसमें रूपभेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्यों ऐसी कोई बात करें जो दूसरों को पसंद न हो। अतः हम उस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। हम तो स्वयं अपने देश में तेल ढूंढ़ने के उद्देश्य में लगे हुये हैं। मैं तो केवल इतनी बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि जब तक हमें अपने देश में जरूरत भर का तेल नहीं मिल जाता और तब तक हम उसे शुद्ध करने के लिए अपनी शोधनशाला नहीं बना लेते तब तक पेट्रोल के मूल्य के संबंध में कुछ भी कहना निरर्थक है। हम स्वयं भी नहीं जानते कि यह बी० एस० ए० या बी० एस० ए० या एम० आर० ए० है। अभी हाल तक हमें अनेक अन्तर्ग्रस्त बातों के बारे में पता नहीं था। अभी हाल में ही हमें उन्होंने सूचना दी कि वे शुद्ध पेट्रोल का मूल्य बढ़ाना चाहते है। उन्होंने सिर्फ हमसे परामर्ष लिया है। स्वेज नहर के झगड़े के बाद दाम कुछ बढ़े है और हम उस वृद्धि से सहमत थे।

अतः जब तक कि हम अशुद्ध पेट्रोल का आयात करते रहेंगे या जब तक हम खुद तेल निकाल कर अपने देश की शोधनशाला में उसे शुद्ध नहीं करने लगेंगे तब तक हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और हमें उन्हीं मूल्यों को मानना पड़ेगा।

अभी हाल में हमने विदेशी समवायों पर जोर डाला कि वे मैक्सिको की खाड़ी के मूल्यों के स्थान पर फारस की खाड़ा के मूल्यों को अपनायें। इस प्रकार हमने २ करोड़ से अधिक रुपये की बचत की है। उन्होंने हमारी बात मान ली और फारस की खाड़ी में प्रचलित मूल्यों को अपना लिया। हमें इससे भी अधिक लाभ हो सकता है। परन्तु वह तभी हो सकता है जब, जैसा कि मैंने कहा कि देश में अशोधित तेल का पर्याप्त उत्पादन हो सके और हमारी भावनाओं के कारण समस्यायें पैदा न हों और कोई गड़बड़ी नहीं हो। ऐसा होने पर हमें पूर्ण विश्वास है कि तेल के प्रश्न पर हमें सफलता मिलेगी और जिन मूल्यों पर

इस समय तेल का संभरण किया जा रहा है उससे कम मूल्यों पर संभरण किया जा सकेगा। परन्तु ऐसा करने के लिए मुझे आपके तथा जनता के सहयोग की आवश्यकता है। जब तक आप इस पर यथार्थ रूप में विचार नहीं करेंगे तो ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। धमकियों और भावनाओं के आधार पर तो ऐसा नहीं किया जा सकता।

मैं इस समय श्री हेम बरुआ द्वारा कही गई बातों के सम्बन्ध में विशेष रूप से कुछ कहना नहीं चाहता हूं। परन्तु एक चीज में महसूस करता हूँ कि तेल शोधनशाला के स्थापना स्थान के बारे में गलत भावनाओं का प्रदर्शन और गलत बातें की जा रही हैं। जब आसाम के मंत्री यहां आये थे तो उनके साथ हमारी बड़ी शांति से बातचीत हुई थी। जो विचार उन्होंने हमारे सामने रखे हमने उन्हें समझने का प्रयत्न किया और हमने इसका पता लगाने का पूर्ण प्रयत्न किया क्या आसाम में तेल शोधन शाला स्थापित की जा सकती है। हमने एक साथ बैठ कर सभी समस्यायों पर चर्चा की और सभी हानिलाभ की जांच की और इस निर्णय पर आये कि गोहाटी के सम्बन्ध में भी एक जांच प्रतिवेदन मांगा जाये। हमारी इच्छा इस बात पर जोर देने की थी और हम यह निश्चित करना चाहते थे कि यदि गौहाटी में तेल शोधनशाला स्थापित की जाये तो उससे देश को लाभ होगा या नहीं। इसी विचार से हमने यह निर्णय किया। हम चाहते हैं कि हमें इसका विश्वास दिलाया जाये। हम इस प्रश्न पर खुले दिल से विचार करना चाहते हैं। यदि हम इस प्रश्न पर खुले दिल से विचार करना नहीं चाहते तो आज बहुत सी कठिनाइयां हमारे रास्ते में आ सकती थीं।

मुझे एक मेरे बड़े महत्वपूर्ण मित्र जो एक उच्चपद पर आसीन है उनसे एक पत्र मिला। उन्होंने मुझे परामर्श दिया कि नदी द्वारा अशोधित तेल का परिवहन किया जाये और फिर शोधित तेल का परिवहन पाइपों द्वारा हो। उन्होंने बताया है कि इस प्रश्न पर गंभीरतया विचार किया जाये क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि ऐसा करना संभव है। गत कुछ सप्ताहों में मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता था। परन्तु आज में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नदी द्वारा अशोधित तेल के परिवहन की योजना मेरी ही बताई हुई थी। मैंने ही सोचा था कि यदि संभव हो तो गौहाटी से अशोधित तेल नदी में नावों द्वारा ऐसे स्थान पर लाया जाये जहां शोधनशाला स्थापित हो। विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच किये जाने के पश्चात् भी यह बात मुझे ही पहली बार सूझी थी। सरकार ने नदी द्वारा अशोधित तेल के परिवहन की संभावना पर जांच प्रारंभ कर दी थी जो अब भी की जा रही है। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ऐसा हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ ऐसे भी है जो मुझ से सहमत नहीं है हमें उनकी बातों को भी मानना है। ऐसी बात नहीं कि भारत सरकार के मंत्री किसी व्यक्ति की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। मैं अपने आसाम के मित्रों को बता देना चाहता हूँ चाहे प्रश्न नदी परिवहन का हो अथवा शोधित तेल के पाइप द्वारा परिवहन का हो, हम उस पर पूरी तरह विचार करेंगे।

यदि हमारे परामर्शदाता सहमत हुए तो हम ऐसा करेंगे। हमारे यहां कई परामर्शदाता है। मुझे पता लगा है कि आसाम सरकार भी कुछ परामर्शदाता नियुक्त करने का विचार कर रही है। हम एक साथ बैठ कर इस पर विचार करेंगे। यदि हम गलती पर होंगे तो हम उसे मान लेंगे क्योंकि मैं अपने हृदय से चाहता हूँ कि तेल शोधनशाला गौहाटी में स्थापित की जाये। यदि राष्ट्रहित में गौहाटी में इसे स्थापित करना संभव नहीं हुआ तो मैं वैसा ही कहूंगा। । परन्तु ऐसा कहने से पूर्व मैं अपने मित्र श्री बरुआ को विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि मेरा विचार ऐसा नहीं है कि गौहाटी में शोधनशाला आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं

[श्री के० दे० मालवीय]

होगी। परन्तु हम वास्तविकता के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं अभी वास्तविकता तो हमारे सामने आई ही नहीं है। इसलिए मैं अपने मित्रों से आशा करता हूँ कि वह इस प्रश्न पर पक्षपात रहित हो कर विचार करें कि क्या हड़ताल, प्रदर्शन, आन्दोलन आदि को जिनका इस प्रकार के उलझन वाले और प्रविधिक प्रश्नों से कोई सम्बन्ध नहीं है, को प्रोत्साहित किया जाना उचित है और क्या जिम्मेदार नेताओं का इन प्रश्नों पर लोगों को भड़काना ठीक है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आसाम म वातावरण सुधर गया है और कांग्रेस के हमारे मित्र, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों को यह बतायें कि भारत सरकार का प्रत्येक सदस्य यह चाहता है कि यदि संभव हो और देश के अथवा आसाम के हित में हो तो, हम गौहाटी में तेल शोधनशाला स्थापित करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि २३ जुलाई को मैं प्रधान मंत्री से मिला था और उन्होंने बताया था कि नदी से तेल का परिवहन करने पर विचार हो रहा है परन्तु ऐसा संभव नहीं है। परन्तु बाद में मुझे यह मालूम हुआ कि जो कम्पनियां नावें आदि चलाती हैं उन्होंने सरकार को सहयोग देने से इन्कार कर दिया है क्योंकि वह आसाम तेल समवाय को, जो एक दूसरी अंग्रेजी फर्म है, नाराज करना नहीं चाहते हैं।

†**श्री के० दे० मालवीय** : श्रीमान्, यह सब गलत है। नदी परिवहन के प्रश्न पर विचार किया जायेगा और किया जा रहा है चाहे आसाम तेल समवाय और अन्य समवाय इसमें शामिल हों अथवा नहीं। जब प्रधान मंत्री ने माननीय मित्र श्री बरुआ को आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न की जांच हो रही है तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐसा कहा था। वहीं यह चीज खत्म हो जाती है। इसके सम्बन्ध में दोनों ही प्रकार के विचार है। पक्ष में भी हैं तथा विपक्ष में भी परन्तु विपक्ष में अधिक है। इसके लाभ और हानि के सम्बन्ध में इस समय मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ यद्यपि मैं बहुत सी बातें बता कर सभा को विश्वास दिला सकता हूँ। परन्तु मैं इस समय ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि कुछ कहने से पूर्व मैं संतुष्ट हो जाना चाहता हूँ। इस मामले की प्रविधिज्ञ जांच कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि प्रविधिज्ञों पर हमें केवल इसलिए अविश्वास नहीं करना चाहिए कि वह आसाम तेल समवाय के पिट्ठू हैं। इस प्रकार की बातें कहना उचित नहीं है। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि चाहे आसाम तेल समवाय हो अथवा और कोई विदेशी समवाय हो, भारत सरकार को कोई भी उसके इस निर्णय और नीति से नहीं हटा सकता है कि तेल व्यवसाय पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में रहेगा। हम जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहते हैं। हमें वास्तविकताओं पर ध्यान देना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि आसाम के माननीय सदस्य इस पर ठंडे दिल से विचार करेंगे। यदि जांच के बाद वहां शोधनशाला स्थापित करना ठीक समझा गया तो हम बड़ी खुशी से ऐसा करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : मैंने बताया था कि विशेषज्ञ समिति ने जिन तीन स्थानों की सिफारिश की थी उन में से गौहाटी भी एक स्थान था।

†**श्री के० दे० मालवीय** : वह अन्तिम विकल्प था।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : सभापति महोदय, तेल शोधनशाला के सम्बन्ध में जो थोड़ी बहुत गरमागरमी है उसके अलावा अन्य विषयों के बारे में

†मूल अंग्रेजी में

जिन पर आज चर्चा हो रही है, कोई मतभेद नहीं है। अन्य सभी विषय अविवादास्पद ही हैं। क्योंकि सभा के सभी सदस्य हमारे देश के औद्योगीकरण की प्रगति में दिलचस्पी रखते हैं और उस पर निगरानी रखते हैं। जिन मामलों से यह मंत्रालय सम्बन्धित हैं, वे सब औद्योगीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारा देश औद्योगिकरण की दिशा में जो प्रगति कर रहा है उसके प्रसंग में हमारे देश के ईंधन संसाधनों के विकास का, लोहा और इस्पात जैसी आवश्यक धातुओं के निर्माण का और खनिज संसाधनों के उपयोग का कितना बड़ा महत्व है। इन्हीं पर औद्योगिकरण के लक्ष्य की ओर शीघ्रता से बढ़ने का कार्य आधारित है। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने चर्चा के विषय से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए। कुछ बातें तो प्रविधिक थीं। कुछ बातों के लिये पर्याप्त आंकड़ों आदि का होना जरूरी था परन्तु फिर भी कुछ सदस्यों ने कोयला, लिग्नाइट, लोहा और इस्पात, तेल तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में बड़े स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किये है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना समय हो कि मैं उन सब पर ब्यौरेवार विचार करूं। मेरे पास समय की कमी है परन्तु फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अपने विचार व्यक्त करने का प्रयत्न करूंगा।

पहले कोयले को ले लीजिए। उत्पादन का लक्ष्य, गैर–सरकारी, तथा सरकारी क्षेत्रों के बीच उसका आवंटन और उस उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए किए गए उपाय, ये सब चीजें सभा को अच्छी तरह पता है। मेरा विचार उन आंकड़ों को दोहराने का नहीं है। परन्तु फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि आंशिक गणना के आधार पर, जो मेरे मित्र श्री विट्ठलराव सामान्यतया करते हैं, यह पता लगाना संभव नहीं है कि एक वर्ष में सही उत्पादन कितना हुआ है। उन्होंने इस आधार पर कि १९५६ में कुछ अधिक उत्पादन हुआ था पांच वर्षों का हिसाब लगाया। १९५६ के उत्पादन का पांचगुना करके उन्होंने बताया कि योजना का उत्पादन लक्ष्य कम है और इसीलिए हीं कुछ गड़बड़ अवश्य है। मेरे विचार से इस प्रकार आसानी से अंकों को जोड़ घटा कर, कोयले के उत्पादन जैसे प्रविधिक काम में यह पता लगाया जाना कठिन है कि कितनी प्रगति हुई है।

यह कहना युक्तियुक्त ही है कि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ प्रारंभिक कार्य करने ही होते है। प्रारंभिक प्रतिवेदन तैयार करने होते हैं। स्थानों का सर्वेक्षण करना होता है और मशीनें आदि एकत्रित करनी होती है। एक बार इन सबका उचित संगठन होने पर ही उत्पादन में वृद्धि का और प्रगति का पता लगाया जा सकता है, केवल पांच से गुणा भाग कर के नहीं। सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को एक स्वायत्त–शासी संस्था बना कर जिसको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए है, एक प्रभावोत्पादक कार्यवाही की है और यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र के लक्ष्य योजनावधि में पूर्ण कर लिए जायेंगे।

मैं अपनी कठिनाइयों की गिनती करने नहीं जा रहा हूं। उनमें से कुछ सभी को मालूम हैं। कुछ महीने पूर्व मैंने सभा में कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, बनाने की प्रार्थना की थी। यह एक अत्यावश्यक और प्रारंभिक कार्य था जिससे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम उन क्षेत्रों को, जहां कोयला मिल सकता है, ले सके क्योंकि इनमें से अधिकांश क्षेत्र पहले से ही खान के पट्टों आदि के अधीन हैं।

[सरदार स्वर्ण सिंह]

मशीनों का आयात किया ही जाना था। दुर्भाग्यवश हमें अब भी कोयला खोदने की बहुत सी मशीनों का आयात करना है। विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयां होते हुए भी कुछ दिन पूर्व आर्डर दे दिए गए हैं जो कि लगभग ३ करोड़ रुपये की मशीनरी के लिए हैं। यदि हम देखें कि हमारी समस्या किस प्रकार की है, हमें क्या प्रारंभिक कार्य करने हैं और किस प्रकार के संगठन की स्थापना करनी है, तो हमें पता लगेगा कि अभी से इस बात का आरोप लगाना अनुचित होगा कि हम असफल हो गये हैं।

मैंने बताया है कि मैं आपको ज्यादा आंकड़े नहीं बताऊंगा परन्तु एक महत्वपूर्ण मामला है जिसके सम्बन्ध में सभा अवश्य उत्सुक होगी। जहां तक राज्य की और राज्य द्वारा नियंत्रित कोयले की खानों का सम्बन्ध है १९५४–५५ में कुल उत्पादन २९.३ लाख टन था और अब १९५७–५८ में इस क्षेत्र में लगभग सात लाख टन उत्पादन बढ़ जाने का अनुमान है। इस प्रकार लगभग २२ अथवा २३ प्रतिशत वृद्धि हुई है। सरकारी क्षेत्र की अन्य खानों के बारे में जहाँ कार्य हो रहा है, कुछ बता दूं तो अच्छा रहेगा।

निम्न कोयले की खानों का मासिक उत्पादन मार्च १९५८ में लगभग १.५ लाख होने की आशा है।

	टन
कोरबा—मैनुअल क्वारी	१५,०००
कोरबा—इन्क्लाइन खान संख्या १	..
कोरबा—इन्क्लाइन खान संख्या २	६,०००
कोरबा—मैकैनिकल क्वारी	३५,०००
कथारा—खान	३०,०००
गीडी—खान	१६,०००
सौंडा—खान	१०,०००
भुरकुण्डा—खान संख्या २	५,०००
कुराशिया—खान संख्या २	५,०००
कोरिया—खान संख्या १ व २	१५,०००

इन परियोजनाओं में मार्च १९५८ में उत्पादन तभी बढ़ेगा जब हम उस क्षेत्र से कोयला बाहर भेजने में समर्थ होंगे। इसीलिए चाहे कोई वर्तमान खान हो अथवा नई खान के विकास का काम हो अथवा कुछ खानों में काम करने की दशाओं में सुधार किया जाना हो, सभी जगह हम बराबर काम कर रहे हैं और इस बारे में कोई गलत धारणायें बनाना उचित नहीं होगा।

कोयले के सम्बन्ध में दूसरी बात कोयले की खानों के एकीकरण की है। यह मामला बहुत समय से बिचाराधीन है। मैं इस समय इतना कह सकता हूँ कि सरकार ने कोयले की खानों की एकीकरण समिति की सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है और कुछ निर्णयों को लागू करने के लिए उचित कार्यवाही की जायेगी जिनके ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं। परन्तु जहां तक एकीकरण के सिद्धान्त का प्रश्न है उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है और हम शीघ्र ही वैधानिक आदि कार्यवाही करेंगे कि कोयले की खान कितनी बड़ी होनी चाहिये, उत्पादन की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए और खानों का अर्जन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए अथवा एकीकरण स्वेच्छा से होना चाहिए। ये बातें ब्यौरे से संबंध रखता हैं और इन पर अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है।

कोयले के मूल्यों के पुनरीक्षण की आलोचना की गई है । मैं इस समय ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा जिससे उस उच्चाधिकार प्राप्त समिति की जांच पर कोई प्रभाव पड़े, जो कोयले के मूल्यों की जांच कर रही है और जिसमें मंत्रालय के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी हैं। वह इस पर पूर्ण तरह विचार करेगी। इस समय यदि मैं मूल्यों की वृद्धि के बारे में कुछ कहूँ तो संभवतया समिति द्वारा की जा रही जांच पर कोई असर पड़े। इस समय मेरे लिये इतना कहना पर्याप्त होगा कि कोयले के मूल्यों आदि के सम्बन्ध में एक समिति विचार कर रही है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि ह । उन्होंने मालिकों तथा कर्मचारियों के ज्ञापन तथा गवाहियां ले ली हैं। वह कुछ खानों में गये भी हैं। वह समिति सभी बातों पर विचार करके प्रतिवेदन देगी। सरकार द्वारा इस पर अन्तिम निर्णय किये जाने के किए यह प्रतिवेदन बड़ा लाभदायक होगा।

मेरा विचार था कि मेरे मित्र श्री विट्ठलराव मालिकों तथा श्रमिकों के बीच हुए समझौते का स्वागत करेंगे। यह समझौता मेरे साथी श्रम मंत्री श्री नन्दा के प्रयत्नों से संभव हो सका है और इसके द्वारा एक ऐसा मामला तय हो गया जो मजदूरों और उद्योग के बीच बहुत दिनों से चल रहा था और जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय में भी एक मुकदमा चल रहा था। श्री विट्ठलराव को सरकार को बधाई देनी चाहिए कि उसने न्यायालय में गये बगैर ही समझौता कर लिया। उसके बजाये उन्होंने उसे अपनी आलोचना का आधार बनाया। जहां तक कोयले के मूल्यों के पुनरीक्षण से उसका सम्बन्ध है वह भी समझौते का एक भाग था जिसको सभी दलों ने, जिन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया था, सामान्यतः स्वीकार कर लिया था ।

†श्री अ० चं० गुह : क्या वह मामला उच्चतम न्यायालय से वापस ले लिया गया है।

†सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे अन्तिम स्थिति का पता नहीं है परन्तु यह समझौता था कि मामला वापस ले लिया जायेगा। मेरे साथी श्रम मंत्री बता चुके हैं कि सरकार का विचार उस समझौते को लागू करने का है और यदि इसके लिए किसी विधान की आवश्यकता हुई तो वह विधान बनाने में भी नहीं हिचकिचायेंगे।

कोयले के लाने और ले जाने का प्रश्न उठाया गया । यह ऐसा प्रश्न है जो समय समय पर कई बार यहां उठाया गया है। कोयले के लिए जिम्मेदार मंत्रालय पर चर्चा के समय तो इसे उठाया ही जा रहा है परन्तु रेलवे मंत्रालय पर चर्चा के समय भी इस प्रश्न को उठाया गया। कोयला एक भारी वस्तु है। उत्पादन के स्थानों को सभी को जानकारी हैं । हमारा एक विशाल देश है और परिवहन संसाधनों का भी पूरी तरह विकास नहीं हुआ है । इसलिए यह समस्या अभी सुलझ नहीं पाई है । द्वितीय योजना को बनाते समय कोयले के संसाधनों और रेलवे की विकास योजनाओं को जब अन्तिम रूप दिया जा रहा था तो इसका ध्यान रखा गया था कि कोयले की खानों तथा रेलवे के बीच एक समन्वित विकास हो जिससे उत्पादित सामान को खपत के स्थानों पर ले जाया जा सके। उद्देश्य यह था कि सीमित परिवहन संसाधनों को देश के अधिकतम लाभ के लिए लगाया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

जैसा सभा को पता है, कोयला नियंत्रक के कार्यालय का सबसे बड़ा और शायद एक बहुत कठिन कार्य कोयले का वितरण इस तरीके से करना है और उसे इस तरह ढोना है जिससे कि अत्यावश्यक उद्योगों, सरकारी जरूरतों, रेलवे की आवश्यकताओं, पत्तनों की आवश्यकताओं, निर्यात की स्थिति आदि में पूर्णतः समन्वय बना रहे और उपलब्ध संसाधनों का अच्छी तरह उपयोग हो सके।

जहां तक अधीक्षकों (सुपरवाइजरों) के प्रशिक्षण का प्रश्न है, मैं स्वीकार करता हूँ कि आन्ध्र में प्रशिक्षण केन्द्र थोड़ा विलम्ब से प्रारंभ किया गया। कुछ दिन हुए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने इस सम्बन्ध में कुछ बताया था। मैं इस समय केवल यही कहना चाहता हूँ हम इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से और बातें करेंगे तथा वह सभी कार्यवाही करेंगे जिससे जितना शीघ्र हो सके उतने शीघ्र यह प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ हो जाये। क्योंकि हम स्वयं प्रशिक्षण सुविधायें बढ़ाने के लिए उत्सुक है।

कुछ बातें कर्मचारियों की सुविधाओं के सम्बन्ध में कही गईं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और यदि मैं वह सब बताऊं जो कुछ किया गया है तो लगभग मेरा सभी समय उसमें लग जायेगा। मुझे विश्वास है कि श्रम मंत्रालय द्वारा इसकी ब्यौरेवार चर्चा की जायेगी।

जहाँ तक सरकारी कोयले की खानों का सम्बन्ध है हम समय समय पर कार्य की दशा सुधारने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं और सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं। यह कहना बड़ा अनुचित है कि सरकारी कोयले की खानों में भी हालत अच्छी नहीं है। ऐसा संभव है कि जितना आशा की जाती थी उतनी सुविधायें अभी नहीं मिली हों। हमने जो कुछ किया है उससे अधिक करना चाहते हैं और इस मामले पर हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। हमारा यह सर्वदा प्रयत्न रहेगा कि हम उनके कार्य की तथा उनके रहने की स्थिति में सुधार करें।

अब मैं कुछ शब्द महत्वपूर्ण लिग्नाइट परियोजना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि श्री विट्ठलराव जो दक्षिण भारत से यहां आये हैं, दो अन्य दक्षिण से आये माननीय सदस्यो, श्री रामस्वामी, तथा श्री नरासिंहन से सहमत नहीं है। वह समझते हैं कि शायद यह एक बहुत खर्चीला कार्यक्रम है और इस पर हमारा बहुत सा रुपया बर्बाद हो जायेगा। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिये कि इतने लिग्नाइट की केलोरिक महत्ता उतनी ही मात्रा के कोयले की तारीय महत्ता के मुकाबले में कुछ भी नहीं है—कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किये। यह ठीक है। किन्तु हमें यह बात स्मरण रखनी है कि दक्षिण भारत तथा बिहार तथा रानीगंज के कोयले क्षेत्रों के बीच पर्याप्त अन्तर है, इससे परिवहन सम्बन्धी कठिन समस्यायें पैदा होती हैं। अब भी हम उस क्षेत्र में कोयला समुद्र के रास्ते से भेजते हैं जिस पर बहुत व्यय होता है। कुछ सदस्यों ने ठीक ही यह प्रश्न उठाया था कि भद्रावती लोहा तथा इस्पात कारखाने के लिये सारा कोयला रेल द्वारा क्यों न भेजा जाये। परिवहन की कठिनाइयों के कारण मैं सारा कोयला उपलब्ध नहीं करा सकता।

†एक माननीय सदस्य : ४५ रुपये प्रति टन।

†सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां, यह ठीक है कि इस पर लागत ज्यादा आये या कम आये किन्तु अधिक महत्व तो मिलने का है। यह मिल तब तक नहीं सकता जब तक कि इसे वहां तक न ले जाया जाये और ले जाया तब तक नहीं जा सकता जब तक अतिरिक्त व्यय न किया जाये। इसलिये सब से अच्छी बात यही थी कि जो साधन वहां उपलब्ध हों उन्हीं से पूरा पूरा लाभ उठाया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे इस परियोजना के सम्बन्ध में बड़ी प्रसन्नता हुई जब प्रधान मंत्री वहां उसका उद्घाटन करने के लिये गये तब मुझे याद है कि सभी लोग अतिशय प्रसन्न थे।

इसके बाद यह भी स्मरण रखना है कि यह केवल ईंधन के प्रयोजन के लिये ही नहीं है, किन्तु यह एक एकीकृत परियोजना है। उर्वरक कारखाना, बिजलीघर तथा तापीय स्टेशन भी इसी योजना से सम्बन्धित है।

इस बात के पक्ष में बहुत सी दलीलें दी जा सकती हैं और इस सभा के सभी सदस्य इस बात से सन्तुष्ट हैं। मैं समझता हूं कि श्री त० ब० विट्ठल राव स्वयं अब यह विचार कर रहे हैं कि उन्होंने यह प्रश्न उठाया ही क्यों?

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मैं परियोजना के विरुद्ध नहीं हूं मैंने तो केवल पूंजी के बारे में पूछा था।

†सरदार स्वर्ण सिंह : पूंजी आदि का हिसाब हम बाद में लगा सकते हैं, किन्तु वैसे यह हिसाब लगाये जा चुके हैं और उनसे यही परिणाम निकला है कि वहां पर तापीय स्टेशन बनाने और उर्वरक का कारखाना आदि बनाने के साथ यह परियोजना लाभदायक रहेगी।

अब समय थोड़ा रह गया है और मुझे इस्पात कारखानों के बारे में भी बताना है। विषय बड़ा आकर्षक है इसलिये समय ज्यादा चाहिये किन्तु इस समय मैं मोटी मोटी बातें ही बताऊंगा। जहां तक हमारी विदेशी मुद्रा की कमी का प्रश्न है उसके बारे में यहां पर प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने कई बार बताया है कि हमारी विदेशी मुद्रा की कमी इस कारण नहीं हुई कि हम व्यर्थ व्यय करते जा रहे हैं, बल्कि इस कारण हुई है कि हम ने बड़े बड़े काम करने आरंभ कर दिये हैं ताकि हमारे देश का विकास ठोस आधार पर हो।

इन्हीं इस्पात के कारखानों की लीजिये। इनमें बहुत इस्पात की खपत होती है। बहुत-सी विदेशी मुद्रा भी लगती है जिसे इस स्थिति में हम नहीं दे सकते। किन्तु इस के बावजूद भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जब इन कारखानों में उत्पादन शुरू हो जायेगा तब विदेशी मुद्रा की समस्या एक बहुत बड़ी सीमा तक हल हो जायेगी। इससे देश में भारी मशीनें बनाई जा सकेंगी जोकि देश के विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। हम अपने देश के औद्योगिकरण का ध्येय तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम आत्मनिर्भर न हो जाये। हम अधिक समय तक भारी मशीनें बाहर से मंगवा कर देश को उन्नत नहीं कर सकते। गत दो वर्षों में हमने कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये विदेशों से अत्यधिक मात्रा में इस्पात का सामान तथा भारी मशीनें मंगवाई। लगभग प्रतिवर्ष ३ करोड़ का सामान आता था। हमारा देश इसी अवस्था में तो सदैव नहीं रह सकता। सभी लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इन कारखानों में काम चालू हो और उस धातु को पैदा करे जो कि आज की टेकनोलोजिकल दुनिया में विकास का सब से बड़ा साधन है।

जहां तक इन तीनों इस्पात के कारखोनों का सम्बन्ध है मैं सभा को जानकारी देना चाहूंगा। मैं सभा के सम्मुख एक चित्र उपस्थित करूंगा और यह भी बताऊंगा कि इनमें किस प्रकार की वित्तीय उलझनें आती हैं। गत वर्ष की समाप्ति तक रूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर के कारखानों पर योजना अनुसार काम चालू होना था। सभी नक्शे आदि तैयार कर लिये गये और मुख्य संयंत्र तथा मशीनरी

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

के लिये आर्डर दे दिये गये। इस आरंभिक काम की समाप्ति के बाद सरकार ने सोचा कि यह लाभदायक होगा यदि इन तीनों कारखानों का प्रबन्ध एक कर दिया जाये। १ अप्रैल, १९५७ से भिलाई तथा दुर्गापुर के कारखाने हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को सौंप दिये गये जो कि पूर्णतया एक सरकारी कम्पनी है और जिसे पहले रूरकेला इस्पात करखाने के निर्माण तथा प्रबन्ध के लिये बनाया था।

रूरकेला में २५ जर्मनी फर्में संयंत्र तथा सामान का संभरण करेंगी। इनका निर्माण योजनानुसार हो रहा है। और भट्टी तथा ब्लास्ट भट्टी के लिये आवश्यक पहला सामान आना आरंभ हो गया है। विभागों में लोहे के उत्पादन के लिये आवश्यक असैनिक इंजिनियरिंग कार्य चल रहा है और कुछ आरंभिक कठिनाइयों के बावजूद भी यही आशा की जाती है कि काम ठीक ठीक चलेगा। पहली ब्लास्ट भट्टी १९५८ के अन्त होने से पूर्व ही चालू हो जायेगी। वेलन कारखानों में होने वाला इंजिनियरिंग कार्य बड़ा कठिन है इसलिये आवश्यक संसाधनों तथा अनुभव वाले ठेकेदार मिलने में कठिनाई हुई है। किन्तु तब भी प्रोत्साहन देते हुए हम यह प्रयास कर रहे हैं कि काम निश्चित तिथियों में पूरा हो।

भिलाई में भी काम उसी गति के साथ चल रहा है और इंजिनियरिंग के प्रबन्ध करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण जो गति में शिथिलता आगई थी उसे निर्माण काल में पूरा कर दिया जायेगा। सोवियत चीफ इंजीनियर से जो उपयुक्त कार्यक्रम हैं उनके बारे में चर्चा कर ली गई है और यह आशा की जाती है कि १९५८ के अन्त तक यहां लोहा उत्पादन होना आरंभ हो जायेगा और १९५९ के अन्त तक इस्पात बनाना भी शुरू हो जायेगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

दुर्गापुर में इंडियन स्टील वर्कस कंस्ट्रक्शन कम्पनी के साथ समस्त इस्पात कारखाने के निर्माण का ठेका है। निर्माण कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। जैसे जैसे निर्माण होता जा रहा है तैसे ही इन कारखानों के लिये आवश्यक कच्चे माल की व्यवस्था की जा रही है और उनको सम्हालने वाले लोगों को भी प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। आवश्यक कच्चा माल है लौह अयस्क, चूना तथा कोयला।

रूरकेला के लिये लौह अयस्क वहां से ५० मील दूर बारसूआ की खानों से प्राप्त होगा। इन खानों के निर्माण आदि के लिये ठेके दे दिये गये हैं। जब तक यह खाने तैयार नहीं हो जातीं यह विचार है कि इस्पात कारखाने का काम बोलानी खान से ही चलाया जाये। यह खान दुर्गापुर के कारखाने के लिये विकसित की गई है। व्यापक उत्पादन के लिये वैसे तो खानों का यन्त्रीकरण करना पड़ेगा किन्तु बोलानी के निक्षेप इस प्रकार के हैं कि उन्हें पहली ब्लास्ट भट्टी के लिये रूरकेला में थोड़ी थोड़ी मात्रा में भेजा जा सकता है और यह परिवहन विद्यमान रेलवे से भी हो सकता है, कुछ थोड़े सुधारों की आवश्यकता है।

भिलाई के लिये अयस्क राजहारा से आयेगा जोकि वहां से ५० मील की दूरी पर है। इन खानों के लिये यंत्र तथा सामान का संभरण सोवियत रूस करेगा। यहां भी इंजिनियरिंग सम्बन्धी कठिनाई सामने आई है। यहां भी हम आशा करते हैं कि काम समय पर ही समाप्त करायेंगे।

रूरकेला तथा दुर्गापुर के लिये चूना पहले तो वीरमित्र पुर तथा हाथीबाड़ी से ही प्राप्त किया जायेगा। और स्थानों के सम्बन्ध में खोज जारी है। भिलाई के लिये चूने का पत्थर नन्दिनी (दवरज्ञान) के निक्षेपों से लिया जायगा, जो कि इस्पात कारखाने से १२ मील की दूरी पर है।

रूरकेला के लिये कोयला बोकारो/कारगली तथा झरिया से आयेगा । एक माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में बात उठाई थी । भिलाई कारखाना बोकारो/कारगली झरिया और रानीगंज के कोयले पर आधारित है । दुर्गापुर में झरिया तथा रानीगंज का मिश्रित कोयला प्रयोग किया जायगा । धात्वीय कोयले के थोड़ा होने के कारण इस कोयले को धोया जाया करेगा । श्री गुह ने यह बात कही थी । कारगली में एक धोने का कारखाना तैयार किया जा रहा है जहां पर बोकारो तथा कारगली खानों का कोयला धुला करेगा । इन कारखानों के लिये झरिया के कोयले को डुगडा में धोया जाया करेगा । जहां पर कोयला धोने का कारखाना लगाने के लिये टेंडर मंगवाये गये हैं । श्री गुह के प्रश्न का यह उत्तर है । इन कारखानों की कच्चे माल की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये रेलवे नई रेलवे लाइनों का निर्माण कर रही है ।

दूसरा प्रश्न यह था कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बारे में क्या स्थिति है । मैं उस सम्बन्ध में भी संक्षिप्त रूप में कुछ कहना चाहता हूं । तीनों कारखानों के प्रवर्तन के लिये यह आशा की जाती है कि लगभग १२० अनुभवी इंजीनियरों, १,२०० अर्हित इंजीनियरों, १०,००० कुशल कर्मचारियों तथा ७,००० अर्ध-प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी । गत अप्रैल तक इंजीनियरों की भर्ती मुख्यता संघ लोक-सेवा आयोग के द्वारा की गई । भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों के हिंदुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड कम्पनी को सौंपा जाने के बाद अब भर्ती की जिम्मेदारी भी कम्पनी ने ही लेली है ।

इसके अतिरिक्त कारखाने के निर्माण के लिये ३६३ इंजिनियरों की आवश्यकता है । कारखाने का काम चलाने के लिये ५४७ इंजीनियर चुन लिये गये हैं । रूस से २० इंजीनियर प्रशिक्षण समाप्त करके आ गये हैं और ११ इंजीनियर जर्मनी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । ११५ इंजीनियर रूस में प्रशिक्षण पा रहे हैं, ६९ जर्मनी में तथा ११५ अमेरिका में । सोवियत रूस में ८४ अन्य इंजीनियर तथा ८४७ अन्य कुशल कर्मचारी प्रशिक्षित होंगे । फोर्ड फाउंडेशन ने ९०० कर्मचारियों तथा इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने का वायदा किया है। कोलम्बो योजना के अधीन ३०० इंजीनियर इंगलैण्ड में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे कुछ इंजीनियर कनाडा तथा आस्ट्रेलिया में भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : यह लोग वहां कितने समय में भेजे जायेंगे ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह लोग वहां भेजे जा रहे हैं—कुछ तो प्रशिक्षण समाप्त करके वापस भी आ गये हैं ।

इसके अतिरिक्त श्री दासप्पा के इस प्रश्न का कि भर्ती सेवा-आयोग के हाथो से क्यों निकाल ली गई । उत्तर यह है कि संघ लोक-सेवा आयोग किसी समवाय के लिये भर्ती नहीं करता । समाप्ति से पूर्व एक बात मैं और कहना चाहता हूं । माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि जो प्राक्कलन इस्पात कारखानों के अब तैयार किये गये हैं वह आरंभिक प्राक्कलनों से ज्यादा हैं । मैं उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । पहले रूरकेला का प्राक्कलित व्यय १२८ करोड़ था— भिलाई का ११५ करोड़ और दुर्गापुर इस्पात कारखाने का भी ११५ करोड़ । इन प्राक्कलनों में नगरों तथा दो आयस्क की खानों तथा भारतीय तथा वदेशी विशेषज्ञ को दिये जाने वाली रकमों को शामिल नहीं किया गया था । गत दिसम्बर में यह कहा गया था कि दुर्गापुर तथा रूरकेला इस्पात कारखानों के व्यय में वृद्धि हो गई है क्योंकि जिन देशों से इन कारखानों के लिये सामान मंगवाया जाता था उनमें उस सामान के दाम बढ़ गये हैं और भारत में भी सैनिक इंजीनियरिंग कार्यों के पण्य की एक प्रणाली का विकास हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

दुर्गापुर कारखानों पर १३८ करोड़ रुपये का व्यय होना था और रूरकेला पर १७० करोड़ रुपये का जिसमें सीमाशुल्क तथा आकस्मिक व्यय सम्मिलित नहीं हैं। अभी तक भिलाई के प्राक्कलनों का पुनर्विलोकन नहीं किया गया है। किन्तु जब उनका पुनर्विलोकन किया जायेगा तो उससे निश्चय ही भारतीय लागत में वृद्धि प्रकट होगी। इस समय हम भिलाई इस्पात कारखाने के प्राक्कलनों के पुनर्विलोकन के कार्य में ही लगे हुए हैं।

कारखानों के प्राक्कलनों के विभिन्न हैं इसलिये उनमें कड़ी तुलना नहीं की जा सकती। भिलाई में बहुत सी बातों की जिम्मेदारी भारत सरकार पर है। आवश्यक अतिरिक्त कार्य करने के बाद यह आशा है कि भिलाई कारखाने पर अनुमानतया १३१ करोड़ रुपये की लागत आयेगी। यह आंकड़े बिल्कुल ठीक नहीं हैं क्योंकि अभी पूरे ढंग से हिसाब नहीं लगाया गया है।

रुरूरकेला के लिये १७० करोड़—दुर्गापुर के लिये १३८ करोड़ तथा भिलाई के लिये १३१ करोड़ के इन प्राक्कलनों में निम्न वस्तुयें के प्राक्कलित व्यय सम्मिलित नहीं हैं: नगर बसाना अयस्क की खानें तथा चट्टानें, भूमि, खनन कार्य, जल संभरण के संशोधन, बिजली देने की सुविधायें, आवश्यक कर्मचारी तथा उनके प्रशिक्षण का व्यय, कारखाने के बाहर रेलवे का काम, परियोजना के लिये रखे गये कर्मचारी, सीमा-शुल्क, चिकित्सा सेवाओं पर व्यय, दफ्तर पर व्यय तथा अन्य सहायक व्यय। मैंने सोचा कि मैं यह बात सभा के सामने स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस समय यह स्थिति है।

पहले बताई गई पूंजी की लागत इस्पात कारखानों की ही लागत है अर्थात यह व्यय कारखाने के क्षेत्र के अन्दर होने वाली चीजों का व्यय है, किन्तु इसके साथ ही तीन कारखानों के अन्दर की चीजों में भी अन्तर है। रूरकेला का १० लाख टन के इस्पात के कारखाने का पहला जर्मन अनुमान १२८ करोड़ रुपये का था। दिसम्बर १९५६ में हमने बताया था कि अब उस पर १७० करोड़ लगेंगे। इसमें दो बातों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। एक तो यह कि क्यों प्राक्कलनों में १२८ करोड़ से १७० की वृद्धि हुई। और फिर रूरकेला कारखाने पर १७० करोड़ का व्यय क्यों होगा जबकि दुर्गापुर कारखाने पर केवल १३८ करोड़ का व्यय होगा।

आरम्भिक प्राक्कलन कम थे। जर्मन सलाहकार कारखाने का व्यय नहीं बता रहे थे बल्कि यह बता रहे थे कि बाजार में यह माल इतनी लागत से मिलेगा। इसलिये प्राक्कलन तैयार करते समय उन्होंने कम प्राक्कलन तैयार किया ताकि उनके प्राक्कलन को संभरणकर्ता न्यूनतम न समझें। वास्तव में कीमतें ३० प्रतिशत अधिक थीं। हमारे ब्रिटिश सलाहकार इस बात पर संतुष्ट थे कि यूरोपीय हालात के अनुसार यह बात ठीक है और अमेरिकन कीमतों से वास्तविक रूप में कम है।

इसी प्रकार इंजीनियरिंग आदि कामों की लागत भी कम ही आंकी गई थी।

दूसरे रूरकेला कारखाने पर दुर्गापुर तथा भिलाई से अधिक लागत क्यों आएगी? विशेष ढंग का होने का कारण इस पर लागत ज्यादा होगी। इस कारखानें में चपटी वस्तुओं का निर्माण होगा जैसे चादरें और प्लेटें इसके लिये इसमें आधुनिकतम स्ट्रिप मशीनें लगेंगी। रूरकेला के वेलन यंत्रों का मूल्य ५७ करोड़ है जबकि यह भिलाई की वेलन मशीन के मूल्य से ३० करोड़ तथा दुर्गापुर की वेलन मशीन के मूल्य से ३५ करोड़ रुपये अधिक है। इनके अतिरिक्त रूरकेला में ७५,००० किलोवाट बजली पैदा करने वाला एक कारखाना भी लगेगा। यहां बिजली का प्रयोग ज्यादा होगा इस कारण हीराकुण्ड से भी अत्यधिक बिजली नहीं ली जा सकती।

बिजली संयंत्र का साज सहित अतिरिक्त मूल्य ३ करोड़ रुपये है। इन्हीं कारणों से रूरकेला कारखाने पर शेष दोनों कारखानों से अधिक व्यय होगा।

एक छोटी सी बात और भी है। सैलम तथा दक्षिण भारत में मिलने वाले अन्य अयस्कों के बारे में भी कह गया था। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हम पहले ही इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं और जमशेदपुर के धातु गवेषणा केन्द्र में प्रयोगात्मक कार्य इस पर चल रहा है उसका जो भी परिणाम निकलेगा उसी के अनसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जहां तक इस्पात बनाने के सामान्य तरीके का सम्बन्ध है कोयला अत्यन्त आवश्यक वस्तु है और बिजली के प्रयोग में अभी पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। इन सब बातों पर विचार किया जा सकता है और यदि यह ठीक हुआ तो दक्षिण भारत में भी अवश्य ही निर्माण कार्यवाही की जायेगी।

कुछ बातें अभी रह गई हैं किन्तु अब ५.३० हो चुके हैं इसलिये अधिक के लिये समय नहीं है। मैं इस समय केवल इतना ही कहूगा कि हम कोयला, लिग्नाइट, लोहा और इस्पात तथा तेल निकालने के कामों की ओर ठीक प्रकार अग्रसर हो रहे हैं। यदि श्री मालवीय तेल निकलवा सके तो वह तो बड़ी ही ऐतिहासिक घटना होगी।

†**श्री नारायणन कुट्टि मैनन** : आसाम में बनने वाली रुपया समवाय में भारत सरकार का कितना हिस्सा है और शोधन शाला के लिये ५००० लाख रूबलस के ऋण की रूस के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि रूस के ऋण की पेशकश के बारे में लोगों में द्विविधा है। ५००० लाख रूबलस की पेशकश है और यह रकम १९५९–६० में मिलेगी और इस शीर्षक के अधीन यह परियोजना भी विचाराधीन थी। अब रह निर्णय करना भारत सरकार के हाथों में है कि इस सहायता की रकम को किस परियोजना पर लगाया जाये। अभी अभी इस सम्बन्ध में बातचीत शरू होगी कि इस सहायता की राशि को जो एक या दो वर्ष के बाद मिलेगी किन किन परियोजनाओं के लिये लगाया जाये। इसके अतिरिक्त सोवियत रूस को कोई अन्य पेशकश नहीं है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में श्री मेनन द्विविधा में हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : प्रतिवेदन में स्पष्टतया लिखा था कि तेलशोधन शाला के लिये रूस ने ६० करोड़ रुपये देने की बात की है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जो बात मैंने अब बताई है वह ही ठीक है। मुझे नहीं पता प्रतिवेदन में क्या लिखा है ।

†**श्री रंगा** : माननीय मंत्री ने जो वचन सलेम के अयस्क के बारे म दिया है क्या वही बात तैलंगाना आदि क्षेत्रों में मिलने वाले अयस्क पर भी लागू होगी?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** :यह बात प्रत्येक स्थान पर मिलने वाले अयस्क पर लग होती है। लौह-अयस्क देश के बहुत ले भागों में मिलता है। आरंभ में हमने ऐसे स्थान चुने ह जहासभी सुविधायें हों ताकि पहले ही हमें कठिन काम न करना पड़े

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : रुपया समवाय में अंश के बारे में क्या कहना है?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जहां तक रुपया समवाय का सम्बन्ध है यह इस शोधन-शाला के प्रसग म नहीं आती। यह समवाय तो अशोधित तेल तैयार करने के लिये है तथा उसे पाइपलाइनों द्वारा भेजने के लिये है। शोधन शाला का वर्तमान चर्चा से कोई सम्बन्ध नहीं है ? हम इस शोधन-शाला के लिये जिससे भी चाहें बातचीत करने को स्वतंत्र हैं। रुपया समवाय में सरकार का भाग है ३३ प्रतिशत। कीमतें सरकार के अनुमोदन से होंगी और नीति सम्बन्धी समस्त नियंत्रण सरकार के हाथ में होगा।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : जब उत्तर भारत में पहले ही लोहे तथा इस्पात के दो कारखाने हैं फिर तीन्नें नये कारखाने वहां ही क्यों लगाये जा रहे हैं दिक्षण भारत में लौह अयस्क मिलता है सभी सुविधायें हैं। पता नहीं क्यों फिर सरकार दक्षिण भारत में विकास कार्य करने में हिचकिचाती है।

†**सरदार स्वण सिंह :** क्या ही अच्छा होता यदि मैं वैसा कर सकता। मैं भिलाई से उसे लेकर दक्षिण में ले जाता। श्रीमान्, यह अचल चीज हैं—कोयला तथा लौह अयस्क आसानी से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। अयस्क तो वहीं पर ही मिलेगा जहां होगा।

जहां तक भद्रावती इस्पात कारखाने के प्रसार का सम्बन्ध है, यह बात तभी सदस्यों को ज्ञात है।

इस सम्बन्ध में भी यह शिकायत है कि इस की प्रसार राशि को ११ करोड़ से घटा कर ६ करोड़ कर दिया गया है। केवल इसी चीज में तो कमी नहीं की गई है। बहुत सी और भी बातों में कमी कर दी गई है। आखिर हमें सस्त संसाधन भी तो देखने पड़ते हैं। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। उपलब्ध संसाधनों में तथा बचत का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए जो कुछ भी हम भद्रावती कारखाने के प्रसार के लिये कर रहे हैं वह मेरे विचारानुसार युक्तियुक्त ही है। यदि माननीय सदस्य कोई स्पष्ट सुझाव रखना चाहते हैं तो वह रखें और हम इस बात पर ध्यान से सोचेंगे।

बम्बई के माननीय मित्र ने इस्पात कारखानों सम्बन्धी जो कई टेक्नीकल बात कहीं मैंने उनकी व्याख्या भी करनी थी। यदि समय होता तो उनका उत्तर भी दिया जाता मेरे पास सब जानकारी है किन्तु अब समय नहीं है। परियोजनाओं के प्रतिवेदनों में इन सब बातों का स्पष्टीकरण किया गया है। वह उन्हें पढ़ें; मैं भी उन्हीं से पढ़कर जवाब देता। यदि वह किन्हीं उप-उत्पादों में अभिरुचि रखते हों तो इस सम्बन्ध में अन्य साहित्य भी पढ़ सकते हैं जो हमारे यहां से उन्हें मिल सकता है।

†**अध्यय महोदय :** अब मैं कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
७८	इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्रालय	*३१,१५,००० रुपये
७९	खान	२८,३७,००० रुपये
८०	तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज	१,५०,३१,००० रुपये
८१	इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय।	,९६,९३,००० रुपये
१२६	इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय	*१,६८,६५,२४,००० रुपये

इसके पश्चात् लोक-सभा, बुधवार १४ अगस्त, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

*इनमें २६ मार्च १९५७ को स्वीकृत लेखानुदान की राशियां भी सम्मिलित हैं।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, १३ अगस्त, १९५७]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३६२१—४८
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
८२९	नागा पहाड़ी क्षेत्र	३६२१-२२
८३०	वैज्ञानिक असैनिक सेवा	३६२२-२३
८३२	लैंसडाउन (उत्तर प्रदेश) में झगड़ा	३६२३—२६
८३३	सिपाही-क्लर्क	३६२६-२७
८३४	सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३	३६२७—२९
८३५	सरकारी उपक्रम	३६२९-३०
८३६	मक्खी-विरोधी सप्ताह	३६३१-३२
८३७	टाटा ट्राम्बे थर्मल स्टेशन	३६३२
८३८	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	३६३३-३४
८३९	अन्दमान शिक्षा बोर्ड	३६३५-३६
८४०	कृषि-आयकर	३६३६-३७
८४१	अनाज पर अग्रिम धन	३६३७—३९
८४३	गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	३६३९-४०
८४४	आसाम में भूकम्प	३६४०-४१
८४५	मार्ग गवेषणा संस्था	३६४१-४२
८४६	अनुशासनीय कार्यवाहियां	३६४२
८४८	इंजीनियरिंग कालेजों में विद्यार्थियों के लिए स्थान	३६४३-४४
अल्प सूचना		
प्रश्न संख्या		
१२	सुरक्षा परिषद् के नाम पाकिस्तान का नोट	३६४५—४७
१३	मुद्रा के लिए रक्षित निधि में कमी	३६४७-४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
८३१	सरकारी उपक्रमों के लेखे	३६५०
८४२	जीवन बीमा निगम	३६५०
८४७	आदिम जातियों के व्यक्तियों का कल्याण	३६५०
८४९	राष्ट्रमंडलीय वायु सेना प्रधानों का सम्मेलन	३६५१
८५०	आसाम में स्मारकों का परिरक्षण	३६५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८५१	प्रतिरक्षा सेवाओं में भर्ती	३६५१–५२
८५२	"अमृतारा संतान"	३६५२
८५३	सिंगरेनी कोयला खान	३६५२
८५४	कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना	३६५३
८५५	अस्पृश्यता अधिनियम	३६५३
८५६	भिखारी	३६५३
८५७	बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था	३६५४
८५८	दिल्ली में बुनियादी स्कूल	३६५४
८५९	समाज-कल्याण कार्य	३६५४
८६०	स्वातंत्र्य आंदोलन का प्रतिहास	३६५५
८६१	पवन शक्ति	३६५५
८६२	तेल की खोज	३६५५
८६३	जैसलमेर में पैट्रोलियम की खोज	३६५६
८६४	बैंकों का एकीकरण	३६५६
८६५	ग्राम और मुख्य सेविकायें	३६५६
८६७	'फ्रॉगमैन' की मृत्यु	३६५७
८६८	निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	३६५७
८६९	अल्पसंख्यकों के लिये परित्राण	३६५७–५८
८७०	बुनियादी स्कूलों में राष्ट्रीय अनुशासन योजना	३६५८
८७१	जापान से आयात	३६५८
८७२	भारत का राज्य बैंक	३६५९
८७३	जौनपुर की अटाला मसजिद	३६५९
८७४	भुवनेश्वर के निर्माण के लिये ऋण	३६५९–६०
८७५	राष्ट्र-मंडल का संयुक्त नौ-सेना अभ्यास	३६६०
८७६	कोयले का वितरण	३६६०
८७७	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	३६६१
८७८	कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी	३६६१
८७९	तांबे सम्बन्धी आवश्यकतायें	३६६१
८८१	राज भाषा आयोग	३६६२
८८२	दिल्ली (मंत्रणा) भाषा समिति का प्रतिवेदन	३६६२
८८३	रक्सोल और हितौरा के बीच रेलवे लाइन	३६६२–६३
८८४	साई और गोमती पर पुल	३६६३
८८५	दिल्ली पौलीटेक्निक	३६६३
८८६	दिल्ली के स्कूल अध्यापकों की हड़ताल	३६६४
८८७	सोने का तस्कर व्यापार	३६६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६१७	जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसर	३६६४-६५
६१८	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	३६६५
६१९	यूनेस्को सम्मेलन	३६६५
६२०	कोलम्बो योजना के अधीन प्रशिक्षणार्थी	३६६५
६२१	भूतपूर्व सैनिकों का पूनर्वास	३६६५-६६
६२२	पंजाब में भूतत्वीय और खनिज तत्वीय जांच	३६६६
६२३	नागा विद्रोह	३६६६
६२४	भारत में अमरीकी छात्र	३६६६
६२५	छावनियों में तपेदिक के अस्पताल	३६६६-६७
६२६	त्रिपुरा के चाचू बाजार के लिये औषधालय	३६६७
६२७	मनीपुर के शिक्षा-निदेशक	३६६७
६२८	तस्कर व्यापार	३६६८
६२९	सरकारी कर्मचारियों के वेतन	३६६८-६९
६३०	मनीपुर में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	३६६९
६३१	मनीपुर में गैर-सरकारी स्कूल	३६६९
६३२	मनीपुर में प्राथमिक स्कूल	३६६९-७०
६३३	बुलडोजरों के ड्राईवर	३६७०
६३४	मनीपुर में तस्कर व्यापार	३६७०
६३५	असिस्टेंटों की भर्ती	३६७१
६३६	मंत्रियों के दौरे	३६७१
६३७	आदिवासी	३६७१
६३८	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग उड़ीसा	३६७२
६३९	भ्रमण पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा	३६७२
६४०	जीवन बीमा निधि का विनियोजन	३६७२-७३
६४१	रूरकेला में निर्माण कार्य	३६७४
६४२	काश्मीर को सहायता	३६७४
६४३	स्टेंडर्ड वैकूअम आयल कम्पनी	३६७४
६४४	बर्मा शैल	३६७५
६४५	तैल-शोधक कारखाने	३६७५
६४६	त्रिपुरा में गृह-निर्माण	३६७५
६४७	मूल्य निर्धारक तालिका	३६७६
६४८	उच्चन्यायालय के न्यायाधीश	३६७६-७७
६४९	असिस्टेंट	३६७७-७८
६५०	सशस्त्र बल सेवा शत	३६७८
६५१	हिन्दी स्टेनोग्राफर	३६७८-७९
६५२	आन्ध्र में बहु-प्रयोजनीय स्कूल	३६७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
६५३	वैज्ञानिक गवेषणा के लिए अनुदान	३६७९
६५४	अण्डमान द्वीप समूह	३६८०
६५५	तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क	३६८०
६५६	प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों का वेतन	३६८१
६५७	समुद्रवर्णना	३६८१
६५८	इंफ्लुएंजा महामारी	३६८१
६५९	प्रतिरक्षा डिपोओं में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	३६८१-८२
६६०	तिरुचिरापल्ली में जिप्सम निक्षेप	३६८२
६६१	मद्रास में खनिज सर्वेक्षण	३६८२
६६२	अनुसूचित जातियों के सरकारी कर्मचारी	३६८२-८३

सभा पटल पर रखा गया पत्र ३६८३

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १५ जून, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९४८ की एक प्रति।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३६८३—८७

श्री स० म० बनर्जी ने २० अगस्त, १९५८ को दिल्ली के सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की प्रस्तावित हड़ताल की ओर शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री का ध्यान दिलाया

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया और उसकी एक प्रति सभा पटल पर भी रखी।

अनुदानों की मांगें ३६८७—३७२५

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई और मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

बुधवार, १४ अगस्त, १९५७ के लिये कार्यावलि—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा।

P. L. S. 41. V. 23. 57
170

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ तथा ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित ।